लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४०, १९६०/१८८१ (शक)

[७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ४० में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . २१५४–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि . . . २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित . . . २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२९३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२९४

सामान्य आयव्ययकक—सामान्य—चर्चा . . . २२९४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६९—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४–९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९–२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९–६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना २६३२–३३

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३—३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण	२६३६—३७
स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य	२६३७—३९
सभा का कार्य	२६३९—५८
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२६३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	२६५८
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२६५९—७९
अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प .	२६७९—८१
निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२६८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२६८७—९३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १९६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२९, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३९।	२६९५—२७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४	२७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . .	२७२३—४९
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . .	२७४९—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय	२७५५
१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना	२७५६—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५७—५८
राज्य सभा से सन्देश	२७५८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या . . . २७५९

अनुदानों की मांगें--

विधि मन्त्रालय २७६०--९२

दैनिक संक्षेपिका २७९३--९७

अंक २७--मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९--२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . २८३१--४९

स्थगन प्रस्ताव--

कोचीन में शिपयार्ड २८४९--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५२-५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना २८५३-५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४--५८

अनुदानों की मांगें--

शिक्षा मन्त्रालय २८५८--२९२०

दैनिक संक्षेपिका २९२१--२४

अंक २८--बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . २९२५--४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . २९४७--५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . २९५६--७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . २९७४–७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४

प्राक्कलन समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०

कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक---श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४-५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६---७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--(धारा ७३ का संशोधन)---श्री हेम राज का---

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२---७७

नोट:-मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०

२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माधोपुर के आगे रेलवे लाइन

†*९३०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती कृष्णा मेहता :

क्या रेलवे मंत्री १७ नवम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बीच जम्मू तथा काश्मीर राज्य में माधोपुर से आगे रेलवे लाइन ले जाने के लिये रावी नदी पर स्थान चुन लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन जोड़ने के 'एलाइनमेंट' के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या इस लाइन को जम्मू तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** नहीं, श्रीमान।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस परियोजना के संबंध में वास्तविक निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने सिद्धान्त रूप में इस परियोजना को स्वीकार कर लिया है। हम इसके काम को द्वितीय योजना में प्रारम्भ करने की आशा करते हैं और तृतीय योजना तक इसको ले जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** रेलवे मंत्रालय इंजीनियरिंग सर्वेक्षण से पूर्व के सर्वेक्षण से लेकर कई सर्वेक्षण करता है, जैसे, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, स्थान सर्वेक्षण आदि। जहां तक इस रेलवे लाइन का संबंध है क्या इनमें से किसी प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है?

†**श्री शाहनवाज खां :** बिना सर्वेक्षण के हम रेलवे लाइन नहीं बना सकते। सर्वेक्षण आवश्यक है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस लाइन पर किस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है?

†**श्री शाहनवाज खां :** अन्तिम स्थान सर्वेक्षण की स्वीकृति २० जनवरी को दी गई थी। रावी नदी के ऊपर एक करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व महान पुल बनाना है। हमें अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श करना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से वह कितनी दूर रखा जाये। इन सब बातों में समय लगता है। जो कुछ भी संभव है हम कर रहे हैं।

रूपनारायण नदी पर पुल

†*९३१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल (राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६) बनाने के लिये क्या इस बीच ठेका दे दिया गया है;

(ख) क्या वर्तमान रेलवे पुल के साथ सड़क का पुल बनाने के सुझाव पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ग) यात्रियों के लिये नाव सेवा चालू करने के लिये घाट बनाने में क्या प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं, श्रीमान्। टेन्डर प्राप्त हो गये हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर उनकी परीक्षा कर रहे हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान। हमें इस प्रकार के सुझाव की कोई जानकारी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यात्री नाव सेवा के लिये लकड़ी का घाट लगभग बन चुका है। अप्रैल, १९६० के अन्त में नाव सेवा के परीक्षणात्मक रूप में चलाये जाने की संभावना है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** प्रश्न के भाग (ख) के संबंध में, क्या यह सच नहीं है कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से, जो रूप नारायण नदी द्वारा अधिक मात्रा में मिट्टी जमा किये जाने के कारण चिन्तित है, इस विषय में परामर्ष नहीं किया गया है?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न यह था कि क्या वर्तमान रेलवे पुल के साथ सड़क का पुल बनाने के सुझाव पर पुनर्विचार किया गया है और उसका उत्तर मैंने यह दिया था, "नहीं श्रीमान। हमें ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं।"

†**श्री स० चं० सामन्त :** सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का यह विचार है कि यदि सड़क का पुल बनवाया गया तो और भी अधिक मिट्टी जमा होगी।

†**श्री राज बहादुर :** इस पुल को बनवाने से टेक्निकल परिणाम क्या होंगे, इस की मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक इस विशिष्ट पुल का सम्बन्ध है, हम इस बात के लिये बड़े आतुर है कि यह शीघ्र ही बन जाये क्यों कि सारी बातें तय करने में काफी समय लग चुका है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** परिवहन तथा संचार और सिंचाई और विद्युत दोनों मंत्रालय रूपनारायण नदी के बारे में चिन्तित हैं। जब इस नदी पर एक पुल बनने जा रहा है, तो फिर दोनों मंत्रालयों के बीच कोई परामर्श पहले से क्यों नहीं हुआ?

†**श्री राज बहादुर :** इसके बारे में रेलवे मंत्रालय से पूछा गया था। मुझे पता नहीं कि सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का इस से कोई संबंध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। मैं उनका दृष्टिकोण भी जानने की कोशिश करूंगा। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन प्रविधिक बातों पर विचार करने से निर्माण में काफी विलम्ब हो गया है और हम और देरी नहीं करना चाहते।

†**श्री हेम बरुआ :** पहले एक बार माननीय मंत्री ने बताया था कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट[1] का पुल बनाने की योजना समाप्त कर दी गई थी और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट[2] का नमूना स्वीकार कर लिया गया था। जबकि १९५६ में ही प्रस्ताव पर चर्चा कर ली गई थी तो फिर इतने लम्बे समय के बाद आर० सी० सी० का नमूना क्यों स्वीकार किया गया?

†**श्री राज बहादुर :** यह ठीक है। आरम्भ में हम पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का पुल ही बनाना चाहते थे। किन्तु जब टेन्डर मिले तो हमने देखा कि उच्च आतनन इस्पात[3] के लिये कुछ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। विदेशी मुद्रा कि कठिनाई के कारण हमें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का नमूना स्वीकार करना पड़ा। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के नमूने के पुल के लिये टेण्डर मंगाने के समय से कुछ समय बीत गया है और स्थिति संभल गई है और हमें उच्च आतनन इस्पात मिल सकता है। अतः हमने फिर पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का पुल बनाने के बारे में सोचा क्योंकि उससे लागत में १५% की बचत होती है जो कि बहुत अधिक है।

---

[1]Prestressed Concrete.

[2]R. C. C.

[3]High Tensile steel.

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या केवल विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण ही पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट का पुल बनाने की योजना समाप्त कर दी गई थी और यदि हां, तो क्या अब यह कठिनाई दूर हो गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** यही मैंने कहा था। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के नमूने के आधार पर जब तक हमारे पास टेन्डर आये, स्थिति काफी संभल गई और हमने यह देखकर कि कंक्रीट का पुल बनाने में आफी बचत होती है, उसी को फिर से अपना लिया।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या दिसम्बर, १९५९ में टेन्डर प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो टेन्डरों की परीक्षा करने में कितना समय लगेगा और काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** टेन्डर प्राप्त करने की अन्तिम तारीख १४ सितम्बर, १९५९ थी। जो टेन्डर प्राप्त हो गये हैं उनकी परीक्षा पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य इंजीनियर कर रहे हैं। टेन्डर भेजने वालों से कुछ पूछताछ की गई है और काम को शीघ्र करने के लिये टेन्डर भेजने वालों द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये एक अन्तिम तारीख तय कर दी गई है। अन्तिम तारीख २८ फरवरी, १९६० थी और मुझे आशा है कि शीघ्र ही सब कुछ तय हो जायेगा।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या यह सच है कि निर्णय में विलम्ब करने के फलस्वरूप लागत उस लागत से कहीं अधिक बढ़ गई है जोकि उस समय आती यदि निर्णय शीघ्र कर लिया गया होता ?

†**श्री राज बहादुर :** कुछ अन्तर रहेगा। मैं नहीं समझता कि पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट पुल की, जिसका आरम्भ में विचार किया गया था, लागत में और अन्तिम लागत से बहुत अन्तर रहेगा। यह ठीक है, कि कुछ अन्तर रहेगा।

उड़ीसा में भीमकुंड परियोजना

†***९३२. श्री प्र० के० देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री भीमकुंड परियोजना के बारे में ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच उड़ीसा सरकार से भीमकुंड परियोजना का प्रतिवेदन जो कि उसे आगे जांच पड़ताल के लिये भेजा गया था, प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या न्यूआपडा के बजाय बालीजोडी पर बांध बनाने का सुझाव दिया गया है ;

(ग) इन दोनों स्थानों में कितना क्षेत्र जल मग्न हो जायेगा ; और

(घ) इन दोनों बांधों से कितनी बिजली पैदा हो सकेगी तथा कितने एकड़ भूमि में हो सकेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । बचत की दृष्टि से नोआपाड़ा में बांध बनाना अधिक उपयुक्त समझा गया है क्योंकि नोआपाड़ा में बिजली पैदा करने की लागत बालीजोरी के मुकाबले में कहीं कम आयेगी ।

(ग) नोआपाड़ा ८०,००० एकड़
बालीजोरी ६०,००० ,,

(घ) **बिजली** : (१) नोआपाड़ा के बांधसे ३८०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी जिसमें से ६० प्रतिशत का संभरण किया जा सकेगा ।

(२) बालीजोरी के बांध से ३५०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी जिसमें से ६० प्रतिशत का संभरण किया जा सकेगा ।

•**सिंचाई की क्षमता** : प्रत्येक बांध के स्थान पर ३.१० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या राष्ट्रीय राज पथ संख्या ६ और वैतरणी नदी के पुल का जो १७ लाख रुपये की लागत से तीन वर्ष पूर्व ही बनाया गया था, एक भाग इस परियोजना से जलमग्न हो जायेगा ?

†**श्री हाथी** : यह जलमग्न हो सकता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्योंकि पुल १७ लाख रुपये की लागत से केवल तीन वर्ष पूर्व ही बनाया गया था, बांध बनाने के लिये स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव किये जाने तक निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका जा सका ? यदि विभिन्न विभागों में कोई समन्वय नहीं है, तो फिर योजना का कोई अर्थ नहीं है ।

†**श्री हाथी** : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, परियोजना की जांच १९५६ और १९५७ में की गई थी और १९५८ में परियोजना पूरी की गई है । इस परियोजना से आर्थिक लाभ की आशा है । इसके पूर्व, बालीजोरी में एक दूसरा स्थान चुना गया था । किन्तु नोआपाड़ा की परियोजना से आर्थिक लाभ होगा क्योंकि उससे कम लागत पर बिजली पैदा हो सकेगी ।

†**श्री प्र० के० देव** : मेरा प्रश्न दूसरा था ।

†**श्री हाथी** : राष्ट्रीय राज मार्ग जलमग्न हो सकता है । जांच १९५७–५८ में की गई थी और १९५८ में पूरी हो गई थी । यदि उस पर भी इससे आर्थिक लाभ की संभावना है, तो इसे पूरा करना ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि पुल के बनने के एक वर्ष बाद ही या परियोजना क्यों आरम्भ की गई ।

†**श्री हाथी** : राष्ट्रीय राजपथ परिवहन मंत्रालय का विषय है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों में समन्वय क्यों नहीं है ? आखिर को सरकार तो एक ही है ।

†**श्री हाथी** : यह ठीक है । किन्तु उस समय दूसरा स्थान चुन लिया गया था । बाद को उससे अच्छा स्थान मिल गया । इतने पर भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि १७ लाख रुपये नष्ट क्यों किये गये । १७ लाख रुपये की लागत से एक पुल बनवाया गया और इसके बाद एक दूसरी परियोजना आरम्भ की जा रही है जिससे पुल बेकार हो जायेगा और जलमग्न हो जायेगा ।

†**श्री हाथी** : हां, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बारे में पहले से क्यों नहीं सोच लिया गया ? १७ लाख रुपये कोई कम नहीं होते ।

†**श्री हाथी** : यह बिल्कुल सच है । किन्तु अभी तक इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । हम स्थान बदलने के बारे में विचार करेंगे । इस संबंध में जांच की जा रही है ।

†**श्री प्र० के० देव** : विभागों के इस प्रकार के आंशिक विकास कार्यों के अलावा क्या विभिन्न मंत्रालयों के बीच, विशेषत: जब कि योजना आयोग इस प्रकार की परियोजनायें स्वीकार करता है, कोई समन्वय रहता है ?

†**श्री हाथी** : सामान्यत : ऐसा किया जाता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : तब यह व्यय क्यों किया गया ?

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने विवरण में बताया है कि उड़ीसा सरकार से कोई अन्तिम जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । जब कि नोआपाड़ा का स्थान चुन लिया गया है तब फिर उड़ीसा सरकार द्वारा और क्या जांच पड़ताल की जा रही है ?

†**श्री हाथी** : उड़ीसा सरकार से एक रिपोर्ट मिली थी । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने उसकी परीक्षा की थी । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् ने उड़ीसा सरकार से कई प्रविधिक बातों पर आगे जांच करने के लिये कहा है । वे कुल नौ या दस बातें हैं ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : जो मैं चाहता था, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया । भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तब वे क्या जांच कर रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : प्रश्न का भाग (क) इस प्रकार है :

"क्या सरकार को इस बीच उड़ीसा सरकार से भीमकुंड परियोजना का प्रतिवेदन, जो कि उसे आगे जांच पड़ताल के लिये भेजा गया था, प्राप्त हो गया है ; "

वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है । आरंभ में, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । उसकी उस समय परीक्षा की गई थी और आगे जांच के लिये उड़ीसा सरकार को भेज दी गई थी । वह अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : आगे क्या जांच की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन-कौन सी मुख्य बातें आगे जांच के लिये भेजी गई हैं ?

†**श्री हाथी** : लगभग ग्यारह बातें हैं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने जो सुझाव दिये हैं वे मोटे तौर पर यह हैं ; प्रथमत: जिन स्टेशनों का जलागम क्षेत्रों पर असर पड़ता है, वहां कितनी वर्षा होती है, इसका औसत निकाल कर यह बताना कि कितने इंच वर्षा हुई, द्वितीय एकक जल-वर्णना विश्लेषण द्वारा अधिकतम औसत डिसचार्ज .....

†**अध्यक्ष महोदय** : आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्योंकि हीराकुड के कर्मचारियों द्वारा जांच की जा रही है और क्योंकि प्रशासनिक तौर से हीराकुड के कर्मचारी अब भी केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं और उड़ीसा सरकार को अभी तक यह काम नहीं दिया गया है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उड़ीसा सरकार के उत्तरों की क्यों प्रतीक्षा की जा रही है जब कि केन्द्रीय सरकार स्वयं ही हीराकुड के कर्मचारियों से जांच करा सकती थी ।

†**श्री हाथी** : वस्तुत : यह जांच उड़ीसा राज्य द्वारा की गई थी । उन्होंने इस काम को हीराकुड परियोजना के मुख्य इंजीनियर को सौंप दिया था । किन्तु यह वस्तुत: उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा की गई थी ।

विजयवाड़ा-गुडूर लाइन

†*९३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा–गुडूर सेक्शन पर फरवरी, १९६० के अन्त तक यातायात के लिये कुल कितने मील लम्बी दोहरी लाइन खोली गई ?

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल के अन्त तक काम पूरा करने के लिये क्या कोई उपाय करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**:(क) ४०.५ मील ।

(ख) और (ग). प्रतिदिन की प्रगति पर बराबर निगरानी रखी जा रही है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त सम्पूर्ण स्वीकृत कार्य को पूरा करने के लिये व्यवस्था कर ली गई है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : १९६०–६१ के लिये रेलवे के निर्माण कार्य, मशीनरी तथा जल स्टाक के कार्यक्रम को देखकर पता चलता है कि विजयवाड़ा और गुडूर के बीच इस मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का काम ५० प्रतिशत कम कर दिया गया है । आरम्भ में १८२ मील लम्बी लाइन को दोहरी करने का जो विचार था उसको ९२ मील करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमने देखा कि इस लाइन पर जितना यातायात होगा उसका प्रबन्ध कुछ भाग पर दोहरी लाइन बिछाने से हो जायेगा । ९२.७५ मील लम्बी लाइन पर दोहरी लाइन बिछाई जायगी । लाइन को दोहरी करने से हम यातयात का प्रबन्ध कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पहले अनुमान यह था कि विजयवाड़ा से उत्तर के स्टेशनों से लेकर विजयवाड़ा से दक्षिण के गन्तव्य स्टेशनों तक विजयवाड़ा पर लगभग ८०० मालडिब्बों की आवश्यकता होगी। क्या इतनी कम लाइन को दोहरी करने से हम दक्षिण की ओर जाने वाला इतना कोयला और चावल ले जा सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें आशा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक हमें विजयवाड़ा से दक्षिण की ओर चलाने के लिये लगभग ७०० मालडिब्बों का प्रबन्ध करना होगा। इसका अर्थ यह है कि दोनों ओर २०.५ रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी। इतने भाग में दोहरी लाइन बिछाने तथा कुछ और सहायेक लाइनें बनाने से हम इस यातायात का प्रबन्ध कर सकेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस लाइन पर और दूसरी सहायक लाइन कौन सी होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : वह नितनली होकर विजयवाड़ा से सून्द्रू तक होगी। इस सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने के बजाय यह सोचा गया है कि विजयवाड़ा से गुन्टूर तक रेलवे लाइन बनाई जाये और फिर उसे विजेन्डला तथा सुन्द्रू से मिला दिया जाये।

†**श्री त० ब० विट्ठल रान** : क्वा रेलों के लिये अपेक्षित कोयला कलकत्ता से जहाजों की बजाय इसके परिणामस्वरूप रेलों से भजा जायगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह एक दम दूसरा प्रश्न है। किन्तु यह इस बात पर निर्भर है कि यातायात के लिये कितना माल आता है। सभा को अच्छी तरह मालूम है कि जहाजों द्वारा कोयला लाने से रेलों को बड़ी हानि पहुंच रही है। हमें रेल के जरिये रेलवे के कोयले को और अधिक मात्रा में लाना होगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह सच है कि रेलों द्वारा कोयला लाने के कारण समुद्र तटीय जहाजरानी इस समय समाप्त होती जा रही हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : समुद्र तटीय जहाजरानी को जारी रखने के लिय और इस को समाप्त न होन देने के लिय हम अब भी समुद्र तटीय जहाजों के जरिय दक्षिण रेलवे को कोयला भेज रहे हैं यद्यपि रेलों के जरिये इसे लाने के मुकाबले में भाड़े के रूप में हमें काफी देना पड़ रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : रेलवे दक्षिण में उद्योग को तथा जहाजरानी को इस प्रकार कब तक सहायता देती रहेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिय कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समुद्रतटीय नौवहन भी आवश्यक है। यह आर्थिक सहायता चाहे रेलव द्वारा दी जाय अथवा सामान्य राजस्व से दी जाय, समुद्रतटीय जहाजरानी को कायम रखना ही होगा।

हुमायूं के मकबरे के निकट यमुना पर पुल

†*९३७. { **श्री दी० चं० शर्मा** : †
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हुमायूं के मकबरे (दिल्ली) के निकट यमुना पर पुल बनाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत लगेगी ;

(ग) वह कार्य लगभग कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ; और

(घ) वह कार्य लगभग कब तक पूरा हो जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०५ लाख रुपय का उपबन्ध किया गया है । टेण्डरों के बारे में अन्तिम रूप से फैसला कर लेने के बाद ही अनुमानित लागत का पता लग सकेगा ।

(ग) जून, १९६० तक ।

(घ) १९६३ के अन्त तक ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस परियोजना के पूरा हो जाने पर दिल्ली की सड़क समस्या कुछ सीमा तक हल हो जायगी ।

†**श्री राज बहादुर** : जी, हां । इस से निश्चित रूप से अधिक भीड़ भाड़ की समस्या कुछ हद तक हल हो जायगी और दिल्ली को आने और जाने वाले यातायात के लिय दूसरा मार्ग खुल जायेगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : उस दिन हमें जो दिल्ली की वृहद् योजना दिखाई गई थी, उसमें हमने यह देखा था कि सड़क पुल के पास एक रेल का पुल भी बनाया जायेगा । क्या दो अलग अलग पुल बनाने के बजाय हुमायूं के मकबरे के पास एक ही रेल तथा सड़क पुल से काम नहीं चल सकेगा ।

†**श्री राज बहादुर** : प्रारम्भ में पुल बनान की योजना पर विचार करते समय इस प्रस्ताव की जांच की गई थी । परन्तु बात यह है कि इस प्रकार के पुल बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि किस किस स्थान पर सड़क तथा रेल के पुल बनाना अधिक सरल तथा उपयुक्त होगा । हुमायूं के मकबरे के पास का स्थान सड़क की आवश्यकता की दृष्टि से तो उपयुक्त है, परन्तु रेल के लिये नहीं । इसीलिये रेल के लिये एक पुल अलग बनाने के लिये स्थान चुना गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या गवर्नमेंट इस बात को अनुभव करती है कि दिल्ली की लम्बाई जमना के किनारे इतनी अधिक फैल गई है कि वर्तमान पुल से, जोकि दक्षिण में बनाया जा रहा है, कमी पूरी नहीं होगी ? अतः क्या उत्तर दिशा में भी कोई पुल बनान की योजना विचाराधीन है ?

श्री राज बहादुर : उत्तर दिशा में वज़ीराबाद का बैराज बना है । वह आवागमन की कठिनाइयों को थोड़ा बहुत हल करेगा । किन्तु अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि और ब्रिज बनाया जाय ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, मैं समझता हूं कि इस पुल के बारे में दो तीन बरस से विचार किया जा रहा है । जब दिल्ली में यह हालत है, तो और जगह क्या हालत होगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : मैं यह निवेदन करूं कि ब्रिज बनाने के पहले हाइड्रोलिक डेटा इकट्ठा करना पड़ता है--पानी की सतह की जांच की जाती है। इस के अलावा भूमि की जांच की जाती है--सब-सायल कन्डीशन्ज़ की जांच की जाती है और इस के बाद कोई साइट निर्धारित की जाती है। इंजीनियर्ज़ के लिये यह काम आसान नहीं है और इस में काफ़ी समय लगता है। आशा है कि माननीय सदस्य यह समझेंगे और मेरा विश्वास है कि वह भी इस को स्वीकार करेंगे। फिर भी यह कहा जा सकता है कि इस बारे में जितनी जल्दी हो सकती थी वह करने की हम ने कोशिश की है जितना समय भी बचाया जा सकता है, बचाया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय ने दिल्ली में और उस के आस-पास यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से विभिन्न पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई वृहद् योजना तैयार की है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह काम मैं ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री, श्री करमरकर पर छोड़ दिया है। वास्तव में हमें दिल्ली में बहुत से पुल बनाने की जरूरत है। परन्तु जहां तक इस पुल का सम्बन्ध है, इस की हमें बहुत जल्दी जरूरत है और वज़ीराबाद बांध इस में हमारी सहायता करेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् यह जो पुल है तभी उपयोगी हो सकता है जबकि इस को मिलाने वाली सड़कें वहां तक पहुंचाई जायें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से प्वाइंट से सड़कें वहां दोनों तरफ से जोड़ी जा रही हैं ?

श्री राज बहादुर : मथुरा वाली सड़क हुमायूं टोम्ब के पास तक आती है उस का डाइवर्शन या एप्रोच उस पुल तक रखा जायगा और इस पुल से आग जो सड़क होगी वह शाहदरा के आगे और गाज़ियाबाद के इधर, हिंडन ब्रिज के इधर जा कर मिलेगी। मैं यह सब निश्चित रूप से तो नक्शे में ही बता सकता हूं और अगर माननीय सदस्य आने का कष्ट करें और इसे देखना चाहें तो उन को सारी चीज़ अच्छी तरह से बताई जा सकती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहां पर विद्यमान हैं, क्या वे उस समस्या पर प्रकाश डालन की कृपा करेंग ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हम इस सम्बन्ध में एक वृहद् योजना तैयार कर रहे हैं। उसे कुछ दिन हुए यहां पर दो दिनों के लिय बह रखी भी गई थी, परन्तु बहुत से माननीय सदस्यों ने उस से कोई लाभ नहीं उठाया।

राउरकेला बरसुआ लाइन

†***९४०. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेलवे मंत्री १२ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राउरकेला से बरसुआ की लोहे की खानों तक की रेलवे लाइन अब पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वह लाइन कब तक पूरी हो जायगी।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). राउरकेला (बोंडामुण्डा) बरसुआ (डुमारू) लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और आशा है कि इस महीने के अन्त तक वह लाइन माल के यातायात के लिये खुल जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** इस लाइन पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार उन पर लगभग ७.७२ करोड़ रुपवा खर्च होगा ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस वर्ष के अप्रेल मास तक रेल द्वारा बरसुआ से राउरकेला तक लौह अयस्क ले जाना सम्भव हो सकेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी हां, निश्चित रूप से । मैं ने अभी अभी यह बताया है कि वह लाइन माल परिवहन के लिय इसी महीन के अन्त तक खोल दी जायगी और लौह अयस्क राउरकेला तक जा सकेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने इस रेलवे लाइन की पूर्ति के लिय कोई तिथि निर्धारित की है और यदि हां तो क्या रेलवे मंत्रालय ने उस लक्ष्य के अनुसार ही कार्य किया है अथवा क्या इस से कुछ विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो कितना विलम्ब हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां । कुछ विलम्ब हुआ है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कितना ?

†**श्री शाहनवाज खां :** वास्तव में सितम्बर, १९५९ तक की अवधि निर्धारित की गई थी, परन्तु कुछ देर हो गयी है, क्योंकि वह इलाका बड़ा दुर्गम है । मैं स्वयं वहां गया था और मैं ने अपनी आंखों से काम की प्रणाली देखी है । कुछ स्थानों पर उन्हें ६०, या ७० फुट के गहरी ठोस चट्टानों को काटना पड़ा है। वह अत्यन्त कठिन और दुर्गम क्षेत्र है और फिर पटरियों की भी हमारे पास कमी थी । परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विलम्ब के कारण राउरकेला के कारखाने के काम में कुछ भी बाधा नहीं पड़ी है क्योंकि इसके लिए हम ने दूसरा पर्याप्त इन्तजाम कर लिया है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह तिथि स्वयं रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गयी थी या कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह तिथि रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गयी थी, परन्तु इसके लिए दूसरे मंत्रालय से समुचित परामर्श ले लिया गया था ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय द्वारा कोई तिथि बतायी गयी थी, और उस में कितना विलम्ब हो गया है क्योंकि उन्होंने जो तारीख बताई थी वह उस समय निश्चित की गई थी जब कि राउरकेला इस्पात संयत्र की योजना बनाई गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इतने विस्तार में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं इसके बारे में उन्हें सही बात बता सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयां बता दी हैं । मंत्रालय द्वारा एक तिथि निर्धारित कर देने के बाद दूसरा मंत्रालय अर्थात् रेलवे मंत्रालय जो कि इस काम को करने वाला है, यह अनुभव करता है कि उस तिथि तक काम पूरा करना कठिन है और उसके लिए कुछ और समय की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं वास्तव में कहना यह चाहता हूं कि इस विलम्ब के कारण इस्पात कारखाने को लाखों रुपयों की हानि हुई है, क्योंकि इस लाइन के पूरा न होने के कारण खानों से वहां तक लौह अयस्क न पहुंच सका और इसलिये उसे किसी दूसरी कम्पनी से लौह अयस्क लगभग दुगने भाव पर खरीदना पड़ा।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** मुझे तो इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। यह तो मैं एक नयी बात सुन रहा हूं। इस विलम्ब के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय के पास कोई शिकायत नहीं आयी है।

†**श्री विन्तामणि पाणिग्रही :** यहां विलम्ब का प्रश्न न होकर अपितु अधिक राशि भुगतान करने का है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह रेलवे लाइन इसलिये बनायी जा रही है कि निकट की खान से ही लौह-अयस्क लाया जा सके परन्तु इसके पूरा न हो सकने के कारण बहुत दूर से लौह अयस्क लाना पड़ा। लगभग दो वर्षों से लौह अयस्क लगभग १५० मील की दूरी से मंगवाना पड़ रहा है और इस पर सरकार के करोड़ों रुपये व्यर्थ में खर्च हो रहे हैं।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने दो वर्षों का प्रश्न कहां से छेड़ दिया। यह स्पष्ट नहीं है। जिस समय इस लाइन की पूर्ति के सम्बन्ध में तिथि निर्धारित की गयी थी, उस समय उस इस्पात कारखाने के प्राधिकारियों के परामर्श से ही वह निर्धारित की जानी चाहिए थी जिसके लिये वह लाइन तैयार की जा रही थी। वह तिथि थी सितम्बर, १९५९ और इस प्रकार विलम्ब केवल मार्च, १९६० तक ही हुआ है।

†**श्री सूपकार :** क्या रेलवे मंत्रालय से उस निश्चत तिथि तक रेलवे लाइन बना लेने के लिये कहने और विलम्बकारी कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व स्वयं इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय पर है ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह प्रश्न बड़ा नाजुक है, क्योंकि यह प्रश्न इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से भी पूछा जाना चाहिए। अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर देना ठीक नहीं समझता, परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लौह अयस्क की कमी के कारण इस्पात कारखाने को किसी भी प्रक्रम पर नुकसान नहीं उठाना पड़ा।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या इस लाइन का माल परिवहन के अतिरिक्त यात्री परिवहन के लिये भी इस्तेमाल किया जायगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इस रेलवे लाइन पर यात्रियों का आना जाना बहुत कम होगा। इसलिये प्रारम्भ में इसे यात्री परिवहन के लिए खोलने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। परन्तु यदि मांग बढ़ गयी और वह मांग सड़क परिवहन द्वारा पूरी न हो सकी तो माल गाड़ियों में ही कुछ यात्री डिब्बे भी लगा दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

उर्वरक

†*६४१. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र द्वारा १९५९-६० में रसायनिक उर्वरक की कितनी मात्रा आवंटित की गयी थी;

(ख) उक्त अवधि में अभी तक उस राज्य को कितनी मात्रा संभरित की जा चुकी है;

(ग) १९६०-६१ के लिये कितनी मात्रा मांगी गयी है; और

(घ) क्या उस अवधि के लिये कोई आवंटन कर दिया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). १९५९-६० के लिए निर्धारित किये गये विभिन्न प्रकार के उर्वरक और २९ फरवरी, १९६० तक वास्तव में उनके किये गये संभरण के सम्बन्ध में ब्योरा निम्नलिखित है :—

उर्वरकों के नाम	आवंटित मात्रा	(आंकड़े टनों में) २९-२-६० तक संभरण
१. अमोनियम सल्फेट . .	७९,५०० टन	६८,५०० टन
२. यूरिया	२०,२६० टन	१६,००० टन
३. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट . .	१३,००० टन	१०,६०० टन
४. केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट . .	८,००० टन	७,६०० टन

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए आगामी वर्ष के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मांग सम्बन्धी ब्योरा निम्नलिखित है :—

१. अमोनियम सल्फेट	१,५७,८०० टन
२. यूरिया	२६,००० टन
३. अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	३५,००० टन
४. केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	१३,००० टन

(घ) जून, १९६० में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उर्वरकों के आवंटन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश को १०,००० टन अमोनियम सल्फेट का अग्रिम आवंटन कर दिया गया है।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों को समुचित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे उत्पादन में वृद्धि हो रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह सच है। आन्ध्र प्रदेश के किसान उर्वरकों का अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर प्रति वर्ष उर्वरकों की मांग बढती जा रही है।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या यह सच है कि जब पिछले माननीय मंत्री हैदराबाद गये थे, उस समय उन्होंने आन्ध्र प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया था कि वह इस बात की कोशिश करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश को अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक दिया जा सके ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य वहां गये मेरे वरिष्ठ साथियों के बारे में कह रहे हैं। हम आन्ध्र प्रदेश की उर्वरक सम्बन्धी मांग के सम्बन्ध में जानते हैं और उसे अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक संभरित करने का यत्न करते हैं।

†**श्री वेंकट सुब्बया** : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि कितनी मात्रा आवंटित की गयी थी और कितना संभरण किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी मात्रा मांगी गयी थी और उसे कितने प्रतिशत उर्वरक संभरित किये गये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : आशा है कि इस वर्ष मांग के ६२ प्रतिशत उर्वरकों का संभरण किया जा सकेगा। आन्ध्र प्रदेश सरकार समय समय पर अपनी मांग का पुनरीक्षण करती है। इस दृष्टि से यदि मूल मांग से तुलना की जाये तो हम ने गत वर्ष ५१ प्रतिशत मांग पूरी की है और इस वर्ष ६० प्रतिशत तक मांग पूरी की जा सकेगी।

†**श्री वेंकट सुब्बया** : क्या सरकार को ज्ञात है कि आन्ध्र प्रदेश के आस पास के राज्यों को संभरित किये जाने वाले उर्वरक का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वह चोर बाजारों में आन्ध्र प्रदेश में बिक रहा है। यदि हां, तो सरकार या तो आन्ध्र प्रदेश के लिए कोटा बढ़ा देने के बारे में या इस की चोर बाजारी की रोक थाम के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही कर रही है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह प्रश्न पहले भी इस सदन में कई बार पूछा जा चुका है और यह शिकायत की गयी कि अन्य राज्यों से उर्वरक किन्हीं अन्य राज्यों में पहुंच जाते हैं। परन्तु इस का उत्तर यही है कि हम अन्य राज्यों को उनके कोटे से वंचित नहीं कर सकते। परन्तु हमें किसानों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे उर्वरक का अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकें।

†**श्री हेडा** : विभिन्न राज्यों द्वारा उर्वरक के लिये की जाने वाली मांग और वास्तव में किये जाने वाले संभरण में कितना अन्तर होता है ? क्या उस दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश को सब से अधिक नुकसान होता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : पिछले साल अन्तर था, परन्तु इस वर्ष हमारी यही कोशिश है कि यथासंभव अधिक से अधिक मांग पूरी की जा सके।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : आन्ध्र प्रदेश में किसानों को उर्वरक किस के द्वारा बांटे जायेंगे ? क्या उन में चोर बाजारी का तो कोई भय नहीं है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरा विचार है कि वितरण का कार्य सहकारी समितियों के द्वारा किया जाता है। हम ने चोर बाजारी की कुछ अफवाहें सुनी तो हैं ?

---

†भूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें

†*९४३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पदाधिकारी ने डाक तथा तार संघों तथा फैडरेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की है; और

(ग) क्या उस पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक के पास भेज दी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) उस के लिये कोई विशेष पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, परन्तु वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों से उत्पन्न मामलों का शीघ्र निबटारा करने में सहायता देने के लिये विशेष कर्मचारी रखे गये हैं ।

(ख) डाक तथा तार संघों तथा फैडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुझ से सामान्य रूप से आयोग की सिफारिशों के बारे में बातचीत की थी । उस के बाद उन प्रतिनिधियों ने डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक और निदेशालय के अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि डाक तथा तार के सभी संघों तथा फैडरेशनों ने एक ज्ञापन पेश किया था, और उसी के आधार पर यह बातचीत चल रही है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी हां, उस ज्ञापन के आधार पर अब डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक से बातचीत चल रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्रालय कर्मचारियों के लिये अहितकर सिद्ध होने वाली कुछ एक सिफारिशों को संशोधित कर के वित्त मंत्रालय के पास उन के लिये लाभदायक सिफारिशें भेजेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं इस बारे मे तो कुछ नहीं कह सकता, परन्तु जहां तक वेतन आयोग द्वारा वेतन की वृद्धि के लिये राशि निर्धारित की गयी है, उस राशि तक के सम्बन्ध में इस फैडरेशन से बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें संतोषजनक मात्रा तक वेतन और भत्ते दिये जा सकें ।

†**श्री अमजद अली** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि कार्य को शीघ्र निबटाने के लिये विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं । परन्तु वेतन आयोग ने तो डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये पहले से ही सिफारिशें की हुई हैं । ये कर्मचारी किस प्रकार काम करने के लिये नियुक्त किये गये हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : वेतन आयोग ने वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की हैं, उन की कार्यान्विति के सम्बन्ध में फैडरेशन के प्रतिनिधियों से बात चीत करने के लिये डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक के दफ्तर में एक विशेष पदाधिकारी को यह कार्य सौंपा गया है और उस की सहायता के लिये एक असिस्टेंन्ट इंजीनियर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन :** इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** जितनी जल्दी संभव हो सकेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि विभिन्न संघों तथा फैडरेशन ने यह निवेदन किया है कि उन्हें सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्य रूप से अंशदान करने के लिये बाध्य न किया जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं ने उन से यह कह दिया है कि मैं मंत्रि-परिषद् के निर्णय की उपेक्षा नहीं कर सकता । परन्तु फिर भी हम उन की आशंकाओं को दूर करने का यत्न करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यदि अनिवार्य भविष्य निधि योजना को जारी किया गया तो उस से कर्मचारियों के वेतन में पहले से भी कमी हो जायेगी । इस के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** यदि भविष्य निधि काट लेने के बाद उन्हें मिलने वाले वेतन में पहले से कमी हो जायेगी तो हम उन के लिये कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें पहले से भी कम वेतन मिले ।

पश्चिमी जर्मनी में भारतीय किसानों का प्रशिक्षण

†*९४४. **श्री शिवनंजप्पा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी सरकार ने भारतीय किसानों को टुकड़ियों में पश्चिमी जर्मनी के खेतों में ले जा कर जर्मन कृषि प्रविधि में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांडाला पत्तन

†*९४५. **श्री हेम बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया का एक वरिष्ठ पत्तन प्राधिकारी इंजीनियर कांडला पत्तन के विकास के संबंध में, भारत आ रहा है; और

(ख) यदि हां तो वह किन पहलुओं की जांच करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख). लोक सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पत्तन न्यास के मुख्य इंजीनियर और जनरल मैनेजर, कर्नल एफ० डब्ल्यू० ई० टाइडमैन, कोलम्बो योजना सहायता कार्यक्रम के अधीन आस्ट्रेलिया से पत्तन के लिये कुछ उपकरण प्राप्त करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में पत्तन का मुआयना करने के लिये २९ फरवरी, १९६० से २ मार्च, १९६० तक कांडला पत्तन में आये थे। श्री टाइडमैन की कांडला पत्तन के विकास के बारे में मंत्रणा नहीं देनी थी ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस पत्तन के विकास के लिये उपकरण देने के बारे में हमारी सरकार ने आस्ट्रेलिया सरकार से प्रार्थना की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्या इस प्रार्थना की स्वीकृति आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ कर्नल टाइडमैन के प्रतिवेदन पर निर्भर होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : शायद माननीय सदस्य ने विवरण नहीं देखा है । उस में कहा गया है कि विशेषज्ञ कांडला पत्तन के विकास के बारे में मंत्रणा देने नहीं आया था । वह कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कांडला पत्तन के विकास के लिये कुछ आवश्यक उपकरण देने की संभावना का अनुमान लगाने से संबंधित उद्देश्य के लिये भारत आया था ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं ने वक्तव्य पूरी तरह पढ़ा है । उस में कहा गया है कि सरकार ने कुछ उपकरणे देने के लिये आस्ट्रेलिया सरकार से प्राथना की है । में जानना चाहता हूं कि क्या आस्ट्रेलिया सरकार से हमारी सरकार की प्रार्थना की स्वीकृति कांडला पत्तन की संभाव्यता का अनुमान लगाने के लिये आस्ट्रेलिया से भेजे गये कर्नल टाइडमैन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्भर होगी । यदि हां, तो क्या उन्हों ने प्रतिवेदन की प्रति हमारी सरकार को भी दी है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे प्रसन्नता है कि उन्हों ने इसे पढ़ा है किन्तु मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह पत्तन के उपकरण की आवश्यकता और पत्तन की विकास संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर देखें । ये भिन्न हैं । सहायता या और किसी रूप में दूसरे देशों से जहां से संभव होता है, कुछ उपकरण प्राप्त करना सामान्य बात है । विशेषज्ञ ने आ कर पत्तन का निरीक्षण किया और तदुपरान्त पत्तन के संबद्ध अधिकारियों तथा मंत्रालय ने इस मामले के बारे में चर्चा करने के पश्चात एक सूची तैयार की है । यह सूची वित्त मंत्रालय को भेजी जायेगी । ताकि सूची के अनुसार उपकरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या विशेषज्ञ ने कांडला की तेल जैटी और पत्तन में जमा रेत की समस्या का अध्ययन किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं कह चुका हूं कि वह इस काम के लिये नहीं आये थे । यह इंजीनियरी संबंधी मामलों की भिन्न और पृथक समस्या है और उपकरण सम्बन्धी नहीं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कांडला का जो हिस्सा बनने को बाकी था, बड़े जहाजों को रिसीव करने के लिये, वह बन चुका ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राज बहादुर : उस के बनने का काम हाथ में है । चार बर्थस् बन चुकी हैं और दो बर्थस् का काम जारी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इस विशेषज्ञ ने हमें केवल मशीनी उपकरणों के बारे में मंत्रणा दी है ?

†**श्री राज बहादुर :** यह मुख्यतः सामान लादने उतारने का मशीनी उपकरण है । यदि वह चाहें तो मैं इस का ब्यौरा दे सकता हूं ये हैं चलती क्रेनें, फोक लिफ्टें, दो मोटरें, दो मोटरों के ट्रेलर, बिजली की क्वे क्रेनें, रस्सा और जंजीर टैस्ट करने की मशीन और रस्सा जोड़ने की मशीन ।

†**श्री हेम बरुआ :** कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कांडला पत्तन के लिये उपकरण प्राप्त करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वर्तमान योजना के अन्तर्गत इस पत्तन को प्रमुख प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर :** उपकरण कुछ भी हो, हम कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त करने वाले हैं, प्रमुख प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं है । सूची तैयार की जा चुकी है और यदि वित्त मंत्रालय अनुमोदन देगा तो हम प्राप्त कर लेंगे ।

†**श्री पु० र० पटेल :** कांडला पत्तन में रेत मिट्टी जमा होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या उन से इस बारे में कोई मंत्रणा ली गई है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस विशेषज्ञ से नहीं । कांडला में रेत मिट्टी जमा होने की ऐसी कोई समस्या नहीं है । वहां रेती पड़ती है जिसे काला डोरा कहा जाता है जो दूर हटता जा रहा है, उस के कारण पत्तन तक जाने वाले जल-मार्ग समय समय पर बदलते रहते हैं । अच्छी तरह खुदाई के द्वारा उन्हें खुला रखा जाता है ।

मनीआर्डर फार्मों की कमी

†*९४६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में बम्बई क्षेत्र में मनीआर्डर फार्मों की कमी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका कारण क्या है ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस विषय में समाचारपत्रों में प्रकाशित प्रतिवेदन की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनका खण्डन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुब्बरायन :** समाचारपत्र सब प्रकार के प्रतिवेदन प्रकाशित करते हैं जिनके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं ।

†**श्री जाधव :** क्या यह सच है कि नासिक में जहां वे छापे जाते हैं फार्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

†**डा० सुब्बरायन :** जहां तक मुझे मालूम है, रखने की व्यवस्था है ।

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कार्पोरेशन की 'उधार उड़ान योजना'[1]

†*९४७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० ने भारतीयों के लिये एक 'उधार उड़ान योजना' बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय विमान निकायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जी, हां । बी० ओ० ए० सी० १ मार्च, १९६० से चालू होने वाली 'उधार उड़ान योजना' 'टिकट इन्स्टालमेंट प्लान' जारी कर रही है ।

(ख) एयर इंडिया इन्टरनेशनल' के राजस्वों और यातायात में, जिसकी ऐसी ही योजना चल रही है, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या हमारे विमान निकाय को आर्थिक दृष्टि से कुछ हानि होने वाली है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैंने अभी उत्तर के भाग (ख) में कहा है कि चूकि एयर इंण्डिया इंन्टर-नेशनल की ऐसी ही योजना पहले से चालू है, इसके राजस्वों और यातायात पर कोई प्रतिकूल कुप्रभाव पड़ने की सभावना नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सरकार ने प्रत्याभूति उड़ान योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस विषय में भारत सरकार कोई प्रयत्न नहीं करती । किन्तु एयर इण्डिया इन्टरनेशनल द्वारा सप्ताह में एक बार इस योजना का विज्ञापन दिया जाता है । जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिये उन्होंने प्रबंध कर रखा है । मैं समझता हूं कि एक महीना हुए मैं ने २ या ३ महीनों के आंकड़े भी दिये थे ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) :** एयर इण्डिया इन्टरनेशनल इस देश के बाहर अत्यन्त लोकप्रिय विमान सेवा है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या वे इन उड़ानों के लिये अपने संसाधनों का पूल करने के बारे में ए० आई० आई० और बी० ओ० ए० सी० के बीच कोई बातचीत हुई है ; और यदि हां, तो क्या वह बात चीत पूरी हो चुकी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** विमान निकायों के बीच इस व्यवस्था का प्रश्न बिल्कुल अलग है और इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि बात चीत हुई थी और करार पर अभी विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Credit Flight Scheme.

†**श्री हेम बरुआ :** प्रत्याभूति उड़ान के लिये ए० आई० आई० की ऐसी ही योजना है, इसे ध्यान में रखते हुए बी० ओ० ए० सी० की व्यवस्था के मुकाबले में हमारी व्यवस्था कैसी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** वे प्राय: एक सी हैं, २० प्रतिशत कम, और अधिक से अधिक लगभग १२ से १५ महीनों तक की इन्स्टालमेंट ।

चीनी की प्राप्ति

†*९४८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि इस साल, उत्तर बिहार के मिलों की चीनी का उत्पादन गिर गया है ;

(ख) क्या उत्तर बिहार में उत्पन्न गन्ना के अन्दर कुछ खराबी होने के कारण ऐसा हुआ है ;

(ग) क्या चीनी की कम 'रिकवरी' के कारण मालूम करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष १५ फरवरी तक औसतन उत्पादन कैसा रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). इस मामले में बिहार सरकार जांच कर रही है ।

(घ) उत्तर बिहार की फैक्टरियों में पिछले वर्ष ९.८१ प्रतिशत था और इस वर्ष ९.३६ प्रतिशत ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** उत्तर बिहार में गन्ने से चीनी बहुत कम निकली है इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार बिहार सरकार को कोई नये प्रकार के गन्ने उत्पन्न करने के बारे में मंत्रणा देने का विचार करती है, जो प्रति एकड़ अधिक पैदा हो और जिसमें चीनी की मात्रा अधिक हो ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह हमारे लिये चिंता का विषय है । वास्तव में हम ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । राज्य सरकार और केन्द्रीय गन्ना समिति इसके लिये हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं कि गन्ने से अधिक चीनी निकले । इस वर्ष की गिरावट सूखे के कारण है और राज्य सरकार भी इसके कारणों की अग्रेतर जांच कर रही है ।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में पैदा होने वाले सब प्रकार का गन्ना लाली रोग से प्रभावित होता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कुछ हद तक गन्ने में लाली रोग का प्रभाव होता है । परन्तु यह कहना सर्वथा ठीक नहीं कि धीरे धीरे गरावट आ रही है । १९५६–५७ में ९·४१ प्रतिशत १९५७–५८ में ९.८८ प्रतिशत और १९५८–५९ में ९.८१ प्रतिशत चीनी निकली थी और १९५९–६० में चीनी प्राप्ति में गिरावट मुख्यतया सूखा और लाली रोग के कारण थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि गन्ने का कम मूल्य होने के कारण किसान गुण प्रकार की अपेक्षा मात्रा की अधिक परवाह करते हैं । यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** यह सच नहीं है। वास्तव में मूल्य बिल्कुल ठीक है, और इसी कारण सीमान्त भूमि पर भी गन्ना बोया जा रहा है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या यह सच है कि 'रिकवरी' में कमी होने के कारण, चीनी का कुल उत्पादन उत्तर बिहार में गिर गया है?

†**श्री अ० म० थामस :** जी, नहीं, इस वर्ष यह पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि मिलों के रिकार्ड में जो आंकड़े हैं अभी उनकी उपेक्षा चीनी कहीं अधिक पैदा होती है? यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्रवाई की जा रही है कि वहां सही आंकड़े लिखे जाऐं?

†**श्री अ० म० थामस :** हमें ऐसा मालूम नहीं हुआ।

अगरतला के लिये पीने के जल की व्यवस्था

†*९५०. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला नगर जल संभरण योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहां की नगरपालिका को दी गई लगभग ११ लाख रुपये की राशि सरकार को वापिस की जा रही है और जल संभरण योजना, जिले दूसरी पंच वर्षीय योजना में तैयार हो जाना था, क्रियान्वित नहीं की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री रामकृष्ण गुप्त यहां नहीं हैं। यदि माननीय मंत्री एक मिनट भी लेट होते हैं तो माननीय सदस्य इसका कारण पूछ लेते हैं? किन्तु यदि कोई सदस्य यहां होता है और बीच में चला जाता है तो कोई उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहता।

कनाडा से गेहूं

†*९५२. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा भारत को ७० लाख डालर का गेहूं देने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता में से किन राज्यों को गेहूं दिया जाएगा?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां, सितम्बर १९५९ में भारत ने १९५९-६० के लिये कोलम्बो योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कनाडा से गेहूं खरीदने के लिये ७० लाख डालर का आवंटन प्राप्त किया। इस राशि से खरीदी गई कुल गेहूं १ फरवरी १९६० तक भारत पहुंच गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) गेहूं का आवंटन विदेश से आए गेहूं के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि राज्यों की आवश्यकताओं और निकटतम डिपुओं तथा पत्तनों में उपलब्ध स्टाक के आधार पर किया जाता है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार १९६०–६१ में कनाडा से और गेहूं मांगने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत यह भी उन देशों पर छोड़ दिया गया है जो आवंटन करने के लिये भागीदार है । वास्तव में कनाडा सरकार समय समय पर कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आवंटन करती रहती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत सरकार ७० लाख डालर का यह ऋण, अनुदान या सहायता किस प्रकार चुकायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले में वापिस देने का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल अनुदान है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : कनाडा की गहूं गुण प्रकार में बेहतरीन भारतीय गेंहूं की तुलना में कैसी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : तुलना में यह अच्छी है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : १९६०–६१ के लिये भारत को कितने गेहूं की आवश्यकता होगी, और हमारे पास कितनी कमी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस वर्ष हमने लगभग ४० लाख टन बांटी है और यह ३० लाख टन से ४० लाख टन के लगभग होगी ?

†**श्री पु० र० पटेल** : इस गेहूं का उतरने का मूल्य क्या होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : उतरने के मूल्य के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : गेहूं की आवश्यकता के मुकाबले में कितनी कमी होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है लगभग ४० लाख टन ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि यह कनाडा से जो हम को व्हीट की ग्रांट मिली है तो ऐसी ग्रांटें और भी किसी देश से मिली हैं और अगर मिली हैं तो किन किन देशों से मिली हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : निस्सन्देह, हम इस प्रकार के अनुदान की संभावना का विचार नहीं कर रहे हैं । विशेष निबंधनों के अन्दर हम खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह गेहूं भारतीय जहाजों द्वारा आएगा या विदेशी जहाजों द्वारा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह नौवहन की उपलब्धि पर निर्भर है । यदि भारतीय जहाज उपलब्ध होंगे तो हम निश्चय ही उनका लाभ उठायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इल्युशीन-१८ विमान

†*९५४. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वि० दास गुप्त :
श्री शिवनंजप्पा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूसी इल्युशीन-१८ विमानों को भारत को बेचे जाने के बारे में प्रस्ताव किया गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : भारत और रूस के बीच १९६० की व्यापार योजना बनाते समय रूस से विमान और हैली काप्टर खरीदने के लिये प्रस्ताव किया गया था । यह विचाराधीन है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या यह विमान संसार में इसी प्रकार के अन्य विमानों की अपेक्षा सस्ता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं मुल्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अभी इस पर प्रारंभिक रूप में विचार किया जा रहा है ।

रेल दुर्घटना का टलना

+

†*९५५. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे पर झाझा और जमुई के बीच २९ फरवरी, १९६० को एक भारी दुर्घटना होते होते बची जब कि ७ अप तूफान एक्सप्रेस के इंजन का प्रोपलर टूट गया जब कि गाड़ी बडी तेज़ गति से चल रही थी ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ ;

(ग) क्या इस दुर्घटना की जांच की गई ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख). इसे दुर्घटना का टलना नहीं कहा जा सकता । स्त्रपुर और जमुई स्टेशनों के बीच २४१।१५ मील पर इंजन के लफ्टरिटर्न क्रैंक फ्रक्चर होने के कारण, इंजन फेल हो गया था ।

(ग) तथा (घ). रिटर्न क्रैंक के फ्रेक्चर के कारण की जांच की जा रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इंजन में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई और उस स्थान से गाड़ी चलाने में कितने घंटे लगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा मैं ने कहा यह इंजन के लैफ्ट रिटर्न क्रैंक का फ्रैक्चर था ; और गाड़ी तीन चार घटे रुकी रही ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार का ध्यान कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है कि दुर्घटना बचा ली गई और क्या मामले की जांच की गई है ?

†**श्री से० वें० रामस्वामी** : उन्हें प्रविधिक बातों का ज्ञान नहीं है । यह बचा ली गई दुर्घटना नहीं थी । यह इंजन फेल होने का मामला था, जिस की जांच की जा रही है ।

रेल गाड़ियों के डिब्बे में शव का मिलना

†*९५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ मार्च, १९६० को रेलवे पुलिस ने आगरा में बरेली यात्री गाड़ी के तृतीय श्रेणी के डिब्बे से एक बक्स में १६ वर्षीय लड़के का शव प्राप्त किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को ले कर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस रेलवे लाइन पर अपराधों में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस की रोक थाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के संबंध में अभी तक कोई पकड़ा धकड़ी क्यों नहीं हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं इस का जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि पकड़ा धकड़ी तो पुलिस करेगी, रेलवे नहीं करेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्रालय ऐसे अपराधों की जांच पड़ताल करता है या अपराध का पता लगने पर वह पूर्णतया रेलवे पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया जाता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम मामलों की प्रगति से अवगत रहने का भरसक प्रयत्न करते हैं परन्तु प्रायः पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती क्योंकि संभव है कि उन की जांच पड़ताल या न्यायालय में अभियोग चलाने पर इस का प्रतिकूल प्रभाव पड़े । परन्तु जो भी सूचना वह देते हैं हम उसे धन्यवाद स्वीकार करते हैं अर हम उन के सम्पर्क में रहने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जांच पड़ताल में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : आजकल उपलब्ध जानकारी से विदित होता है कि हत्या रेलवे-हाते के बाहर हुई थी और शव को काट कर बक्स में बन्द कर के रेलगाड़ी में रख दिया गया था । शव परीक्षा से यह निश्चित हो गया है कि हत्या गला घोंटने से हुई थी । हमें केवल इतना ही विदित है । व्यक्ति के हाथ के अगले भाग पर 'जितेन्द्र' नाम लिखा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह पता लग गया है कि यह बक्स रेलगाड़ी में किस स्टेशन पर रखा गया था ?

†श्री शाहनवाज खां : पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है ।

दिल्ली म भूमि विकास सम्बन्धी परिक्रामी निधि[1]

†*९५८. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिल्ली सघ प्रशासित राज्य-क्षेत्र में अर्जित भूमि के विकास के लिये परिक्रामी निधि बनाने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये और इस का कार्य-क्षेत्र व कार्य क्या हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). योजना आयोग ने एक ऐसा सुझाव दिया है । अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†श्री श्रीनारायण दास : इस सम्बन्ध में कब तक निश्चय किया जायेगा ?

†श्री करमरकर : यह धन का प्रश्न है और मेरा ख्याल है कि इस में कुछ समय लगेगा ।

†श्री श्रीनारायण दास : योजना आयोग ने कितने धन का सुझाव दिया है ?

†श्री करमरकर : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। यदि मेरे पास होती तो भी मेरा विचार है कि मामला विचाराधीन होने पर सदन को जानकारी देना उचित न होता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या निधि सम्बन्धी निश्चय करने के लिये मंत्रालय और योजना आयोग की कोई बैठक हुई है, और यदि हां, तो कितनी बैठकें हुई हैं ?

†श्री करमरकर : हम इस का कोई हिसाब नहीं रखते कि योजना आयोग के साथ हमारी कितनी बैठकें हुई हैं । ये तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप में होती ही रहती हैं । यह मामला महत्वपूर्ण है और हमारी एक विभागीय बैठक हुई है । अब हम विभागीय बैठक के सुझाव पर विचार कर रहे हैं । आशा है कि माननीय सदस्य हमें उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिये कुछ समय देंगे ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : परिक्रामी निधि का क्या अर्थ है ?

†श्री करमरकर : हम धन व्यय करते हैं ; हम भूमि का विकास करते हैं ; हम भूमि बेचते हैं और हमें फिर धन प्राप्त हो जाता है । हम फिर उसे व्यय करते हैं । इस प्रकार चलता रहता है ।

†श्री श्रीनारायण दास : इस दृष्टि से कि यह सुझाव योजना आयोग से प्राप्त हुआ है, सरकार इस सम्बन्ध में इतना समय क्यों ले रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1Revolwing Fund.

†**श्री करमरकर** : मुझे खेद है कि उत्तर में योजना आयोग का उल्लेख हो गया । मैं क्षमा-प्रार्थी हूं । जिन निकायों से हम परामर्श लेते हैं उन का हम उल्लेख नहीं करते । सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या परिक्रमण में किसी कठिनाई की आशंका है ?

†**श्री करमरकर** : एक बार हमें धन मिल जाये फिर कोई कठिनाई न होगी ।

†**श्री हेडा** : यदि विकास-कार्य में कुछ लाभ होता है तो वह कहां जाता है ?

†**श्री करमरकर**: : लाभ निधि में जायेगा । सरकार को दिये जाने से उन का प्रयोग लोक-हित में होगा ।

वैकल्पिक आसाम रेलवे सम्पर्क

†*९३३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या रेलवे मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैकल्पिक आसाम रेलवे लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वास्तविक निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) केवल सर्वेक्षण पूर्ण हुआ है । रेलवे प्रशासन को आशा है कि वह शीघ्र ही परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) इस लाइन के निर्माण का निश्चय प्रतिवेदन के प्राप्त होने तथा उस पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किये जाने पर ही हो सकता है ।

†**श्री अमजद अली** : आसाम रेलवे लाइन स्थायीकरण समिति ने अपना प्रतिवेदन १९५६ में प्रस्तुत किया था । अतः प्रतिवेदन सरकार के पास है । उस में क्या सुझाव दिये गये हैं और कौन कौन स्थानों को मिलायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : उत्तर देने के लिये यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस में बहुत समय लगेगा । अनेक वैकल्पिक मार्ग बताये गये हैं और इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नाम बताना बड़ा विस्तृत कार्य है ।

†**श्री बसुमतारी** : प्रस्तावित वैकल्पिक लाइन लगभग कितने मील लम्बी होगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : डोमाहानी से अलीपुर द्वार लगभग ५४ मील और डोमाहानी से बेला कोबा लगभग १० मील अर्थात् कुल ६४ मील ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस दृष्टि से कि वस्तुओं को लाने व ले जाने में तथा व्यक्तियों को आने जाने में कठिनाइयां होती हैं, सरकार ने इस लाइन की पूर्ति में इतना अधिक समय क्यों लिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हमें वह लाइन सुदृढ़ व स्थिर बनानी है और हम उस पर लगभग ६ करोड़ रु० व्यय करेंगे । स्थिर बनाने का कार्य हो रहा है । वैकल्पिक लाइन की पूर्ण जांच होनी है । यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है । मार्ग बहुत कठिन है और उस में अनेक नदियां हैं । इन सब की जांच पड़ताल करने में समय लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह वैकल्पिक लाइन मूल लाइन से भिन्न है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह बेलाकोबा तक आयेगी और वहां से यह डोमाहानी जायेगी और डोमाहानी से अलीपुरद्वार जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस निश्चय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : रेलवे बोर्ड को अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । इस की प्राप्ति पर बोर्ड इस की गहरी जांच करेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह बोर्ड के पास कब आयेगी ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : लगभग इस मास के अन्त तक इस के आने की आशा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस वैकल्पिक आसाम रेल-सम्पर्क के कोई वैकल्पिक प्रस्ताव दिये गये थे तथा उन पर विचार किया गया था ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : सभी विकल्पों पर विचार किया गया है और केवल संभव समझी गई लाइन ही बनाई जायेगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९.** { **श्री हेम बरुआ :** / **श्री गोरे :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष को भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संस्था से २० फरवरी, १९६० का एक पत्र मिला है जिसमें सूचना दी गई है कि उनके १५ अगस्त, १९५९ के संकल्पानुसार संस्था का कोई भी सदस्य कप्तान एच० एल० असरप्पा के साथ उड़ान नहीं करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आशय का तारीख ५ फरवरी, १९६० का (२० फरवरी का नहीं) पत्र मिला है । यह समझ में नहीं आता कि इस समय यह पत्र भेजने का क्या महत्व है क्योंकि मामले की जांच पड़ताल हो रही है । कप्तान रानाडे और कप्तान असरप्पा के आचरण की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त किया जांच अधिकारी अब भी जांच कर रहा है । प्रत्यक्षत: इस पत्र का जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जांच अधिकारी के प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतया मामले की विशेषताओं पर निर्भर होगी । सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि जब तक विमान चालक सेवा में हैं तब तक वे कारपोरेशन के अनुशासन तथा सेवा के नियमों से बंधे हैं । यदि जारी किये गये विधिपूर्वक आदेशों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

की अवज्ञा की जाती है या अनुशासन या अन्य आचरण नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कारपोरेशन ऐसे मामले में नियमों में उचित उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। इस प्रसंग में किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की व्यक्तिगत पसन्द कि वे किस के अधीन या साथ काम कर सकते हैं, असंगत है। पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इसकी आवश्यकता ही न थी। मैं यह भी बता दूं कि नियुक्त किये गये अधिकारी ने जांच समाप्त कर ली है और प्रबन्ध शीघ्र ही उस जांच के बारे में आदेश देगा।

†**श्री हेम बरुआ** : वाणिज्यिक विमान चालक संस्था ने १७ अगस्त, १९५९ को जो संकल्प स्वीकार किया था उसे भेजने के अतिरिक्त क्या उन्होंने यह निश्चय करने के कारण दर्शाने वाला कोई ज्ञापन-पत्र भी भेजा था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : कोई और ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है, उस का मुझे ज्ञान नहीं है। सम्भव है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को वह प्राप्त हुआ हो। परन्तु जांच पड़ताल अधिकारी समूचे मामले पर विचार कर रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस वाणिज्यिक विमान चालक संस्था ने यह भी बताया है कि यदि उनके संकल्प पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो वे भविष्य में क्या कार्यवाही करेंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह तो प्रश्न में ही सम्मिलित है।

†**श्री साधन गुप्त** : कप्तान असरप्पा के किस आचरण की विमान-चालकों ने शिकायत की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं सदन को याद दिला दूं कि विमान चालकों ने १५ अगस्त, १९५९ को हड़ताल की थी। बाद में इस सदन में वक्तव्य दिया गया था कि एक उड़ान में कप्तान रानाडे और कप्तान असरप्पा में 'फ्लाइंग डैक' में कुछ झगड़ा हो गया था। समूचे प्रश्न की जांच पड़ताल हो रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या हम यह समझें कि वाणिज्यिक विमान चालकों का यह निश्चय गिल्डर प्रश्न से सम्बन्धित है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : नहीं, श्रीमान।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में तिलहन की कमी

९३४. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में तिलहन की कमी है और उनके मूल्य बहुत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में मूंगफली की खेती के बारे में विचार कर रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मूंगफली की खेती को उचित क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने का कार्य पहले ही से हो रहा है।

रेलवे संरक्षण बल के सदस्यों द्वारा चोरी

†*९३६. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यक्तियों ने रेलवे संरक्षण बल के दो कर्मचारियों को २ जनवरी, १९६० को बम्बई में माल यार्ड में वस्तुओं की चोरी करते हुए पकड़ा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) वे मध्य रेलवे पर चोरी के अपराध में विगत चार मासों में रेलवे संरक्षण बल के कितने कर्मचारी पकड़े गये हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २-१-६० से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। १-१-६० को बाडी बन्दर गुड्स डिपो में एक बोरी में से लौंग निकालते हुए मध्य रेलवे के दो रक्षकों को उनके पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने पकड़ा था। दाण्डिक अभियोजन के लिए रक्षक सरकारी रेलवे पुलिस को सौंप दिये गये थे।

(ग) १-९-१९५९ से ३१-१२-१९५९ तक चोरी के मामलों में सम्मिलित मध्य रेलवे पर रेलवे संरक्षण बल के १३ कर्मचारी पकड़े गये।

(घ) सात कर्मचारियों के मामले सरकारी रेलवे पुलिस को दिये गये और शेष छः कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ हो गई है।

त्रिपुरा में पुल

†*९३८. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोवाई तेलियामुआ सड़क के नदी खोवाई पर, उदमपुर-बिसरगंग सड़क के नदी गोमती पर, उदयपुर-बेलोविया सड़क के मुहुरी नदी पर, और कैलाशर-विनेरघाट सड़क नदी राइन देव पर पुल का निर्माण त्रिपुरा के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण संचार-व्यवस्था में उनके महत्व की दृष्टि से उन्हें प्राथमिकता देगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). नदी मुहरी पर उदयपुर–बेलोनिया सड़क के पुल का निर्माण संभवतः तृतीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित होगा। अन्य तीन पुलों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष (१९६०-६१) में आरम्भ होगा और २-३ वर्ष में पूरा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयम्बटूर में रेडियो आईसोटोप प्रयोगशाला

†*९३९. **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
श्री पार्वती कृष्णन्

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कोयम्बटूर मद्रास में रेडियो-आइसोटोप प्रयोगशाला खोलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित होगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नजफगढ़ झील

*९४२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राधा रमण :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ झील से सिंचाई का काम लेने की जो योजना बनाई जा रही थी उसका विचार छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद और कलकत्ता के बीच तेज चलने वाली रेलगाड़ी

†*९४९. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सौराष्ट्र एक्सप्रैस में लगने वाले वीरम-गांव हावड़ा के डिब्बे में अधिक भीड़ होने और प्रस्तावित गुजरात राज्य के बनने की दृष्टि से अहमदाबाद और कलकत्ता के बीच नागपुर हो कर एक तेज सीधी जाने वाली रेल गाड़ी चलने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो रेल गाड़ी कब से चलना आरम्भ होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जगाधरी रेलवे वर्कशाप का विस्तार

†*९५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगाधरी रेलवे कारखाने का विस्तार करने की योजना निश्चित हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

---

†नूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) ३.३२ करोड़ रुपये की योजना में चार पहियों के ८ यात्री डिब्बों और चार पहियों के ४० माल डिब्बों का समय समय पर ओवर हाल करने की दैनिक क्षमता की व्यवस्था है।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन

९५३. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली ने "उत्तम बीज से खेती करो और अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के अन्तर्गत कितने गांव और कितने एकड़ भूमि लाई गई है; और

(ग) इस आन्दोलन के अन्तर्गत काश्तकारों को क्या सुविधायें दी गई हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). जी नहीं। लेकिन भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली, ५४ गांवों की लगभग ५०,००० एकड़ भूमि, में रबी उत्पादन आन्दोलन में भाग ले रही है।

(ग) रबी उत्पादन आन्दोलन के अन्तर्गत कृषकों को निम्न सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं :—

(१) गेहूं की सुधरी किस्मों का प्रदर्शन
(२) उर्वरक प्रयोगों का प्रदर्शन
(३) सुधरे हुए औजारों और कृषि सम्बन्धी प्रयोगों का प्रदर्शन
(४) चूहों का नियंत्रण
(५) कीटों और बीमारियों का नियंत्रण

दिल्ली में चने की फसल

*९५६. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मौसम में वर्षा न होने के कारण दिल्ली में चने की फसल नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में किन-किन भागों पर इस का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस से कितनी हानि पहुंचने की आशंका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां, लगभग ८० प्रतिशत तक।

(ख) सब गावों पर असर हुआ है।

(ग) १२,००० टन।

रेलवे इंजिन, डिब्बे, आदि

†१२१६. **श्री बी० चं० शर्मा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में भारतीय रेलों की बड़ी लाइनों के लिये कितने रेलवे इंजिनों, डब्बों, आदि की आवश्यकता होगी;

(ख) बड़ी लाइनों के लिये अपेक्षित कितने इंजिनों, डिब्बों, आदि का १९५७–५८ से १९५९–६० तक देश में निर्माण हुआ; और

(ग) १९५७–५८ से १९५९–६० तक विदेशों से कितने इजिनों, डिब्बों, आदि का आयात हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे इजिन।

भाप	१७४
डीजल	३२
विद्युत्	१०७

डिब्बे : १२९०

(गाड़ियों के रूप में)

ई० एम० यू० स्टाक : ७१

वेवन :(चार पहियों के रूप में) २२०६१

(ख) इंजिन डिब्बे आदि	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६० (दिसम्बर, १९५९ तक)
इंजिन भाप .	१६४	१६५	१२८
डिब्बे : (डिब्बों के रूप में) .	७६२	९४३	८१२
ई० एम० यू० स्टाक : .			१८
वैगन : (चार पहियों के रूप में) .	१३२४६	११०३३	७३७५

मूल अंग्रेजी में

(ग) इंजिन, डिब्बे, आदि (बड़ी लाइन)	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६० (दिसम्बर, १९५९ तक)
इंजिन :			
भाप	२८	३०	१४
डीजल	२०	७१	९
विद्युत्	१२	३	१
डिब्बे : (गाड़ियों के रूप में)	..	..	
ई० एम० यू० स्टाक :	१४१	८३	..
रेल कार	१२	१२	..
वैगन : (चार पहियों के डिब्बों के रूप में)	४९४४	६७७	५

रेलों में भ्रष्टाचार

†१२१७. **श्री चुन्नी लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल कर्मचारियों के उन कदाचारों की जांच पड़ताल की है जिन की सूचना अमृतसर के रेलवे माल कार्यालय के माल क्लरकों ने हाल में ऊतर रेलवे अधिकारियों को दी थी; और

(ख) रेलवे राजस्व में कमी होने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) माल गोदाम के कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं संबंधी आरोपों की सूचना प्रशासन को केवल १८-२-६० को दी गई थी और आज कल इन की जांच पड़ताल हो रही है ।

(ख) वाणिज्य विभाग, के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली नियमित जांच और पड़ताल के अतिरिक्त लेखा परीक्षा, लेखा तथा सतर्कता संगठन भी राजस्व में कमी होने के मामलों का पता लगाने के लिये विधिपूर्वक जांच करते हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां आवश्यक निवारक कार्यवाही की जाती है ।

दक्षिण रेलवे का भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन

†१२१८. **श्री मो० वें० कृष्ण राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन द्वारा १९५९-६० में कितना काम किया गया है ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १९५९-६० में (२९-२-६० तक) गुमनाम और छद्मनाम से ७४७ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जिन को दक्षिण रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा निबटाया गया था। जहां कहीं भ्रष्टाचार के विशिष्ट उदाहरण जानकारी में लाये गये थे उन की जांच की गयी थी ।

२. १-४-५९ को सतर्कता संगठन द्वारा विभागीय कार्यवाही करने के लिये विभिन्न विभागों में १११ मामले लम्बित थे, ऐसा बताया गया है । १९५९-६० में (२९-२-६० तक) विभागीय कार्यवाही के लिये १०० मामले भेजे गये थे । १-३-१९६० तक विभागों द्वारा ११२ मामलों में अन्तिम निर्णय किया गया था और ९९ मामलों में अभी अन्तिम निर्णय होना बाकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. १९५९–६० में (२९-२-१९६० तक) विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये मामलों में निम्नलिखित दण्ड दिये गए :—

पदच्युति	८
नौकरी से अलग करना	८
पदावनति	१३
वेतन वृद्धि और पासों को रोकना	९६
अन्य मामूली दण्ड	४७
योग	१७२

रेलगाड़ियों की रफ्तार

†१२१९. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में निदादालू-नरसपुर लाइन पर रेल गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : की गई कार्यवाही ये हैं:—

(१) सैक्शन पर रफ्तार बढ़ाने के लिये मूरम की गिट्टी की जगह पत्थर की गिट्टी बिछाने की व्यवस्था करना;

(२) चुनी हुई रेलगाड़ियों के रुकने की जगहों में कमी करना;

(३) रेलगाड़ियों के समय को बदलना जिस से एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी क्रास करने में जो समय लगता है उस में कमी की जा सके ।

कठुवा सहायक नहर[१]

†२२२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कठुआ सहायक नहर के बनाने में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा कठुआ सहायक परियोजना पर नवम्बर, १९५९ के अन्त तक २३.९१ लाख रुपया खर्च किया गया है ।

दिल्ली में मत्स्य पालन का विकास

†१२२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिल्ली राज्य को मत्स्य पालन के विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) इस काल में दिल्ली में वास्तव में कुल कितनी राशि खर्च की गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Kathua feeder Canal.

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान में अब तक दिल्ली को कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(घ) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) मछली पकड़ने के विद्यमान तरीकों में सुधार करने, फिलहाल बेकार पड़े जल क्षेत्रों में मत्स्य पालन करने, वैज्ञानिक उन्नत तरीकों से मछली पैदा करने और व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) २.४ लाख रुपये ।

(ख) १.९५ लाख रुपये ।

(ग) ७.५४३ लाख रुपये ।

(घ) ०.५४ लाख रुपये ।

(ङ) झील मत्स्य पालन योजना के विकास के अन्तर्गत बवाना के निकट गंगाटोली में २५ एकड़ बेकार पड़ी भूमि पर मछली पैदा की जा रही है । तालाबों को गहरा किया जा रहा है और उन में गाय के गोबर आदि की खाद दी जा रही है । केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता में प्रशिक्षण और पुनरभ्ययन पाठ्यक्रमों की जो सुविधायें उपलब्ध हैं उन का उपयोग किया जा रहा है ।

त्रिपुरा में कृषि संबंधी ऋण

†१२२२. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कृषि संबंधी ऋण के रूप में ३,७६० आवेदकों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) प्रत्येक आवेदक को अधिकतम और न्यूनतम कितनी राशि दी गई थी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलों पर खोमचे वाले और खान-पान व्यवस्था करने वाले

†१२२३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोमचे वालों और खान-पन व्यवस्था करने वालों पर बहुत दिनों से बहुत राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन पर दो वर्ष या उस से अधिक काल से ५,००० रुपये से अधिक राशि बकाया है;

(ग) क्या भुगतान न करने वालों पर कुछ जुर्माना आदि किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस राशि की वसूली करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भिन्न-भिन्न समय की कुछ राशि बकाया है।

(ख) उन ठेकेदारों के नाम जिन पर दो साल से अधिक समय से ५,००० रुपये से अधिक राशि बकाया है। बकाया राशि को वसूल करने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही

क्रम संख्या	रुपये
१. मेसर्स ईश्वर दास एण्ड सन्स	४२,११३.५५
२. मेसर्स राम सरन प्रसाद एण्ड सन्स	३९,२३६.०७
३. मेसर्स इण्डियन रेलवे केटरिंग कम्पनी	१९,३६९.००
४. मेसर्स एच० पी० नाग एण्ड ब्रदर्स	१२,८५१.७२
५. मेसर्स गुनेश लाल एण्ड कम्पनी	९,५५९.९५
६. श्री लगन देव सिंह	७,७३६.००

(ग) और (घ) यह बकाया राशि सामान्यतः लाइसेन्स शुल्क, बिजली और पानी आदि के बारे में है। कुछ फर्में भुगतान किस्तों में कर रही है। कुछ अन्य मामलों में बकाया राशि को वसूल करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है जिस में जमा की गई जमानत तथा अन्य ऋणों का समायोजन भी शामिल है जो कि ठेकेदारों को तथा विधिक कार्यवाही के लिये उपलब्ध हो सकती है।

कुछ मामलों में जितनी राशि का दावा किया गया है उस पर ठेकेदारों ने आपत्ति की है तथा सही सही बकाया राशि का पता लगाने के लिये उस की जांच की जा रही है।

स्टेशनों पर खोमचे और खान पान व्यवस्था

†१२२४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि सरकार ने ये निदेश जारी किये हैं कि किसी भी एक ठेकेदार को खोमचे और खान-पान व्यवस्था के लिये दो से अधिक दुकानें आदि नहीं लगाने दी जायेंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समान्यतः इन निदेशों का पालन नहीं किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि ठेकेदारों को अधिक दुकानें आदि मिल जाने पर वे उन्हें किराये पर दे देते है।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी नहीं किन्तु जिन रेलवे प्रशासन को ये निदेश जारी किये गये हैं कि किसी एक ठेकेदार को दो स्टेशनों से अधिक स्टेशनों पर खान-पान व्यवस्था करने और/अथवा खोमचे लगाने का ठेका न मिल सके और इस प्रकार इन स्टेशनों पर यदि किसी रेस्तरां अथवा उपहार कक्ष का ठेका उस के पास हो तो उस के अलावा उस के पास चार से अधिक दुकानें आदि नहीं होनी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं। जिन निदेशों का उल्लेख किया गया है वे हाल ही में जारी कर दिये गये हैं और जो रेलों द्वारा कार्यान्विति के विभिन्न प्रक्रमों में हैं।

(ग) अधिक दुकानों को मिल जाने का परिणाम सदैव यही नहीं होता कि उन्हें किराये पर उठा दिया जाता हो।

ठेकेदार जो करार करते है उन में यह शर्त रहती है कि ठेका किसी और को नहीं दिया जायेगा, जिस का कड़ाई से पालन किया जाता है और जिन मामलों में वह यह सिद्ध हो जाता है कि यह ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है तो बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये उसे समाप्त किया जा सकता है।

सिंचाई की योजनायें

†१२२५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५० में राष्ट्रीय योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि भारत की २५७ सिंचाई योजनायें जिन पर लगभग १,९०० रुपया खर्च होगा, आगामी पन्द्रह वर्षों में पूरी की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५९–६० तक बड़ी, मध्यम और छोटी कितनी योजनायें पूरी की गईं;

(ग) इन योजनाओं पर कितना व्यय हुआ ;

(घ) क्या लक्ष्य की पूर्ति समय के भीतर हो जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कठिनाईयां हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ङ). योजना आयोग ने अक्तूबर, १९५० में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया था कि भारत में सिंचाई और विद्युत के विकास का आयोजन विशद रूप से पन्द्रह वर्षों के लिये इस धारणा पर किया जाना चाहिये कि पहले पांच वर्षों के लिये जो योजना बनाई गई है, वह सामान्य पंच वर्षीय योजना का एक अंग होगी। पन्द्रह वर्ष की योजना की रूपरेखा बनाने का विचार यह था कि उसमें २५७ नदी घाटी परियोजनायें जिन पर लगभग १,९०० करोड़ रुपया खर्च होगा और जिससे ४ करोड़ एकड़ की सिंचाई और लगभग ७ करोड़ किलोवाट जल विद्युत तैयार करने की क्षमता होगी, शामिल की जायेंगी। यह विचार पूरा नहीं हो सका और सिंचाई और विद्युत के विकास के लिये बाद को सम्पूर्ण देश के लिये अन्तिम अथवा ठोस रूप में कोई भी १५ वर्षीय योजना नहीं तैयार की गईं।

बड़ी सिंचाई योजनायें (प्रत्येक पर ५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय वाली) और मध्यम योजनायें (प्रत्येक पर १० लाख और ५ लाख रुपये के बीच व्यय वाली) जो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ की गईं और दिसम्बर, १९५९ तक पूरी की गईं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

---

†मूल अंग्रेजी में

	बड़ी योजनायें	मध्यम योजनायें	योग
(१) दिसम्बर, १९५९ तक पूरी की गई योजनाओं की संख्या	६	१९६	२०२
(२) दिसम्बर, १९५९ तक पूरी हुई योजनाओं का व्यय	लागत के अन्तिम आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं		

द्वितीय योजना काल के अन्त तक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा प्रथम और द्वितीय योजनाओं में सिंचाई सुविधायें उत्पन्न करने का लक्ष्य १६७ लाख एकड़ रखा गया था जब कि वास्तव में १ करोड़ ३० लाख एकड़ पर सिंचाई की सुविधायें में उपलब्ध की जाने की संभावना है । यह २२ प्रतिशत कमी जांच पड़ताल, सर्वेक्षण, डिज़ाइन तैयार करने तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जितने टेक्निकल व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसमें कमी के कारण प्रमुख रूप से हैं ।

उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना

१२२६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है और अब तक केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में कितनी सहायता दी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : राम गंगा परियोजना पर सितम्बर, १९५९ के अन्त तक हुई प्रगति निम्नलिखित है :—

(क) कंक्रीट का पुल . . कार्य का ६४.५ प्रतिशत भाग पूरा किया गया ।

(ख) छेदन कार्य (ड्रिलिंग) . कार्य का ६३.६ प्रतिशत भाग पूरा किया गया ।

(ग) औजारों की उपलब्धि . कार्य का ६१.७ प्रतिशत भाग पूरा किया गया

जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, १९५९–६० में विविध विकास योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण देने के लिये ४५४.७४ लाख रुपये की राशि नियत की गई है । ये योजनाएं साथ ही साथ राम गंगा परियोजना को भी सम्मिलित करती हैं । इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृति शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

डाक तथा तारघर

१२२७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० के आय-व्ययक में डाकघर, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफान कार्यालय खोलने के लिये कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) प्रत्येक मद के लिये प्रत्येक परिमण्डल को कितनी-कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) यह राशि किन आधारों और सिद्धान्तों के अनुसार दी गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) १९५९–६० के बजट में डाकघर, तारघर, टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये नियत की गई राशियां इस प्रकार हैं :—

(१) डाकघर खोलने के लिये .	. ८ लाख
(२) तारघर खोलने के लिये .	. १६ लाख
(३) टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिये . .	. ३६ लाख
(४) सार्वजनिक टेलीफान घर खोलने के लिये .	. ३२ लाख

(ख) उक्त सूचना संलग्न विवरण-पत्रों में दी गई है [**देखिये परिशिष्ठ २, अनुबन्ध संख्या ७८**]

(ग) नये डाक व तारघर, टेलीफोन केन्द्र व सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये सिद्धान्त लागू किये गए हैं। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर इन विभिन्न दफ्तरों को खोलने की संभावना का अनुमान लगाकर परिमण्डलों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार राशियां नियत कर दी जाती हैं।

रेलवे पर मोचियों को लाईसेंस देना

†२२२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे की सीमा में अपना काम करने के लिये मोचियों को लाइसस देने का कोई विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : उन मोचियों को, जो कुछ स्टेशनों पर तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों में अथवा उसके निकट यात्रियों की आवश्यकता बहुत दिनों से पूरी करते हैं आ रहे हैं, सताये जाने से रोकने की दृष्टि से रेलवे प्रशासन को ये निदेश जारी कर दिये गए हैं कि वह उन्हें अपना काम जारी रखने के लिये लाइसेंस जारी कर दे।

अण्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो द्वारा इमारती लकड़ी की नीलामी

†१२२९. **श्री रामेश्वर टाटियां** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो द्वारा १७० मन इमारती लकड़ी को फिर से नीलाम किये जाने के बारे में ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). जैसा कि २०-११-५० को लोक-सभा मे तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर में आश्वासन दिया गया था, ब्यौरेवार जानकारी १५-२-६० को प्राप्त हुई थी। जांच करने पर पता चला कि २०-११-५९ को दिये गये आश्वासन का उत्तर देने के लिये यह जानकारी कई पहलुओं से अधूरी थी। अत : ४-३-६० को और पूछताछ की गयी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सौदे के बारे में ब्यौरा कलकत्ते में एक कार्यालय में है और दिल्ली, अण्डमान द्वीपसमहों और कलकत्ता के बीच पत्र व्यवहार होना है, जांच के पूरा होने में कुछ समय लगेगा। पूरे तथ्य प्राप्त होते ही पूरी जानकारी सभा पटल पर रख दी जावेगी।

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में भावर घास

१२३०. **श्री पद्म देव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में जो भावर घास लगायी जा रही है उसमें कहां तक सफलता मिलने की संभावना है ; और

(ख) वर्ष १९५९–६० में अब तक इस पर कितना खर्च किया जा चुका है और इससे कितनी आय हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) नाहन और बिलासपुर वन विभागों में भावर घास के प्रवर्धन से संतोषजनक परिणाम निकले हैं । यह ऊंचे स्थानों पर पैदा नहीं होती तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ दूसरे विभागों के उचित क्षेत्रों में इसका परीक्षण किया जायेगा ।

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, १९५९ तक १६,२६८ रुपये खर्च हुए हैं । १९५९–६० में भावर घास के एक्सट्रेक्शन से लगभग २८,००० रुपये की रायल्टी की आशा है ।

बिजली से चलने वाले रेल के इंजन

†१२३१. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की अवधि के लिये बिजली से चलने वाले रेल के इंजनों की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सीधी जाने वाली गाड़ियों के लिये ११२ ए० सी० रेलवे इंजन । मध्य रेलवे पर अतिरिक्त यातायात के लिये २२ डी० सी० रेलवे इंजन ।

बम्बई को फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण

†१२३२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५९–६० में बम्बई सरकार को फ़ार्म में उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई अल्प-कालीन ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस ऋण का क्या स्वरूप है और उसकी धनराशि कितनी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख) वर्ष १९५९–६० में बम्बई सरकार को उर्वरकों और बीजों के क्रय और वितरण के लिये ३३ लाख रुपये का एक अल्प-कालीन ऋण आवंटित किया गया था । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने हमें बताया कि उन्हें किसी अल्प कालीन ऋण की आवश्यकता नहीं है और फिर उन्हें कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय श्रेणी के यात्रियों को सुविधायें

†१२३३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को कुछ और सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). निम्नलिखित सुविधायें उन स्टेशनों पर कार्यक्रम के अनुसार दी जा रही हैं जहां वे अभी नहीं है :

१. प्रतीक्षालय

२. बेंचें

३. प्रतीक्षालय और बुकिंग आफिस में बिजली लगाने की उचित व्यवस्था।

४. पीने के पानी का संभरण

५. सुधरे हुए तरीकों के पाखाने

६. पक्के बने हुए प्लेटफार्म

७. बुकिंग की उचित व्यवस्था

८. छायादार वृक्षों का रोपण

इनके अतिरिक्त, कुछ अन्य स्टेशनों पर, उनके महत्व को देखते हुए प्रतीक्षालय कक्ष, प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने, समूचे लेप्टफार्म या उसके कुछ भाग पर छत डालना आदि अतिरिक्त सुविधायें भी दी जाती है।

प्रत्येक रेलवे की रेलवे उपभोक्ता सुविधा समिति उस रेलवे पर दी जाने वाली सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करती है और वह इस बात का निर्णय करती है कि उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए किसी स्टेशन पर कौन सी सुविधायें दी जानी चाहियें और किस सुविधा को प्राथमिकता दी जाये। उनकी सिफारिश के अनुसार प्रत्येक रेलवे में प्रतिवर्ष सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्यक्रम बनाया जाता है।

५०० मील या उस से अधिक की यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये बिना किसी शुल्क के जो ३ टायर (शायिका) वाले सोने के डिब्बों की कुछ गाड़ियों में व्यवस्था की गयी है, वह व्यवस्था वर्ष १९६० में अधिक गाड़ियों में की जावेगी।

अतः जब कि वर्तमान सुविधाओं को अधिक स्टेशनों और अधिक गाड़ियों में बढ़ाने का प्रस्ताव है, इस समय तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये किसी नई सुविधा का प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अर्ध कुम्भ मेले के लिये विमान सेवा

†१२३४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्ध कुम्भ मेल के सम्बन्ध में इंडियन इयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा भारत के विभिन्न भागों से इलाहाबाद को कितनी उड़ानें की गयीं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति ले जाये गये ; और

(ग) इण्डियन एरिलाइन्स कारपोरेशन्स को व्यय की तुलना में कितनी आय हुई ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). अर्ध कुम्भ मेले के सम्बन्ध में इलाहाबाद को जाने वाली भीड़ का सामना करने के लिये, इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन्स ने १३ से १७ जनवरी और २६ से ३ फरवरी, १९६० तक (जिसमें दोनों दिन शामिल हैं) की अवधि में दिल्ली और कलकत्ता से इलाहाबाद जाने के लिये स्काईमास्टर विमान की प्रतिदिन दो विशेष उडानें करने का प्रबन्ध किया। यद्यपि इस व्यवस्था का प्रचार व्यापक रूप से किया गया था, जिस पर कारपोरेशन के ६,००० रुपये व्यय हुए थे, ये विशेष उड़ानें जनता के उत्तर न देने के कारण न की जा सकीं। सेवा संख्या आई सी—४११।४१२ (दिल्ली—कलकत्ता—दिल्ली ठहरने वाली सेवा) का विमान केवल मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को सामान्य रूप से उतरने की बजाय उपरोक्त अवधि में प्रतिदिन इलाहाबाद रुका। इन उड़ानों पर इलहाबाद को ४५ और इलाहाबाद से ३२ व्यक्ति ले जाये गये जिससे लगभग ५,९०० रुपये की आय हुई।

हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियां

१२३५. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने जड़ी बूटियों के विकास तथा इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे प्राप्त करने ह अब तक कितनी सफलता मिली है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियों के सर्वे और सुधार के लक्ष्य निम्न है :—

(१) १५५ वर्ग मील का सर्वे और

(२) १,७५,००० रुपये की कुल लागत से १५ एकड़ में पौदे लगाना।

दिसम्बर, १९५९ तक ३७,०६७ रुपये की रकम १६९ वर्ग मील के सर्वे और ८.५० एकड़ क्षेत्र ५ नर्सरीज़ स्थापित करने के लिये खर्च हुई।

आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थायें

१२३६. **श्री पद्म देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में कितनी आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थायें हैं ; और

(ख) इनमें से कितनी संस्थायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं तथा सरकार से सहायता ले रही हैं और कितनी गैर-सरकारी तौर पर चलाई जा रहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूचना इस प्रकार है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९]**

चीनी का उत्पादन

१२३७. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में भारत में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) १९५९ में भारत में चीनी की कितनी खपत हुई और अन्य देशों को इसका कितना निर्यात किया गया ; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) १९५८–५९ (नवम्बर से अक्तूबर) के चीनी वर्ष में १९ लाख १९ हजार टन।

(ख) १९५८–५९ के चीनी वर्ष में क्रमश: २० लाख ८० हजार टन और २९ हजार टन।

(ग) २ लाख ८२ हजार टन फरवरी, १९६० के अन्त तक।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और विकास संस्था

†१२३८. **श्री पद्म देव :**
श्री हेम राज :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और विकास संस्था लिमिटेड ने वर्ष १९५८–५९ में कुल कितनी रकम के सौदे किये ; और

(ख) उसी अवधि में उसने कुल कितना खर्च किया और उसे कुल कितनी आय हुई ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) सहकारी वर्ष १९५८–५९ (१ जुलाई, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक) किये गये सौदों की कुल रकम निम्न प्रकार है :

१. क्रय ५,६३,१८४.९५ रुपये
२. विक्रय ६,३०,८१४.४५ रुपये

(ख) व्यय . . ६६,९०४.३३ रुपये
आय . . . ८,२०८.४७ रुपये

खाद्यान्नों का उत्पादन

†१२३९. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन १९५९–६० में प्रत्येक राज्य ने खाद्यान्नों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की कहां तक पूर्ति कर ली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : वर्ष १९५९–६० अभी चल रहा है और राज्य सरकारों से विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रमों के अधीन उत्पादन के बारे में पूरा प्रगति प्रतिवेदन वर्ष १९६० के मध्य में प्राप्त होगा। वर्ष भर के लिये कुल खाद्यान्न के उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन भी लगभग उसी समय प्राप्त होंगे। अतः इस समय यह जानकारी नहीं दी जा सकती।

दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों का कैंसिल किया जाना

†**१२४०. श्री रामजी वर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली मेन स्टेशन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में १० यात्री गाड़ियों को निलम्बित कर दिया है और १२ सीधे जाने वाले डिब्बों को कैंसिल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे किन गाड़ियों और सीधी जाने वाली गाड़ियों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस कमी के कारण प्रभावित हुए यात्रियों के यातायात के लिये रेलवे अधिकारियों ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). दिल्ली मेन स्टेशन पर 'ईस्ट केबिन' के ओवरहालिंग और उसके फलस्वरूप होने वाली शंटिंग की कठिनाइयों के कारण, २७–१–६० से १० गाड़ियां और १२ सीधे जाने वाले डिब्बे अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिये गये थे। नई दिल्ली और दिल्ली के बीच ७ अप/८ डाउन तूफान एक्सप्रेस और १ जी० एन०डी०/२ जी०एन०डी० नई दिल्ली—गाजियाबाद शटल गाड़ी को छोड़ कर सब सीधे जाने वाले डिब्बे और गाड़ियां चालू कर दी गयी हैं। बाकी दो गाड़ियों को भी १–४–६० से चालू करने का प्रस्ताव है।

एक विवरण संलग्न है जिसमें गाड़ियों और सीधे जाने वाले डिब्बों के निलंबन, उनके फिर से चालू किये जाने और कैंसिल की गयी गाड़ियों के स्थान पर वैकल्पिक गाड़ी की व्यवस्था करने के बारे में जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ८०]**

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†**१२४१. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे का हावड़ा और खड़गपुर के बीच सब महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बिजली लगा दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे को धोखा देना

†१२४२. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्थानों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को पश्चिम रेलवे का सहायक भंडार नियंत्रक (असिस्टेंट कंट्रोलर आफ इम्पोर्टस) बता कर रेलवे प्रशासन को धोखा दिया ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं और उसमें कितनी रकम अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को पश्चिम रेलवे का सहायक भंडार नियंत्रक (असिस्टेंट कंट्रोलर आफ़ इम्पोर्ट्स) बता कर अजमेर में दो व्यापारियों को ३,१३५ रुपये की रकम का धोखा दिया ।

(ग) (१) पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा ४१९।४२० के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया परन्तु उस आदमी का पता नहीं लग सका ।

(२) रेलवे प्रशासन को इस मामले के बारे में बता दिया गया है ताकि वे इस बारे में अपने कर्मचारियों को सावधान कर दें ।

(३) ऐसे व्यक्तियों की चालाकी से जनता को सावधान करने की दृष्टि से समाचारपत्रों में उचित प्रचार किया गया है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे

†१२४३. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अदरा जिले में बिरमाडीह, तामना, उरमा, बागलिया और भेदुआसोल रेलवे स्टेशनों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) उन में से कितने फ्लैग स्टेशन थे और वे कब से थे ;

(ग) उन में से कितनों को १९५८-५९ में नियमित स्टेशनों में परिवर्तित कर दिया गया है ; और

(घ) उन को परिवर्तित करने में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). बिरमाडीह, तामना, उरमा और बागलिया को, जोकि १९३५ से फ्लैग स्टेशन थे, १९५८-५९ में ब्लाक स्टेशन बना दिया गया ।

(घ) २,४६,००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानीय करों की बकाया

†१२४४. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन के रेलवे अधिकारियों पर **राय-गाडा** (उड़ीसा) में अधिसूचित क्षेत्र परिषद को स्थानीय करों की भारी रकम बकाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). विषय विचाराधीन है और सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा जिस में तथ्य होंगे ।

कटक के समीप ऊपरी पुल

†१२४५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कटक नगर को राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ से मिलाने के लिये कटक रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर एक ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव के बारे में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ को एक मिलाने वाली सड़क (लिंक रोड) के द्वारा कटक नगर से मिलाने के लिये २५५/२ मील पर एक सड़क का निचला-पुल (रोड अंडर-ब्रिज) बनाने का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा एक प्राक्कलन तैयार किया गया था और राज्य सरकार को भेजा गया था । राज्य सरकार ने कुछ बातों के स्पष्टीकरण के लिये प्राक्कलन वापस भेज दिया । राज्य सरकार को आवश्यक ब्यौरा बता दिया गया है । तथापि राज्य सरकार द्वारा प्राक्कलन को स्वीकृत करने और नियमों के अधीन कार्य की लागत में अपने अंश को पूरा करने के लिये राज्य योजना में आवश्यक निधि की व्यवस्था करने के लिये सहमत होने पर इस कार्य को करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

रेलवे द्वारा इस्पात की खरीद

१२४६. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री जोकीम आल्वा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे इस्पात क्रय मिशन द्वारा १९५७ में प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अमेरिकी फर्मों को इस्पात के रेल मार्ग के कितने सामान के ठेके दिये गये थे ;

(ख) जिन एजेन्टों ने भारतीय पत्तनों पर वह सामान प्राप्त किया उन के क्या नाम हैं और उन्हें प्रति टन कितनी रकम दी गई ;

(ग) क्या वे एजेन्ट इस बारे में टेंडर दे कर नियुक्त किये गये थे ;

(घ) कलकत्ता और बम्बई पत्तनों पर रेलवे द्वारा प्राप्त सामान पर प्रति वर्ष कितना विलम्ब-शुल्क दिया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) आयात किये गये सामान को जहाज की गोदी से रेलवे यार्ड में वैगन बनाने वालों को सौंपने के लिये रेलवे द्वारा परिवहन पर प्रति टन कितनी रकम दी गई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय रेलवे इस्पात क्रय मिशन ने तकनीकी सहयोग मिशन सहायता-कार्यक्रम के अधीन १९५७ में कोई आर्डर नहीं दिया था । लेकिन १९५६ के तकनीकी सहयोग मिशन सहायता-कार्यक्रम के अधीन लोहा और इस्पात नियंत्रक ने १९५७ में कुछ ठेके दिये थे ।

(ख) से (ङ). बन्दरगाहों से इस्पात ले जाने का इन्तजाम लोहा और इस्पात नियंत्रक ने किया था, जो इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय के अधीन हैं । आवश्यक सूचना उन से मंगाई जा रही है ।

रेलवे के लिए लोहे की खरीद

१२४७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे इस्पात क्रय मिशन द्वारा १९५७ में कुछ अमेरिकी फर्मों को कितने लोहे का ठेका दिया गया था ;

(ख).रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे वर्कशाप के लिये किस किस्म का कितना लोहा रखा गया ;

(ग) कितना लोहा छः महीने से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाया गया ; और

(घ) इस अतिरिक्त लोहे को काम में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) माननीय सदस्य शायद उस कच्चे लोहे का जिक्र कर रहे हैं जिस के लिये १९५७ में भारतीय रेलवे इस्पात क्रय मिशन ने संयुक्त राज्य अमरीका में १,३०,००० टन के दो ठेके दिये थे ।

(ख) सिर्फ १००० टन कच्चा लोहा ।

(ग) और (घ). सिर्फ ४३ टन लोहे को छोड़ कर कुल लोहा छः महीने के अन्दर बांट दिया गया । यह ४३ टन लोहा भी मिलने के ९ महीने के अन्दर-अन्दर इस्तेमाल कर लिया गया ।

दामोदर घाटी निगम की नहर पर होकर गाड़ियों का आना जाना

†**१२४८. श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे की कार्ड लाइन के निकट शक्तिगढ़, पल्लारोड और मसग्राम स्टेशनों के बीच दामोदर घाटी निगम की नहर के पुल पर गाड़ियों को सावधानी के आदेश के अधीन रह कर जाना-आना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) इस पुल का निर्माण कब हुआ था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस का निर्माण रेलवे ने किया था या दामोदर घाटी निगम ने और इस की लागत क्या थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । इस पुल पर गाड़ियां २० मील प्रति घंटे की निर्बन्धित रफ्तार से आती जाती हैं ।

(ख) ७ नवम्बर, १९५८ से ।

(ग) यह पुल नवम्बर, १९५७ में यातायात के लिये खोला गया था ।

(घ) इस पुल का निर्माण ९,१४,७२१ रुपये की प्राक्कलित लागत पर, जो दामोदर घाटी निगम पर भारणीय थी, पूर्व रेलवे ने किया था ।

पेराम्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना

†१२४९. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने की १०० टन वाली प्रेस की हाल ही में मरम्मत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मरम्मत की कितनी लागत आई ; और

(ग) क्या मरम्मत के लिये विदेशी विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हाल ही में तो नहीं, लेकिन १९५७ और १९५८ में कुछ मरम्मत की गई थीं ।

(ख) मरम्मत का कुल खर्च ५०८७ था जिसे फर्म से वसूल कर लिया गया था ; और

(ग) जी, हां । फर्म ने अपने खर्च पर विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये थे ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में आर्थिक कीटशास्त्रज्ञों[1] के वेतन-क्रम

†१२५०. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के कीटशास्त्रज्ञों के वेतन-क्रम निश्चित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक कीटशास्त्रज्ञ को लगभग दो वर्ष से अपना वेतन नहीं मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो वेतन निर्धारित करने में हुए विलम्ब के शोध के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Economoic Entomologists.

(ग) और (घ) संस्था के एक पदाधिकारी को, जो सहायक कीट व्यापक रोग विशेषज्ञ के पद पर थे और सरकारी खर्च से आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, साउथ पैसिफ़िक कमीशन ने तीन वर्षों के लिये कीटशास्त्रज्ञ के पद के लिये चुन लिया था । तदनुसार ११-२-१९५४ को उन्हें साउथ पैसिफिक कमीशन में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था । ११-२-१९५७ को अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर यह पदाधिकारी अपने पुराने पद पर नहीं लौटे और यह मान कर कि कमीशन ने उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि दो महीने के लिये बढ़ाने के लिए भारत सरकार को लिखा है, दो और महीने तक साउथ पैसिफ़िक कमीशन में ही बने रहे । तत्पश्चात् वह १२-४-१९५७ से १०-६-१९५७ तक छुट्टी पर रहे । स्वास्थ्य ठीक न होने के आधार पर उन्होंने पुनः ११-६-१९५७ को छुट्टी के लिए अर्जी दे दी और फिर इस छुट्टी को बढ़ाने की अर्जियां भेजते रहे । २४-१-१९५८ को उन्हें यह सूचित किया गया कि छुट्टी को और बढ़ाने की मंजूरी देना अब सम्भव नहीं है और उन्हें तत्काल काम पर लौट आना चाहिए । इसके बावजूद वह कहीं जाकर ११-६-१९५८ को काम पर वापस लौटे । साउथ पैसिफ़िक कमीशन में उनके अनधिकृत रूप से रुक जाने की अवधि और बिना किसी प्रकार की छुट्टी लिये उनकी अनुपस्थिति की अवधि के बारे में क्या कार्यवाही की जाय यह अब भी विचाराधीन है । इस बीच इस पदाधिकारी ने भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के निदेशक का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट नहीं किया कि उन्हें वेतन मिल ही नहीं रहा है । निदेशक को भी इस स्थिति का पता नहीं था क्योंकि सभी गजेटेड पदाधिकारी स्वयं अपने आहरण अधिकारी होते हैं और अपने बिल सीधे राजकोष को भेजते हैं ।

रेलवे का अनुवाद अनुभाग

१२५१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का अपना अनुवाद अनुभाग है;

(ख) यदि हां, तो इस में अंग्रजी से हिन्दी में अनुवाद करने वाले कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) तक. रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

डाक बचत बैंक खाते में से गबन

†**१२५२. श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सर्किल के बालनगीर डाक डिवीजन में पत्नागढ़ के सब-पोस्ट मास्टर ने १९ जून, १९५६ को केन्दुमंडी ग्राम पंचायत विकास निधि के डाक बचत खाते से २०० रुपये निकाल लिये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) यह आरोप लगाया गया था।

(ख) अन्त में यह आरोप सिद्ध न हो सका। तथापि, इस रकम के निकाले जाने के बारे में कुल विभागीय अनियमितताओं के लिए सब-पोस्टमास्टर को आवश्यक रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया।

माल-डिब्बों का परीक्षण

†१२५३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ फरवरी, १९६० को नैहाती रेलवे यार्ड में भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ[१] द्वारा ७१ माल-डिब्बों का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ४६ माल-डिब्बों को क्षतिग्रस्त पाया गया; और

(ग) यदि हां, तो माल-डिब्बों की हालत सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह प्रश्न सम्भवतः २० फरवरी, १९६० के बारे में है जब कि नैहाती यार्ड में भारतीय रेलवे कान्फ्रेंस एसोसियेशन के कर्मचारियों द्वारा आसनसोल पर भरे जाने वाले ७१ माल-डिब्बों का परीक्षण किया गया था।

(ख) ७१ माल-डिब्बों में से ३३ को खराब पाया गया था।

(ग) क्षति की घटनाओं में कमी करने के लिये मार्शलिंग यार्ड में अधिक सावधानी से शंटिंग करने पर जोर दिया जा रहा है और मरम्मत लाइनों (सिक लाइन्स) पर और यार्ड में मरम्मत करने के कार्य में वृद्धि की जा रही है।

रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों द्वारा चोरी

†१२५४. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री सैं० अ० मेहदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने के लिए अम्बाला स्टेशन पर रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जी, हां। २०-२-१९६० को सरकारी रेलवे पुलिस ने अम्बाला में एक रक्षक के घर की तलाशी ली और वहां से २ मोटर टायर, ४६ बीयर की बोतलें, १६ शीशे के गिलास और सागवान और साल की लकड़ी के १४ टुकड़े बरामद किये जिन के बारे में यह आशंका की जाती है कि वे बुक हुए सामान से निकाले गये हैं। तलाशी के समय उपस्थित दो रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक मुख्य रक्षक और अन्य रक्षक को अगले दिन हिरासत में लिया गया। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं और इस मामले की अभी पुलिस छानबीन कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Indian Railway Conference Association.

रेलवे सैलून

१२५५. **श्री याज्ञिक :**
श्री अमजद अली :
श्री सोनावने :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में इस समय कितने सैलून हैं और पिछले पांच वर्षों में उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुए हैं;

(ख) रेलवे और अन्य व्यक्तियों की कौन सी श्रेणी के व्यक्ति रेलवे यात्रा करते समय इन सैलूनों का प्रयोग कर सकते हैं; और

(ग) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). तक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

बसें, ट्रक और मोटर कारें

१२५६. **श्री मानकभाई अग्रवाल :**
श्री खादीवाला :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ की समाप्ति पर देश में ट्रकों, बसों, कारों, मोटर-साइकलों, साइकलों और बैल गाड़ियों की संख्या क्या थी;

(ख) उपरोक्त गाड़ियों के प्रत्येक वर्ग से कर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) १९५९ की समाप्ति तक इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और अब सरकार इन से कितना कर वसूल कर रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). तक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]।**

चीनी

१२५७. **श्री खुशवक्त राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रित क्षेत्रों में, जहां चीनी का उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये, सरकार ने गन्ने के न्यूनतम भाव में वृद्धि कर दी है और चीनी-कारखानों

---

†मूल अंग्रेजी में

को गत दो वर्षों के औसत उत्पादन से, १९५९-६० में जितनी अधिक चीनी तैयार करें, उस पर मूल-उत्पादन कर में ५० प्रतिशत छूट दी है । इस छूट के लिए उन चीनी कारखानों के मामलों पर, जिन्होंने १९५७-५८ या इसके बाद काम आरम्भ किया है, तदनुसार विचार किया जायेगा । ये सामान्य रियायतें हैं जो देश के सारे चीनी-कारखानों के लिये लागू होंगी । इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के चीनी कारखानों को काम शीघ्र आरम्भ करने के लिये भी रियायतें दी गयी थीं । नियन्त्रित क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन फरवरी, १९६० के अन्त तक १० लाख ४८ हजार टन था, जबकि १९५८-५९ और १९५७-५८ के मौसमों की इसी अवधि में चीनी का उत्पादन क्रमशः ८ लाख ५४ हजार टन और ८ लाख ९२ हजार टन था ।

पेराम्बूर कारखाने के इंस्पेक्टर और प्रोग्रेसमेन

†१२५८. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २५७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पेराम्बूर कारखाने के इंस्पेक्टरों और प्रोग्रेसमेनों के वेतन स्तर में असमानता को दूर करने के लिए तब से क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : पेराम्बूर कारखाने में प्रोग्रेसमेनों के लिए ६०-१३० रुपये का वेतन स्तर लागू करने के लिए दक्षिण रेलवे के प्रस्ताव को मान लिया गया है । जहां तक प्रोग्रेस इंस्पेक्टरों के वेतन-स्तर का सम्बन्ध है, विषय विचाराधीन है ।

दिल्ली में मच्छर

†१२५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मौसम में दिल्ली में ऋतु स्थिति मच्छरों के लिये लाभदायक है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जावेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां । प्रति वर्ष वसन्त के मौसम में ।

(ख) प्रति वर्ष १५ फरवरी से दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों में कीट-विरोधी कार्यवाहियां की जाती हैं । इस कार्य के लिये अतिरिक्त सामयिक कर्मचारी भर्ती किय जाते हैं । दिल्ली के मलेरिया-निरोधक कार्य के प्रविधिक कर्मचारी मच्छर के पैदा होने वाले सभी स्थानों का निरंतर परीक्षण करते करते हैं । यदि कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और मलेरिया-निरोधक कार्यों से सम्बन्धित व्यक्ति स्थान पर जा कर जांच पड़ताल करते हैं और उस के परिणामों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कार्य करने वाले कर्मचारियों को बताते हैं । जनता को उपचारात्मक उपाय करने के लिय, समय पर समाचार पत्रों द्वारा सूचित कर दिया जाता है । इस कार्यक्रम में उन का सहयोग भी प्राप्त किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलौर के समीप नेथरावती पुल

†१२६०. **श्री आचार:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट रोड पर मंगलौर के समीप नेथरावती पुल बनाने का काम वास्तव में आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस कार्य के लिये टेंडर स्वीकार करने के बारे में मैसूर सरकार ने हम से परामर्श लिया है । यह आशा है कि इस मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : मैं भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६२७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २०००/६०]

गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं वर्ष १९५९ के लिय गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २००१/६०]

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियमों में संशोधन

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ५ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २६९ ।

(२) दिनांक ५ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २७० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २००२/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २७ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० २२६ ।

(२) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २८७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी० २००३/६०]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

— "१० मार्च, १९६० को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर ।"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १०-३-६० को लगभग ५.५० बजे सुबह जब २२ डाउन अमीनगांव कटिहार पसेन्जर गाड़ी पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के सिलिगुड़ी-कटिहार सेक्शन के किशनगंज स्टेशन में दाखिल हो रही थी, वह उस स्टेशन पर खड़ी एक मिलिटरी स्पेशल गाड़ी से टकरा गई । इस के परिणामस्वरूप पेसेंजर गाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया और उस के बाद की तीन बोगियां पटरी से उतर कर उलट गईं । यद्यपि मिलिटरी स्पेशल गाड़ी के इंजन को बहुत थोड़ी ही क्षति पहुंची, पर वह पटरी से उतरा नहीं । मिलिटरी स्पेशल गाड़ी में जो दो अन्य बोगियां और एक तीसरे दर्जे का डिब्बा था वह पटरी से उतर कर उलट गये ।

इस के परिणामस्वरूप २१ व्यक्तियों को चोटें आईं, जिन में से ४ को काफी चोटें आईं । जिन व्यक्तियों को चोटें आईं, उन में से १७ सेना के लोग थे और ४ रेलवे कर्मचारी थे । २२ डाउन पैसेंजर गाड़ी के ड्राइवर व फायरमैन को प्राथमिक सहायता दे कर छोड़ दिया गया । शेष व्यक्तियों का पहले सिविल अस्पताल किशनगंज में उपचार किया गया । बाद में उन में से ५ व्यक्तियों को, जिन में ३ ज्यादा घायल व्यक्ति भी थे, कटिहार रेलवे अस्पताल में भरती कर दिया गया और ३ व्यक्तियों को सिलिगुड़ी मिलिटरी अस्पताल में भरती कर दिया गया और शेष लोगों को अस्पताल से छोड़ दिया गया । उस के बाद एक और व्यक्ति को अपस्ताल से छुट्टी दे दी गई । नवीनतम जानकारी के अनुसार सातों घायल व्यक्तियों की दशा में सुधार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रजी में

कटिहार और सिलिगुड़ी से चिकित्सा व सहायता गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई थीं। उत्तरी सीमान्त रेलवे के जनरल मैनेजर ने, अपने मुख्य-मुख्य अधिकारियों तथा जिले के पदाधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

दुर्घटना के कारण जो आवागमन बन्द हो गया था, वह १०-३-६० को ११.३० बज दिन को फिर से चालू हो गया।

दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं लग सका है।

रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने मामले की छानबीन १४ तारीख से शुरू कर दी है। अनुमान है कि रेलवे को ६२,५०० रु० की क्षति हुई है।

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: ७ मार्च को श्री स० चं० सामन्त, श्री सुबोध हंसदा और श्री रा० चं० माझी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के सम्बन्ध में, जो विशाखापट्टनम् पत्तन के बारे में था, श्री सं० चं० सामन्त के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि घाटों के निर्माण के व्यय का पुनरीक्षित अनुमान हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है, पर पूर्व आशा में हम ने कुछ काम करवा लिया है, जिस पर ८५ लाख रु० व्यय हो चुके हैं। सही स्थिति यह है कि व्यय के पुनरीक्षित अनुमान हमें प्राप्त हो गये थे और हम उस पर विचार कर रहे थे पर कुछ काम हो गया था जिस पर लगभग २५ लाख रुपये खर्च हो चुके थे। उस के बाद श्री प्र० के० देव के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि जापान ने भी ८० लाख डालर अर्थात् ३.८१ करोड़ रु० की पेशकश हमारे सामने की थी। यह पेशकश खनन उपकरण के समाहार के लिये है इस का कोई भी अंश पत्तन के विकास या अयस्क लादने के संयंत्र के लिय नहीं है।

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: अध्यक्ष महोदय, बिना पहिचाने गये विमानों द्वारा हमारे वायु क्षेत्र का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में सरकार निम्न वक्तव्य देना चाहती है। यह घटनायें १८ दिसम्बर, १९५९ को दिये गये मेरे वक्तव्य के बाद की अवधि की हैं।

१६ मार्च, १९६० को जब मैं ने प्रश्न संख्या ८७५ का उत्तर दिया था, उस समय यह जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई थी। यह जानकारी किन साधनों तथा किस ढंग से प्राप्त की गई है, यह बताना लोक हित में नहीं होगा। नेफा में इस सम्बन्ध में जो घटनायें हुई हैं, मैं उन का उल्लेख करूंगा।

ये सभी घटनायें एसे विमानों के सम्बन्ध में है, जिन को पहचाना नहीं जा सका है। ये सभी उड़ानें सूर्यास्त के बाद तक तथा सूर्योदय के पूर्व की हैं। इस जानकारी के साधन भिन्न-भिन्न हैं। अधिकांश जानकारी विमानों की आवाज पर आधारित है। कुछ मामलों में विमानों की लाल बत्तियों का भी जिक्र है।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

इन जानकारियों के आधार पर हमारे विशषज्ञों का विचार है कि ये उड़ानें एक विशेष ढंग की है और विमानों की आवाज उत्तर की ओर जा कर खत्म हो जाती है। कुछ मामलों में बताया गया है कि विमानों की आवाज जेट विमान की सी थी ।

विमानों की आवाज सुनने या उन की लाल बत्ती देखने के ४२ मामलों की जानकारी हमें मिली है। इन में से अनेक मामले एक ही विमान के कई बार दिखाई पड़ने या कई व्यक्तियों द्वारा देखे जाने के है, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद कई स्थानों पर दिखाई पड़े या सुने गये। अतः यह नहीं बताया जा सकता कि कितने विमानों ने यह वायु क्षेत्र उल्लंघन किया है पर इन की संख्या ४२ से कम ही होगी।

नीचे जिन घटनाओं का जिक्र है, वे ६ फरवरी से २३ फरवरी के बीच की हैं । हमारे विशेषज्ञों ने इन सभी जानकारियों का परीक्षण किया है । ये जानकारी या तो विमानों की आवाज सुने जाने के बारे में है या बादलों से रात में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के देखे जाने के बारे में हैं । अतः हमारे विशेषज्ञ यही बता सकते हैं कि इन विमानों को पहचाना नहीं जा सका। विशेषज्ञों की राय यह भी है कि ये विमान चित्र लेने के लिए नहीं आये थे क्योंकि रात के समय उतनी ऊंचाई से जमीन की चीज देखी नहीं जा सकती और यदि वे रात के समय चित्र लेते, तो उसकी चमक या रोशनी दिखाई पड़ती। और ऐसी चमक या रोशनी दिखाई नहीं पड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये उड़ानें एक विशेष ढंग पर हैं और उनका कुछ प्रयोजन अवश्य है ।

अब मैं नेफा के अतिरिक्त अन्य स्थानों की घटनाओं का उल्लेख करूंगा । १५ जनवरी से २३ फरवरी के बीच पंजाब व पश्चिमी बंगाल के क्षत्र में ही हमारे वायुक्षेत्र का उल्लंघन हुआ है, जैसा कि हमारी वायु सेना तथा सेना संस्थान ने बताया है । इन विमानों को पहचान लिया गया है और वे उड़ कर पाकिस्तान की ओर वापस चले गय । इन के सम्बन्ध में हम ने शिकायत कर दी है ।

१६ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ के सम्बन्ध में कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे जिन में माननीय सदस्यों ने १८ और २१ दिसम्बर, १९५९ को और २२ फरवरी, १९६० को प्रधान मंत्री द्वारा तथा मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्यों के परस्पर विरोधी होने का तथा चीन सरकार को भेजे गये विरोध पत्रों के सम्बन्ध में, जो श्वेत पत्र में प्रकाशित हैं, कुछ स्पष्टीकरण मांगा था या उनके बारे में अपने कुछ विचार प्रकट किये थे । इस में कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में कुछ गलतफहमी अवश्य है । चीन सरकार को जो विरोध पत्र भेजे गये थे, और जो श्वेत पत्र संख्या ३ के पृष्ठ १०० से १०४ पर दिये हुए हैं, वे १९ सितम्बर और २४ नवम्बर १९५९ के बीच हुए उल्लंघनों के सम्बन्ध में थे। इन के बारे में १० दिसम्बर, १९६० को सभा को सूचित कर दिया गया था । प्रधान मंत्री ने हम ने जो वक्तव्य १८ और २१ दिसम्बर को दिये थे, वे १० दिसम्बर तथा वक्तव्य देने की तिथि के बीच के उल्लंघनों के बारे में थे। इस अवधि में कोई उल्लंघन नहीं हुए थे।

ध्यान दिलाने वाली पूर्व सूचना के सम्बन्ध में १८ दिसम्बर को मैं ने जो वक्तव्य दिया था वह सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में था, "नेफा के सुबनसिरी डिवीजन तथा आसाम के कामरूप जिले में गत सप्ताह के अन्त में बिना पहचाने गये विमानों द्वारा हमारे वायु क्षेत्र का पुनः उल्लंघन।" सरकार को जो पूर्व सूचना दी गयी थी उसके शब्दों से पता लगता है कि एक विशिष्ट अवधि में हुए उल्लंघनों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गयी थी । अखबार की खबरों के आधार पर ९

अल्प सूचना प्रश्न दिसम्बर १९५६ के प्रथम दो सप्ताहों में हुए उल्लंघनों के सम्बन्ध में थे। अतः उस समय जो वक्तव्य दिया गया था वह इन अल्प सूचना प्रश्नों तथा ध्यान दिलाने की पूर्व सूचना' में दी गयी अवधि से सम्बन्धित उल्लंघनों के बारे में ही थी।

ध्यान रहे कि ये अल्प सूचना प्रश्न व ध्यान दिलाने की पूर्व सूचना उस समय प्रस्तुत हुए जब दिसम्बर के आरम्भ के पूर्व की घटनाओं के सम्बन्ध में १० दिसम्बर को प्रधान मंत्री उत्तर दे चुके थे अतः मुझ से जो जानकारी मांगी गयी थी वह एक विशिष्ट अवधि में हुई घटनाओं के बारे में थी।

चूंकि उस अवधि में वायु क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, अतः मैं ने तथ्यों के आधार पर उत्तर दिया था। मेरे वक्तव्य से उठने वाली बातों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने १८ दिसम्बर, १९५९ को जो वक्तव्य दिया था, वह भी इसी अवधि के बारे में था।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं जानना चाहता हूं कि इन विमानों के देखे जाने पर या उनकी आवाज सुनी जाने पर उन्हें गिराने के लिए क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं बता चुका हूं कि अभी तक कोई भी विमान पहचाना नहीं जा सका है। अधिक जानकारी तभी दी जा सकेगी, जब इनके सम्बन्ध में शिकायत कर दी जायगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब हमारी वायु सेना इन विमानों को पहचान नहीं सकी है, तो फिर यह और भी अधिक आवश्यक है कि हम वहां पर केन्द्र खोल कर अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा के लिए कदम उठायें।

†**श्री कृष्ण मेनन** : हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं और इन विमानों को पहचानने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं। अभी तक उन्हें पहचाना नहीं जा सका है। उस ऊंचाई तक उन्हें पकड़ना भी सम्भव नहीं है क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते वे गायब हो जायेंगे। फिर भी इस सम्बन्ध में प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे वायु-क्षेत्र के उल्लंघन के ४२ मामले हुए हैं, अतः वहां पर हवाई गश्त क्यों नहीं की जाती ताकि उन विमानों को पहचाना जा सके, जो हमारे वायु-क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं।

इस के अतिरिक्त वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता लगता है कि द्रयु और दामन में पुर्तकालियों ने हमारे वायु-क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पर प्रतिरक्षा मंत्री ने इन उल्लंघनों का कोई जिक्र नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि दामन और द्रयु के सम्बन्ध में इन उल्लंघनों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं ने जिन उल्लंघनों का जिक्र किया है वे एक विशेष अवधि में हुए हैं। इस अवधि में भारत-पुर्तगाली उल्लंघन के सम्बन्ध में मुझ कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हवाई गश्त के सम्बन्ध में आप का क्या उत्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कई प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी है। ये वक्तव्य एक विशेष अवधि में हुई उल्लंघन घटनाओं के सम्बन्ध में हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं एक विशेष बात के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रश्नों की पूर्व सूचना दे सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : हम आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं । मैं ने उसकी पूर्व सूचना दे दी है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा को इन घटनाओं के सम्बन्ध में चिंता है और यह स्वाभाविक ही है । ज़ाहिर है कि इस सम्बन्ध में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह हम इस सभा में या बाहर नहीं बता सकते । हम नहीं बता सकते कि यह जानकारी हमें किन साधनों से मिली है । ऐसा नहीं किया जा सकता । किन व्यक्तियों ने जानकारी दी है, उन्होंने क्या कहा है आदि बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता । यदि आप यह चाहते हैं, तो इसकी जानकारी प्रतिरक्षा मंत्री ही दे सकते हैं । पर सभा को यह समझना चाहिए कि इन बातों को सार्वजनिक रूप से बता देने पर हमारे सामने इन उल्लंघनों को रोकने के काम में बाधा आयगी । यह कठिनाई है । इस सम्बन्ध में तो कोई मतभद है ही नहीं कि हमें प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करनी चाहिए । पर क्या कदम सम्भव व व्यवहार्य हैं, यह बात हमारे विशेषज्ञ ही बता सकते हैं । वे इस सम्बन्ध में सावधान हैं । यदि आप कोई अग्रतर जानकारी चाहते हैं तो माननीय प्रतिरक्षा मंत्री आप को आप के कक्ष में बता सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः माननीय सदस्य इस वक्तव्य का अध्ययन करने के बाद यदि देखें कि उन्हें कुछ सन्देह है, तो प्रश्न की पूर्व सूचनायें दे सकते हैं । यदि मेरा समाधान हो जायगा, तो मैं प्रश्नों की अनुमति दे दूंगा ।

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : हाल ही में अखबारों में प्रकाशित एक खबर के आधार पर, कि भारत सरकार ने जहाज़ बनाने के दूसरे कारखाने की योजना को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है, अल्प सूचना प्रश्नों की पूर्वसूचनायें देकर तथा स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना देकर इस विषय में अपनी चिन्ता प्रकट की थी । सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस खबर में कोई सत्यता नहीं है । कोचीन में दूसरा जहाज़ निर्माण कारखाना बनाने का निश्चय अभी है । माननीय सदस्यों को पता है कि इस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने के लिए कार्यवाही की जा रही है और इस कार्य के लिए आयव्ययक में भी कुछ उपबन्ध कर लिया गया है । उक्त स्थान की भूमि की दशा के सम्बन्ध में अग्रेतर जांच करने के प्रश्न पर भी निश्चय कर लिया है कि ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन के प्रतिवेदन के पूर्व जो जांच कराई गई थी वह भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए काफी है और अब अग्रेतर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः मैं केरल के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि कोचीन में जहाज़ निर्माण कारखाना बनाने का निश्चय अन्तिम है और इसको बदलने का कोई प्रश्न नहीं है ।

यह बताने की आवश्यकतया नहीं है कि इस जहाज़ निर्माण कारखाने का औचित्य सभी दृष्टियों से है—विदेशी मुद्रा बचाने, टेक्निकल ज्ञान बढ़ाने, सहायक उद्योगों की स्थापना, देश को रोजगार देने तथा आपात काल में भारत को दूसरे देशों के आश्रित रहने की बात को कम करने आदि । अतः सरकार चाहती है कि यह कारखाना शीघ्र से शीघ्र बन जाये । यह परियोजना तीसरी पंच वर्षीय योजना में रख ली गई हैऔर योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है । ध्यान रहे कि योजना आयोग प्रत्येक परियोजना के महत्व को देख कर उसकी प्राथमिकता निर्धारित करता है—देश के भीतरी

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा बाहरी उपलब्ध साधनों का ध्यान रखते हुए परियोजना को वास्तव में पूरा करने के लिए पहले यह आवश्यक होगा कि टेक्निकल छानबीन की जाये, विस्तृत अग्रिम प्रतिवेदन तैयार किया जाये तथा, नक्शे व डिजाइन तैयार किये जायें तथा विदेशी मुद्रा के साधनों की व्यवस्था की जाये। अतः सरकार आवश्यक टेक्निकल व वित्तीय साधनों के लिये प्रयत्न कर रही है। आशा है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे और तीसरी योजना काल में हम कारखाने का निर्माण शुरू कर देंगे।

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैंने एक विस्तृत वक्तव्य सभा पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३**] स्थानीय टेलीफोन की दरों में बहुत विभिन्नता व दोहरापन है, जो कि प्रौद्योगिकीय विकास तथा सुयोजित प्रगति को देखते हुये, जो कि पिछले १० वर्षों में हुई है, ठीक नहीं है। दूसरी ओर इसी बीच टेलीफोन प्रणाली के संचालन का व्यय भी बढ़ गया है। अनेक कामों में यह वृद्धि २ १/२ गुना तक है। कुछ व्यय भी दो गुने से अधिक बढ़ गया है। सीधे कनेक्शनों की संख्या भी इतनी ही बढ़ी है और ट्रंक टेलीफोन का आवागमन भी ६ गुना बढ़ गया है। टेलीफोन सेवा भी अधिकाधिक टेकनिकल हो गयी है—जिसमें बहुत अधिक गवेषणा, प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक ज्ञान व टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता है।

१९५६ में इंजीनियरों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसका काम था स्थानीय टेलीफोन सेवा की दरों के बारे में जांच करना तथा सरकार को अपनी सिफारिशें देना ताकि टेलीफोन का विकास किया जाये और साथ ही टेलीफोन विभाग को भी वित्तीय दृष्टि से स्थिर बनाया जा सके। समिति की छानबीन से पता लगा कि टेलीफोन विभाग ने जो काम दिखाया है वह वास्तविक लाभ नहीं है। इसका कारण यह है कि टेलीफोन सेवा पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष की आय में से बहुत सा धन पुरानी आस्तियों के बदलाव तथा मुद्रास्फीति के रवैयों को रोकने के लिये लगाया जाता है। दुर्भाग्य से नवीकरण रक्षित निधि तथा अवक्षयण निधि में काफी धन जमा नहीं हो पाया है। २९५९–६० के अन्त में इस निधि में केवल ९ करोड़ रुपया था। यदि इस निधि को वाणिज्यिक आधार पर चलाया गया होता, तो इसमें ४० से ५० करोड़ तक की आय हो गयी होती।

अतः टेलीफोन विभाग के कार्य संचालन की जांच करने के बाद समिति इस निश्चय पर पहुंची कि इस विभाग की आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए व्यय में कमी करने तथा राजस्व में १५ से २० प्रतिशत तक की वृद्धि करना आवश्यक है। अतः समिति ने सिफारिश की कि टेलीफोन की दरों में वृद्धि की जाये तथा नवीकरण रक्षित निधि में पर्याप्त धन फिर से जमा किया जा सके। खर्च की बचत के लिये भी समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं। इनके लिये आदेश निकाले जायेंगे।

मोटे तौर से स्थानीय टेलीफोन प्रणाली की दरों में दो मुख्य परिवर्तन किये गये हैं—(१) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य बढ़ाने के लिये सार्वजनिक टेलीफोन की दरें समान कर दी जायें तथा उन्हें कुछ कम कर दिया जाये। बिना मीटर वाले ३०० लाइनों से कम वाले एक्सचेंजों के मालिकों को २५२ रु० प्रति वर्ष व २८८ रु० प्रति वर्ष के बीच के क्रमिक दर के बजाय २५० रु० प्रति वर्ष देना पड़ेगा और (२) मीटर वाले एक्सचेंजों में दरों की एक मानांकित दर प्रणाली लागू होगी। इस प्रणाली के अधीन टेलीफोन के मालिकों को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देनी होगी—उन्हें कुछ फ्री-कॉल भी दी जायेंगी। अतिरिक्त कॉलों पर अतिरिक्त दाम लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० प० सुब्बरायन]

मैंने जो स्थिति तथा विकास की बात बताई तथा यह बताया कि अवक्षयण निधि में बहुत कमी हो गयी है तथा संचालन व्यय बढ़ गया है, अतः स्थानीय सेवा में दरों का बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। मझे आशा है कि मैंने जो विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है तथा जो अन्य बातें बताई हैं, उनको देखते हुये माननीय सदस्य इस बात से सहमदत होंगे कि दरों में परिवर्तन करना उचित ही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैंने आपको एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि यह बात अनुचित है कि माननीय मंत्री ने दरों को बढ़ाने की बात की घोषणा सभा के बाहर की थी। जब सभा का सत्र चल रहा था, तो माननीय मंत्री को एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहिये था। सारे देश को पता लग गया और समाचारपत्रों में इसकी आलोचना प्रत्यालोचना हो गयी, उसके बाद सभा को यह बताया जा रहा है।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : एक घोषणा सभा का सत्र आरम्भ होने के तुरन्त पहले की गयी थी, जिस पर श्री त्यागी ने आपत्ति उठाई थी। दूसरी घोषणा अब की गयी है। टेकनिकल दृष्टि से माननीय मंत्री को टेलीफोन की दरें बढ़ाने का अधिकार है। पर जब सभा की बैठक हो रही है, तो उन्हें चाहिये था कि वह सभा को विश्वास में लेने के बाद घोषणा करते।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा कहना है कि इन दरों को बढ़ाना एक प्रकार से करारोपण ही है। अतः सभा की अनुमति ली जानी चाहिये थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह घोषणा अखबारों में पढ़ कर हमें; बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने एक अल्पसूचना प्रश्न की पूर्व सूचना दी थी, पर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। यह तो एक प्रकार से करारोपण है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी राय है कि इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर जब चर्चा हो, उस समय माननीय सदस्यों को जो कहना हो कहें।

कुछ मामलों में दर आदि बढ़ाने का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त है। मैं समझता हूं कि टेलीफोन वैसा ही मामला है। टेकिनिकल दृष्टि से यह करारोपण है और इसके लिये सभा की अनुमति ली जानी चाहिये थी। मेरा कहना है कि हमें एक परिपाटी बना लेनी चाहिये कि जब सभा की बैठक हो रही हो, तो माननीय मंत्री को पहले इसे सभा के सामने रखना चाहिये बाद में घोषणा करनी चाहिये।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं आपके विनिदेश का पालन करूंगा।

†**श्री त्यागी** : मेरा ख्याल है कि इसके लिये मंत्रालय को विधि का संशोधन करना पड़ेगा।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को पता नहीं है कि सरकार को क्या अधिकार है। मैं बता चुका हूं कि टेलीफोन प्रणाली के विकास के लिये तथा उसकी रक्षित निधि को बढ़ाने के लिये दरों का बढ़ाना आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दरों को बढ़ाने या न बढ़ाने के औचित्य का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसी घोषणायें सभा में पहले की जायें तथा ऐसे अवसर पर की जायें, जब सभा का सत्र चल रहा हो। ऐसी परिपाटी डाली जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २१ मार्च को आरभ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा :—

परिवहन तथा संचार मंत्रालय

गृह-कार्य मंत्रालय

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई के विभाजन सम्बन्धी विधेयक के लिये समय-सूची बना ली गई है ? इसके अलावा अनियत दिन वाले प्रस्तावों का क्या हुआ ? गत दो सप्ताह से एक भी अनियत दिन वाला प्रस्ताव नहीं आया है ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : पहली बात के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इस महीने की ३० तारीख को यह विधेयक यहां प्रस्तुत होगा, एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिये । दूसरी बात के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मांगों पर चर्चा समाप्त होने के बाद दो अनियत दिन वाले प्रस्ताव प्रति सप्ताह रखे जायेंगे ।

अनुदानों की मांगें

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी । डा० सुशीला नायर ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन देने का जो कार्य मंत्रालय ने किया है मैं उसकी प्रशंसा करती हूं । यह कहा गया है कि जनता के कुछ वर्गों में सीलोन का कार्यक्रम अधिक लोक प्रिय है । इसलिये न केवल शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहन देना आवश्यक है अपितु हमें चाहिये कि हम जनता में शास्त्रीय संगीत के लिये रुचि विकसित करें ।

सरकार जिस दृढ़ता से फिल्म संगीत का मुकाबला कर रही है उसी दृढ़ता से उसे बुरी फिल्मों पर रोक लगानी चाहिये । भारत में बुरी फिल्मों की संख्या बढ़ती जा रही है और इनका बढ़ती उम्र के बालकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । मैंने अभी हाल एक फिल्म देखी थी जिसमें वे सब बुरी बातें दिखाई गई थीं जिन्हें आपत्तिजनक समझा जा सकता है । इस फिल्म का नाम 'आखिरी दांव' है । निर्माता लोग लाखों रुपये व्यय कर फिल्में बनवाते हैं अतः उन्हें सैन्सर बोर्ड से पास करवाने

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

के लिये बड़े से बड़ा दबाव डलवाते हैं इस लिये सरकार को चाहिये कि पूरी फिल्म बनने के पूर्व उसके सेंसर की व्यवस्था हो तथा फिल्म निर्माताओं का इस सम्बन्ध में पथप्रदर्शन किया जाये। इस सम्बन्ध में यदि संविधान का आश्रय लिया जाता है तो हमें संविधान में यथावश्यक संशोधन करना चाहिये तथापि हमें बुरी फिल्मों और बुरे साहित्य का निर्माण रोकने के लिये यथासंभव प्रयत्न करना चाहिये।

अब मैं विज्ञापनों को लेती हूं। इनके सम्बन्ध में जितना ही कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। एक ओर हम नारी को देवी कह कर पूजते हैं दूसरी ओर हम विज्ञापनों में उनके अंगों को गंदे विज्ञापनों में दर्शाते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि देश में टलीवीजन लग चुका है। इससे हमारी जनता उन नेताओं, व्यक्तियों तथा कार्यक्रमों को भी देख सकेगी जिन्हें हम पहिले देखने का अवसर नहीं पाते थे। उदाहरणार्थ गणतंत्र दिवस की परेड को हम उस भीड़ भाड़ से बचकर टेलीविजन में देख सकते हैं। इस कार्य के लिये हमें इंजीनियरों की आवश्यकता है। हम आकाशवाणी के इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेज रहे हैं और प्रति वर्ष इस कार्य में अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। हमें चाहिये कि हम पहिले अपने देश के इंजीनियरों तथा प्रतिभावान युवकों का उपयोग करें।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का काम इस प्रकार का है कि इस में स्त्रियां अच्छा भाग ले सकती हैं अतः इस विभाग की नौकरियों में स्त्रियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

आकाशवाणी को सकारात्मक प्रचार एवं शिक्षा का शक्तिशाली साधन बनाया जा सकता है। किसी विषय पर एक आध वार्त्ता प्रसारित करने से कोई लाभ नहीं है। हमें यह चाहिये कि हम एक विषय या रोग को लें और उसके सम्बन्ध में प्रति दूसरे दिन वार्त्ता प्रसारित करते रहें जिससे लोगों के दिमाग में वह बात भली प्रकार बैठ जाय। और वे उसके अनुसार कार्य करने लगें। इस प्रकार हम जनता का बहुत उपकार कर सकते हैं।

गांधी जी के जीवन के सम्बन्ध में एक प्रलेख चित्र बनाने का उल्लेख किया गया है। इस कार्य को बहुत पहिले ही प्रारम्भ करना था क्योंकि इस बीच वे बहुत से व्यक्ति गुजर चुके हैं जो गांधी जी के निकट सम्पर्क में रहे थे। तो भी हमें उन सभी व्यक्तियों का सहयोग लेना चाहिये जो गांधी जी के निकट सम्पर्क में रहे तथा यह कार्य शीघ्र सम्पादित किया जाना चाहिये।

जहां तक आकाशवाणी द्वारा पंचवर्षीय योजना और अल्प बचत आन्दोलन के प्रचार का प्रश्न है मेरा सुझाव है कि आकाशवाणी को इस क्षेत्र में वित्त मंत्रालय के सहयोग से कार्य करना चाहिये जिससे यह कार्य अधिक प्रभावशाली रूप में सम्पादित हो सके।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिमी दीनाजपुर) : सर्वप्रथम मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय को वित्त मंत्रालय पर यह दबाव डालना चाहिये कि फिल्मों पर उत्पादन शुल्क समाप्त हो जाय। कलकत्ता में आकाशवाणी की इमारत तत्काल निर्मित होनी चाहिये तथा टेगौर की शताब्दि समारोहों के कार्यक्रम का शीघ्र अंतिम निर्णय किया जाना चाहिये।

आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भजनों और कीर्तनों को स्थान दिया जाय तथा आकाशवाणी का जो अखिल भारतीय मनोरंजन कार्यक्रम एकक बम्बई में कार्य कर रहा है उसे अधिक अच्छे प्रशासन के उद्देश्य से दिल्ली ले जाया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

संस्कृत के कार्यक्रम रखे जायें तथा उनमें संस्कृत का वह रूप रखा जाये जिसमें वह आजकल बोली जाती है। तथा वे लोग जो संस्कृत को मातृ भाषा के रूप में बोलते हैं, उन्हें इन कार्यक्रमों में स्थान दिया जाये।

अब मैं केन्द्रीय फिल्म विवाचन बोर्ड को लेता हूं। हमारे युवकों में जो अनुशासनहीनता दिखाई देती है उसकी काफी जिम्मेदारी विवाचन बोर्ड की है। हमारे देश में गंदी और अश्लील फिल्में युवकों को दिखाई जाती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां विवाह पूर्व के प्रेम को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है तथापि सिनेमा के द्वारा बार बार वही बातें दिखाई जाती हैं जो समाज द्वारा बहिष्कृत हैं स्वभावतः ही इसका हमारे युवकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वे लोग फिल्में पारित करने के पूर्व उन्हें देखते भी नहीं हैं। इसीलिये उनके द्वारा पासशुदा तीन फिल्मों के प्रमाणपत्र बाद में रद्द करने पड़े। अतः बोर्ड के सदस्यों को इस सम्बध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। फिल्मों का युवकों पर तो कुप्रभाव पड़ता है उस सम्बन्ध में दिल्ली के एक समाचार पत्र में कहा गया था कि एक युवक ने चलती गाड़ी में डकैती इसी कारण की कि उसने एक अंग्रेजी फिल्म में चलती गाड़ी में डकैती का चित्र देखा था। कलकत्ता के एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि एक १२ वर्ष के बालक ने जेब काटना केवल इस कारण सीखा कि उसके पास सिनेमा देखने के लिये पैसे नहीं थे। इस प्रकार के अन्य समाचार भी आये दिन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। यह सब उन फिल्मों के कारण हो रहा है जिन्हें वयस्कों के देखने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। १ जनवरी से ३१ मार्च १९५९ तक एक भी चित्र को वयस्कों के लिये प्रमाण पत्र नहीं दिया गया जब कि १ अप्रैल ५९ से ३१ दिसम्बर तक ८ भारतीय चित्रों को ऐसे प्रमाण पत्र दिये गये। यह भी आश्चर्य की बात है कि एक विशेष वर्ष में निर्मित होने वाले चित्रों की संख्या की कोई जानकारी सरकार के पास नहीं रहती है।

अब मैं प्रकाशन विभाग को लेता हूं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्री कुन्हन राजा का मत है कि प्रकाशन विभाग द्वारा संस्कृति या दर्शन की जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में श्री कुन्हन राजा से पत्रव्यवहार करना चाहिये।

अब मैं समाचार पत्रों के पंजीयन के विषय पर आता हूं। पृष्ठों के अनुसार मूल्य रखने की सिफारिश को तत्काल लागू करना चाहिये। मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि मजदूरों की प्रार्थना पर दिल्ली के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड को इस प्रतिबन्ध से छूट दी गई तथापि अब मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां के पत्रकारों ने अपना मामला दिल्ली प्रशासन के सम्मुख रखा है। उस समाचार के संयुक्त सम्पादक से यह कहा जा रहा है कि उनको पत्रकार नहीं कहा जा सकता है, अपितु केवल उनके नाम से बिक्री प्राप्त करने के लिये उन्हें संयुक्त सम्पादक बनाया गया था। सम्पादक को तो शायद पद त्याग करने पर विवश कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति उस समाचार पत्र का मुद्रक और प्रकाशक भी है अतः उसे अभी तक नहीं हटाया गया है।

प्रैस रजिस्ट्रार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि दिल्ली स्टेन्डर्ड ने कलकत्ता से १९५८ के मध्य में संबंध विच्छेद कर लिया था जबकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने ८ मार्च को राज्य सभा में यह बताया कि हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड दिल्ली के अमृत बाजार पत्रिका से १९५९ के मध्य में पृथक हुआ। माननीय मत्री को चाहिये कि वे सभा के सदस्यों को सही स्थिति बतायें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मंत्रालय के कार्य की चतुर्दिक प्रगति हुई है। इसके लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

लोकतंत्र प्रणाली में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। इसी के द्वारा सरकार जनता से सम्पर्क बनाये रखती है तथापि इस उत्तरदायित्व की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मंत्रालय की आलोचना इसी दृष्टिकोण से करूंगा।

आज जनता के सभी वर्गों में सरकार के प्रति गहरा असंतोष है। जनता सरकार के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकी है। दूसरी ओर सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी यह नहीं जानते हैं कि उनके कार्यो का जनता पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्त कार्य की जिम्मेदारी इस मंत्रालय की और मंत्रालय के ऊपर इस समस्त असंतोष का दायित्व है। सरकार को इस स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिये तथा इस मामले में अपने दायित्व को समझते हुए आगे के कार्य की योजना बनानी चाहिये। यद्यपि वहां एक बहुत बढ़ा प्रचार विभाग है तथापि उसके कार्य और विस्तार बहुत व्यापक हैं। वस्तुतः इतना होने पर भी उनके पास कोई ऐसा शक्तिशाली साधन नहीं है जिससे वे सरकार का दृष्टिकोन जनता के समक्ष रख सकें।

'समाज शिक्षा' शिक्षा मंत्रालय के अधीन है लेकिन इसका प्रचार का कार्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय करता है। अतः उक्त विषय पर इन दोनों मंत्रालयों के बीच समायोजन होना आवश्यक है।

कुछ विरोधी सदस्यों ने मंत्रालय पर सरकारी दल का पक्षपात करने का आरोप लगाया है। मेरे विचार से यह आरोप गलत है। जहां तक मेरा विचार है विरोधी दलों के समाचारों को भी आवश्यक स्थान दिया जाता है। वस्तुतः कुछ विरोधी सदस्यो को स्वयं अपने भविष्य का पता नहीं है इस भांति के कारण वे यह सोचते हैं कि उनके प्रति अन्याय किया जा रहा है। यदि वे इस विषय पर ध्यानपूर्वक गौर करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि यह आरोप निराधार है।

जहां तक इस मंत्रालय द्वारा समाचारों की रिर्पोटिंग का संबन्ध है वह उस कोटि का नहीं होता जितना होना चाहिये। इस संबध में मैं उनका ध्यान लोक सभा से प्रतिदिन प्रकाशित संक्षेपिका की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बड़ा संक्षिप्त विवरण होता है; कोई दैनिक समाचार पत्र इससे अधिक संक्षेप में नहीं देता। संसदीय कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया सारांश बहुत सुन्दर होता है और निश्पक्ष रूप में दिया जाता है। संक्षेपिका में लगभग सभी बातें रहती हैं और किसी मंत्री या सदस्य को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाता है। मंत्रालय को चाहिये कि वह इस कार्य में लोक सभा का अनुकरण करें तथा अपना कार्य इतने ही सुन्दर तरीके से करें जिस तरीके से लोक सभा में किया जाता है।

अब मैं फिल्मों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस संबंध में माननीय सदस्य कई बार अपना क्षोभ प्रकट कर चुके हैं। तथापि मंत्री महोदय ने यह कह कर टाल दिया है कि सरकार को इस संबंध में शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। माननीय मंत्री इस संबंध मे सभा से आवश्यक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विचार से इस उद्योग ने देश की बहुत अधिक हानि की है तथा देश में जितने भी चित्र बनते हैं उनमें से ९०% आपत्तिजनक और हानिकारक होते हैं। इसलिये यदि इस पर कोई विशेष उपकर लगाया जाय, या ऐसे चित्रों का निर्माण बन्द भी कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आशा है सरकार इस मामले में तत्काल कोई कार्यवाही करेगी।

†**श्री बहादुर सिंह** (लुधियाना–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : राष्ट्र निर्माण के कार्यों को करने तथा परियोजनाओं के निर्माण के लिये इस मंत्रालय को बहुत अधिक कार्य करना है अतः

†मूल अंग्रेजी में

इस मंत्रालय को अधिक धन राशी प्रदान की जाये। मेरा सुझाव है कि विभिन्न मंत्रालयों से जितनी भी पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं वे सभी इसी मंत्रालय से प्रकाशित होनी चाहियें तथा उन्हें आर्ट पेपर पर प्रकाशित करने के स्थान साधारण कागज पर प्रकाशित किया जाय। हमें अपने देश में एक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह की आवश्यकता है जिसमें भारतीय भाषाओ की पुस्तकें विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हो सकें।

दिल्ली के फिल्म डिविजन आडिटोरियम के नमूने पर समस्त देश में ऐसे सिनिमागृहों की स्थापना की जाय जहां सस्ते और रचनात्मक चित्र दिखाये जा सकें। मंत्रालय का फिल्म डिवीजन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथापि उसके पास अच्छी फिल्में बनाने के लिये पर्याप्त रुपया नहीं है अत: सरकार को चाहिये कि वह उक्त विभाग के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध करे।

मेरा यह भी सुझाव है कि विभिन्न मंत्रालयों के कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस मंत्रालय के अधीन रखना अधिक उपयुक्त होगा। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय पुस्तक प्रन्यास, ललित कला एकादमी तथा साहित्य अकादमी का कार्य इस मंत्रालय के अधीन आना चाहिये जिससे कि उनके द्वारा किये गये कार्य का सामान्य जनता में प्रचार हो सके।

राज्यों के सूचना निदेशक का पद बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के समस्त कार्यों के प्रचार का दायित्व इन पर है किन्तु इसके स्थान पर वे लोग या तो किसी मंत्री के प्रचार में लगे रहते हैं या अपने उच्चाधिकारियों का प्रचार करते हैं। अत: सरकार को चाहिए कि वे उन पदों पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारी नियुक्त करे तथा सूचना अधिकारियों की एक विशेष केन्द्रीय पदावलि बनायें।

फिल्म विवाचन बोर्ड कई बुरी फिल्मों को भी प्रमाण पत्र दे देता है। हमारे देश में अधिकांश गंदी फिल्में ही प्रदर्शित होती हैं अत: प्रमाण पत्र देने में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

मेरा सुझाव यह है कि योजना भारत को सभी भारतीय भाषाओ में प्रकाशित की जाये क्योंकि इसमें बहुत उपयोगी सामग्री रहती है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): सामान्य रूप से हमारी सरकार अनुपयोगी कार्यों में बहुत अधिक रुपया व्यय कर रही है तथा उनसे जो लाभ प्राप्त हो रहा है वे उन पर व्यय की गई धन-राशि के अनुपात में बहुत कम है। उदाहरणार्थ इस मंत्रालय में १९५४ से १९५८ के बीच कर्मचारी की संख्या लगभग दुगुनी हो गई।

मेरे विचार से यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है तथापि इसके मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं वे मंत्रिमंडल की गतिविधियां नहीं जान सकते हैं। जब वे मंत्रिमंडल की गतिविधियों से ही परिचित नहीं हैं तो भला वे प्रचार क्या कर सकते हैं। मेरे विचार से वह समय निकट आ रहा है जब कि मंत्री महोदय को सरकार के छोटे से छोटे कार्य की जानकारी होनी चाहिये और उन्हें प्रत्येक रहस्य का पता होना चाहिये।

अब मैं मंत्रालय के कार्यों को लेता हूं। मेरे विचार से मंत्रालय समाचार पत्रों से सम्पर्क बनाये रखने में असफल रहे हैं। इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा है। समाचारपत्र सूचना मंत्रालय की चिन्ता नहीं करते हैं। एक बात यह भी है कि लगभग प्रत्येक मंत्रालय अपने प्रचार के मामले में स्वतंत्र है और अधिकांश प्रचार तस्वीरों के द्वारा होता है। प्रत्येक मंत्रालय के अपने सम्पर्क-अधिकारी हैं। वे अपनी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

पत्रिकायें इत्यादि निकाला करते हैं। इन पत्रिकाओ में कोई उपयोगी सामग्री नहीं रहती है और इन पर बहुत व्यय किया जाता है लेकिन सरकारी मंत्रालयो तथा निगमों के बहुमूल्य विज्ञापन छाप कर यह घाटा पूरा किया जाता है। मेरे विचार से यह तरीका गलत और अनुचित है। सरकार को तत्काल इन पत्रिकाओं के आय-व्यय की जांच करनी चाहिये और समस्त मंत्रालयों का प्रचार-कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सोप देना चाहिये।

देश में केवल एक समाचार एजेंसी हैं। इससे समस्त समाचारों पर प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया का एकाधिकार है। मेरे विचार से यह स्थिति लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है हमें चाहिये कि हम देश मे दो या तीन समाचार एजेंसियां कायम करे जिससे समाचारों के वितरण पर एक एजेंसी का एकाधिकार न रहे।

देश में टेलीविजन आ गया है। अतः सरकार को चाहिये की वे उनके द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा देने की व्यवस्था करे जिससे कि विधार्थी उनमें सुन सुन कर अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम टेलीविजनों द्वारा खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर): पंच वर्षीय योजनायों के प्रचार के संबंध में जो नीति अपनायी जा रही है वह त्रुटिपूर्ण है। योजनाओ के प्रचार का कार्य राज्यो में राज्य सूचना विभाग कर रहे हैं और केन्द्र में प्रचार निदेशालय इस कार्य को कर रहा है। मेरे विचार से इस कार्य के लिये केन्द्र में एक समायोजन समिति की व्यवस्था होनी चाहिये जो प्रचार संबंधी सामग्री तैयार करे और उसे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों के द्वारा प्रचारित करवायें। क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों को केवल पुस्तिकायें बांटने का काम ही नहीं करना चाहिये अपितु उन्हें कुछ व्यवहारिक कार्य भी करना चाहिये।

प्रचार कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग यह भी है कि प्रचार के प्रभाव व उपयोगिता का विश्लेशण किया जाय। मंत्रालय को चाहिये कि विभिन्न प्रचार आन्दोलन तथा विज्ञापनों का जनता पर प्रभाव देखने के लियें एक विभाग की स्थापना करे।

जहां तक फिल्मों का संबंध है, उनके अश्लील गानों तथा कुछ दृश्यों की बड़ी आलोचना हुई है। सरकार को चाहिये कि फिल्म विवाचन बोर्ड को ऐसे आदेश जारी करे जिससे कि चित्रों के स्तर में सुधार हो।

कच्ची फिल्मों पर अभी हाल एक कर लगाया गया है। इस कर का यह प्रभाव होगा कि ८० प्रातशत छोटे निर्माताओं को अपना काम बन्द कर देना पड़ेगा। अतः सरकार को चाहिये कि वह गैर-सरकारी निर्माताओं के हितों पर ध्यान दे जिससे इस उद्योग पर आघात न हो।

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक व उपयोगी भाषण दिये हैं उसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं। यदि मंत्रालय इन रचनात्मक सुझावों का ध्यान रखेगा तो अपनी योजनाओं के निर्माण करने और सुधारने में हमें काफी सहायता मिलेगी। समय के अभाव के कारण प्रत्येक माननीय सदस्य की बातों का उत्तर तो दिया नहीं जा सकता, परन्तु मैं प्रत्येक प्रस्तुत सुझाव पर समुचित विचार करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस दिशा में किसी प्रकार की आलोचना करने से पूर्व माननीय सदस्यों को यह भी देखना चाहिए कि थोड़े से समय में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है और इसका कितना विस्तार हुआ है। आकाशवाणी का काफी विस्तार और उसके कार्यक्रमों में काफी स्थिरता आई है। दस वर्ष पूर्व आकाशवाणी एक नई चीज थी। केवल चार-छः स्टेशन थे, कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम थी। विभाजन के पश्चात् और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में काम बढ़ा है। आज २८ प्रसारण केन्द्र हैं और ६० से भी अधिक ट्रांसमिटिर हैं। देश की १६ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है कि हम आकाशवाणी में अंग्रेजी को बहुत अधिक महत्व देते हैं। यह गलत बात है। कार्यक्रमों का लगभग ९० प्रतिशत समय भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण में व्यतीत होता है। अंग्रेजी में तो समाचारों और अन्य कुछ वार्ताओं के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। यह बात तो सभी ने स्वीकार की है कि भारतीय भाषाओं के सांस्कृतिक विकास में आकाशवाणी ने बहुत बड़ा भाग लिया है। किसी एक बात को लेकर माननीय सदस्यों को आलोचना नहीं करनी चाहिए। कोई छोटी-मोटी भूल हो भी जाये, तो उसको सुधारा जा सकता है। परन्तु यह तथ्य की बात है कि सभी जगहों पर भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम ही प्रमुख हैं। मैं यह चाहता हूं कि रेडियों द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है आप उसकी ओर ध्यान दें। स्कूलों, औरतों, बच्चों तथा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी है। विश्व-विद्यालयों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन काफी कठिन कार्य है परन्तु मैं विस्तार में न जाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि सामूहिक तौर पर देखने से पता चलता है कि इस दिशा में हमने काफी प्रगति की है।

विभागीय संगठन क सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सदन में कई बार बड़ी गर्मागर्मी भी हो चुकी है। परन्तु अब माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, और इस बारे में अब कोई असन्तोष नहीं है। कर्मचारियों की सेवा को नियमित बनाना व उनकी सेवाओं का गठन करना एक बड़ा ही कठिन काम था। लोक सेवा आयोग ने भी इस कार्य को बड़ा कठिन कार्य बताया है। परन्तु अब इस कार्य को पूरा कर लिया गया है।

अब हम कार्यक्रमों के आयोजन, उनके विस्तार, उनके सुधार, और उन्हें नियमित करने के महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस कार्य में हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं उन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमें बहुत सी भाषाओं का कार्यक्रम बनाना पड़ता है ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र के स्टेशन को केवल वहीं की भाषा का कार्यक्रम देना पड़ता हो। बम्बई में हमें आठ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करना होता है। दिल्ली में भी चार-पांच भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। यही स्थिति मद्रास और कलकत्ता की भी है। विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों का परस्पर समन्वय करने तथा सभी भाषाओं को जनता के लिये कार्यक्रम देने का काम बड़ा ही कठिन है। अभी तक हमारे पास समुचित टकनीकी मशीनरी का भी अभाव है। यदि दिल्ली व बम्बई जैसे केन्द्रों में ३ या ४ ट्रांसमिशन हो जाय, तो हमारा काम आसान हो जाय। हम पर आरोप लगाया जाता है कि कुछ स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा की जा रही थी। हमारी कठिनाई यह है कि भाषायें अधिक हैं और कार्यक्रम का समय बहुत कम है। इस पर अच्छे कार्यक्रमों

[डा० केसकर]

तथा देहाती कार्यक्रम का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन कठिनाइयों के बावजूद हमने काफी प्रगति की है।

सारे कामों के लिए हमें विशेषज्ञ कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में हम तीन चार वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं और इसमें हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। हम विभिन्न भाषाओं और विभिन्न विषयों के लिए चुने हुए लोगों को नियुक्त करते हैं। ये लोग ही सभी विषयों का कार्यक्रम बनाते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो अच्छे अच्छे साहित्यकारों को काम मिल जाता है और दूसरा उन्हें अपनी योग्यता प्रकट करने का अवसर भी उपलब्ध हो जाता है। प्रसारण के लिए लोगों को प्रशिक्षित करके तैयार कर लेना सरल कार्य नहीं है। यह प्राविधिक कार्य है और इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना होता है। इस काम में भी हम प्रगति कर रहे हैं। तुरन्त ही इस काम को पूरा कर लेना तो सम्भव नहीं थोड़ा समय तो लगेगा परन्तु मुझे आशा है कि शीघ्र ही हमारे विशेषज्ञ इतने प्रवीण हो जायेंगे कि वे आकाशवाणी पर अच्छे से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकेंगे। वह कार्यक्रम कला की दृष्टि से भी उच्च कोटि का होगा और जनसाधारण को भी पसन्द आयेगा।

हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता पुनः प्रसारण करने वाले यन्त्रों की है। देश के प्रत्येक भाग में तो अच्छे कलाकार उपलब्ध नहीं हो सकते। अतः अधिक स्टेशन चालू करने से कुछ लाभ नहीं होगा। परन्तु यदि पुनः प्रसारण यंत्रों की व्यवस्था हो जाय तो कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करके देश के प्रत्येक कोने में कार्यक्रम पुनः प्रसारित किये जा सकते हैं। इस प्रकार देश के सभी स्टेशनों से लोग कार्यक्रमों का आनन्द ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक आकाशवाणी कन्द्रों के चालू करन में वित्तीय कठिनाइयां भी हैं और कार्यक्रमों के स्तर को बनाये रखन का भी प्रश्न होता है। प्रसारण क्षमता का केन्द्रीय-करण करना सामूहिक रूप में देश के हित में ही है। अतः मैं आशा करता हूं कि यह मांग नहीं की जायगी कि देश के प्रत्येक भाग में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जायें। प्रयत्न किया जायेगा कि वैसे ही आकाशवाणी द्वारा लोगों को अच्छे से अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया जाय।

समुचित प्राविधिक सुविधायें और अपेक्षित सामग्री के उपलब्ध होने से हमारा कार्य तथा विभाग और भी प्रगति की ओर बढ़ेगा। आकाशवाणी के सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम योजना का उल्लेख बहुत से माननीय सदस्यों ने किया है। मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों में कुछ गलतफहमी है। वास्तव में इस योजना का उद्देश्य यह है कि देहातियों तक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों की सहायता की जाये। इस योजना की देखभाल राज्य सरकारें ही करती हैं। क्योंकि ग्रामों में लगे सामु-दायिक रेडियो सैटों की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की होगी। यह भी देखना उनका ही काम होगा कि उनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मान के अनुसार रेडियो बना कर आधी कीमत पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें कुछ न कुछ गांव पचायतों आदि से भी प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। आदिम जाति क्षेत्रों क लिए जो सामुदायिक सैट होते हैं उनके लिए कुछ नहीं लिया जाता, उसके लिए सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ही वहन करती है। इस योजना को अच्छी तरह चलाने के लिए राज्य मरकारों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता

है। जो रेडियो सैट ग्रामों को दिये जाते हैं, उसकी कीमत २५० रुपये होती है जिसका आधा राज्य सरकार देती है। इन रेडियों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम राज्य सरकारों के परामर्श से बनाये जाते हैं। देखभाल का कार्य भी राज्य सरकार का ही है। बहुत से राज्यों ने इस दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कई राज्य अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुधार होने की भी काफी आशा है। हमारी इच्छा यही है कि देश के प्रत्येक गांव में इस प्रकार का एक सामुदायिक रडियो सैट होना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए काफी बड़ी राशि निर्धारित की गयी है। इसका आरम्भ भी बहुत अच्छा हुआ है। लगभग ५०,००० रेडियो सैट विभिन्न गावों में दिये जा चुके हैं। इस योजना के काफी विस्तार हो जाने की आशा है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो आलोचना की है उसकी ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया जायेगा। ताकि राज्य सरकारें इस विभाग में और अधिक सुधार करने का प्रयत्न करें।

किसान मंडल कार्यक्रम भी चालू किये गये हैं। पहले पहल प्रयोगात्मक ढंग पर इसे यूनेस्को के सहयोग से आरम्भ किया गया था। इसका लक्ष्य यह था कि गांव के लोगों में यह भावना निर्माण की जाय कि वे परस्पर अपनी समस्याओं पर विचार करें और उनका हल ढूंढ़े और इस कार्यक्रम द्वारा उनके इस काम से दिलचस्पी दिखाई जाय व उन्हें पूरी मदद दी जाये। यह कार्यक्रम काफी सफल हो रहा है। अतः किसान मडल कार्यक्रमों की वृद्धि कर दी गई है। यह किसान मंडल एक प्रकार का क्लब सा होता है, जहां गांव के लोग आकर परस्पर मिल कर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। लगभग ऐसे एक हजार मंडल निर्माण करने की योजना है और आशा है कि यह कार्यक्रम आगे और भी बढ़ाया जायेगा।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम को योजनाबद्ध करने के सम्बन्ध में माननीया महिला सदस्य श्रीमती उमा नेहरू ने जो कुछ कहा है उसका बड़ा महत्व है। उन्होंने पूछा है कि रेडियो सिलोन के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। इसका उत्तर यह तो है नहीं कि लोगों को कहा जाये कि उसे मत सुनिये। वह बहुत बुरा होगा। जिन्हें वह पसन्द है, वे उसे सुन सकते हैं। हम उस पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं। हमने विश्लेषण करके देखा है कि शहरों में सिलोन रेडियो स्टेशन अवयस्कों द्वारा बहुत पसन्द किया जाता है। इस पर हमने विचार किया है। आम तौर पर सामान्य लोग गम्भीर कार्यक्रमों में रुचि नहीं रखते। वे हल्के फुल्के कार्यक्रम चाहते हैं। इन्हीं साधारण सुनने वालों के लिए विविध भारती कार्यक्रम चालू किया गया है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या हम इस सम्बन्ध में लंका सरकार से बातचीत नहीं कर सकते ? उन्होंने सिन्हली भाषा में व्यापार विभाग बन्द कर दिया है। क्या वे हिन्दी में बन्द नहीं कर सकते ?

†**डा० केसकर** : लंका सरकार के पास कानूनी तौर पर तो हम कोई आपत्ति कर नहीं सकते। परन्तु हमने लंका सरकार को कहा है कि किसी अन्य देश में इस प्रकार प्रचार करना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि सिलोन प्रसारण जांच समिति ने भी यह निश्चित सिफारिश की है कि रेडियो का व्यापार विभाग सिलोन के लोगों और सुनने वालों के हित में नहीं है। लंका सरकार इसे बन्द क्यों नहीं कर रही इस सम्बन्ध में मैं किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूं। परन्तु हम अपने देश में उसका विकल्प 'विविध भारती' के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम इतना आकर्षक हो और सुनने वालों का ध्यान इस ओर स्वयं ही आकृष्ट हो जाय। हमें

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

इस दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। 'विविध भारती' कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। लगभग ३०,००० पत्र प्रति मास इस कार्यक्रम के निदेशक के पास आते हैं। कई प्रसारण की पूछताछ के बारे में भी पत्र आते रहते हैं। लोग अपने सुझाव भेज रहे हैं। हम इसके अधिक से अधिक विस्तार की बात भी सोच रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हम मिडियम वेव के रेडियो सेट बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि छोटे मोटे रेडियो सेटों पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सके।

इसके बाद मैं समाचार बुलेटिनों के प्रश्न पर आता हूं जिनकी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने आलोचना की तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी निर्देश किया। उन्होंने कहा कि हमारे समाचार बुलेटिनों में दलीय सूचना रहती है। यह प्रश्न इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है। श्री माथुर ने कहा कि समाचार बुलेटिन संसद की कार्यवाही के संक्षेप के समान होने चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब यदि हम संसदीय कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई विशेष बुलेटिन प्रकाशित करें। तब मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं। अभी हम जो बुलेटिन प्रकाशित करते हैं उनमें केवल संसद के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख नहीं होता है वरन् देश की तथा बाहर की और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं का निर्देश भी होता है। समाचार बुलेटिन समाचार पत्र के समान होता है और उसमें ऐसी बातें दी जाती हैं जो समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। जहां तक संसदीय कार्यवाही का सम्बन्ध है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। हम संसदीय कार्यवाही के लिए विशेष बुलेटिन क्यों न प्रकाशित करें ?

†**श्री हेम बरुआ** : पहले जो 'टुडे इन पार्लियामेंट' निकलता था उसे बन्द क्यों कर दिया गया ?

†**डा० केसकर** : उसके बन्द किए जाने का हमें दुःख है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं उसमें संसदीय समीक्षा होती थी। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समीक्षा कार्यवाही के संक्षेप से सर्वथा भिन्न चीज है। समीक्षा में भाषणों के सम्बन्ध में टिप्पणी की जाती है। एक दो बार ऐसा हुआ कि माननीय सदस्य गुस्से में मुझसे यह कहते हुए आए कि "आपके समीक्षक ने मेरा अपमान किया है, अतः मैं इस विषय की सभा में चर्चा करूंगा।" इस प्रकार की अनेक घटनाओं के बाद अन्ततः मैंने यह महसूस किया कि या तो हम बहुत ऊंचे दर्जे का समीक्षक रखें या फिर ये समीक्षायें बन्द कर दी जायें। जब तक हम सब समीक्षक की आलोचना को सहन करने के सम्बन्ध में सहमत नहीं होते तब तक इस प्रकार की समीक्षा चालू करना संभव नहीं है। परन्तु जब संभव होगा तब हम उसे अवश्य चालू करेंगे। इस समय हमने उसे बन्द कर रखा है। संभवतः श्री माथुर का विचार यह था कि संसदीय कार्यवाही का संक्षेप प्रकाशित किया जाय।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : क्या हम यह समझें कि सरकार को ऊंचे दर्जे के समीक्षक नहीं मिल सके ?

† **डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्य को वास्तविक स्थिति बताए देता हूं। पहले वह मेरी बात सुन लें तभी कोई प्रश्न ठीक होगा। हमने उस पद का विज्ञापन निकाला था। हमने एक प्रवर समिति नियुक्त की थी और हम यह चाहते थे कि वह बहुत ऊंचे दर्जे की हो। इसी लिए हमने उस समिति में भूतपूर्व प्रेस आयोग के दो सदस्यों को नियुक्त किया था। उन्होंने समस्त अभ्यर्थियों का इन्टरव्यू लिया और हमें बताया कि कोई भी अभ्यर्थी आवश्यक योग्यता का नहीं निकला। यह

---

†मूल अंग्रेजी में

संभव है कि यदि हम बहुत ऊंचा वेतन दें तो कोई योग्य व्यक्ति मिल जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि समीक्षक उपलब्ध नहीं है परन्तु जो वेतन हमने निर्धारित किया है उस पर आवश्यक योग्यता वाला व्यक्ति मिलना संभव नहीं है। श्री हेम बरूआ जिस प्रकार की समीक्षा का निर्देश कर रहे हैं वह श्री हरिश्चन्द्र माथुर के विचार से सर्वथा भिन्न वस्तु है।

समाचार बुलेटिन में जो समाचार दिए जाते हैं वे व्यक्ति निरपेक्ष होते हैं। एक माननीय सदस्य ने, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, मुझसे कहा कि समाचार बुलेटिन में प्रधान मंत्री के भाषणों को बहुत समय दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री के भाषण, जो यहां दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए समाचार बुलेटिन में उनको पर्याप्त समय देना आवश्यक है। परन्तु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसमें केवल मंत्रियों के भाषण दिए जाते हैं। उसमें अन्य बातें भी दी जाती हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विरोधी दल की आलोचना का उल्लेख भी किया जाय। यदि प्रधान मंत्री के भाषण को विरोधी दल की आलोचना से अधिक समय दिया जाता है तो वह किसी पक्षपात की भावना से नहीं किया जाता है क्योंकि समाचार बुलेटिन का काम प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री को महत्व प्रदान करना नहीं है। समाचार सम्पादक घटनाओं के समाचार सम्बन्धी महत्व का विचार करता है और उसी के अनुसार उन्हें स्थान दिया जाता है। सरकार कोई नियम नहीं निर्धारित करती है वरन् समाचार विभाग अपने विवेक से ऐसे समाचार चुनता है जो महत्वपूर्ण हों तथा उसमें संसद की और बाहर की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप दिया जाता है।

समाचार बुलेटिनों के सम्बन्ध में अनेक बार सवाल किए जा चुके हैं और कभी कभी आरोप भी लगाए गए हैं परन्तु मुझे जांच करने पर हर बार यही पता लगा कि वे आरोप निराधार थे और वे शिकायतें ठीक नहीं थीं।

श्री हेम बरूआ ने चीनी प्रधान मंत्री के पत्र सम्बन्धी समाचार को रोक रखने के प्रश्न का उल्लेख किया और कहा कि उसको प्रधान मंत्री ने रोक दिया था अथवा वह इस समाचार के प्रसारण में आकाशवाणी के मार्ग में बाधक बने।

†**श्री हेम बरूआ** : वास्तव में मैं यह जानना चाहता था कि आकाशवाणी का नियंत्रण कौन करता है और इस समाचार को बुलेटिन में सम्मिलित करने के लिए आकाशवाणी अधिकारी प्रधान मंत्री का आदेश प्राप्त करने के लिए क्यों गए ?

†**डा० केसकर** : जब उच्च राष्ट्रीय हित के प्रश्न उपस्थित होते हैं तो वैसा करना आवश्यक हो जाता है और मैं समझता हूं कि आकाशवाणी अधिकारियों ने ठीक ही किया क्योंकि यह कोई साधारण समाचार नहीं है वरन् हमारे तथा हमारे पड़ोसी देश के बीच के बड़े विवाद से सम्बन्धित है और उसका भावी घटनाओं पर असर पड़ने की संभावना थी। इसलिए वैसा करना सर्वथा ठीक है और प्रत्येक देश में उच्च राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों में ऐसा ही किया जाता है।

इसके बाद मैं आकाशवाणी से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण मामलों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में अनेक सदस्यों ने सवाल किए हैं। स्टाफ आर्टिस्ट आकाशवाणी के अत्यन्त आवश्यक अंग हैं और प्रोग्राम तैयार करने में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुमारी मो० वेद कुमारी को, जिन्होंने यह सवाल उठाया है, यह बता देना चाहता हूं कि मुझे भी स्टाफ आर्टिस्टों के प्रति उतनी ही सहानुभूति है जितनी कि उनको है। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० कसकर]

उनका काम किस प्रकार का है। प्रसारणकर्ता और स्टाफ आर्टिस्टों को जो ठेके दिए जाते हैं वे एक से ही होते हैं, केवल उनका सेवा-काल भिन्न होता है क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि वे स्थायी सरकारी पद नहीं हैं। इन पदों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न फीसें निर्धारित की गई हैं। यदि उनको नियमित पदों में परिवर्तित कर दिया जाय तब सेवा-काल, वेतन-क्रम और अन्य बातों का प्रश्न उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं।

मान लीजिए कि मैं एक दिन श्री हेम बरूआ को रेडियो पर बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं तो यह आवश्यक नहीं है कि अगले दिन भी उन्हीं को रखा जाय। संसार के समस्त प्रसारण संगठन इसी प्रणाली पर चल रहे हैं क्योंकि रेडियो कार्यक्रम तैयार करने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। हम जिस प्रकार का कार्यक्रम तैयार करेंगे उसी प्रकार के व्यक्तियों को लेना होगा। उनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई काम एक दिन में भी हो सकता है और कोई कई दिनों में। इसीलिए सब स्टाफ आर्टिस्टों के ठेके एक से नहीं होते और उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है वरन् फीस मिलती है। हमने यह महसूस किया है कि जो लोग वहां बहुत समय से काम कर रहे हैं उन्हें कुछ सुविधायें मिलनी चाहिएं। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं साधारण सरकारी कर्मचारियों और इन स्टाफ आर्टिस्टों में कुछ अन्तर होता है। जब हम स्टाफ आर्टिस्टों को लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य और अवस्था का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता जैसा कि नियमित सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता है। चूंकि वह नियमित पद नहीं होता इसलिए किसी भी अवस्था के व्यक्ति को रखा जा सकता है उसका स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो। यदि एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो उसको तुरन्त नियुक्त किया जा सकता है। फिर भी हम लम्बे समय से काम करने वालों को कुछ सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। चिकित्सा सहायता और आवास की व्यवस्था तो की जा चुकी है और अब उपदान तथा अन्य सुविधाओं का विचार किया जा रहा है ताकि जो लोग बहुत समय से निरन्तर स्टाफ आर्टिस्ट का काम करते आ रहे हैं उन्हें कुछ सहायता मिल सके। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसका अवश्य ही प्रयत्न करेंगे और इस समय स्टाफ आर्टिस्टों की स्थिति सुधारने के लिए एक योजना पर वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

इसके बाद मैं पत्र सूचना कार्यालय के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उसमें दलीय प्रचार कार्य होता है। जैसाकि आप जानते हैं पत्र सूचना कार्यालय का कार्य जनता और प्रेस के समक्ष सरकार के कार्यों से संबंधित तथ्य उपस्थित करना है। मैं नहीं समझता कि सरकार यह कार्य क्यों न करे? यदि विरोधी पक्ष के सदस्यों को सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है तो सरकार को भी यह अधिकार है कि वह जनता के सामने सही तथ्य उपस्थित करे। मुझे ऐसे मामले याद हैं जिनमें सरकार के कार्य के सम्बन्ध में समाचार पत्रों और सभाओं में सर्वथा गलत तथ्य उपस्थित किये गये थे और हमें उनको गलत सिद्ध करने के लिए फोटो तथा आंकड़े प्रकाशित करने पड़े थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इस प्रकार की गलत बातें न कहीं जायें तो हमें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। माननीय सदस्यों को सरकार की आलोचना करने की पूर्ण स्वतंत्रता है अतः सरकार को भी जनता के सामने सही चीज रखने का अधिकार है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : क्या सरकार राज्य की चीज को दलीय हित के काम में लासकती है?

†**डा० केसकर** : ऐसा कहना ठीक नहीं है कि पत्र समाचार कार्यालय में दलीय हित का कार्य किया जाता है। मैंने ऐसा कोई प्रकाशन उस कार्यालय का नहीं देखा है जिस में सरकारी कार्यवाही के

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री दी गई हो । संभवतः ऐसा कहने का कारण यह हो सकता है कि यह कार्यालय अपने अधिकारियों और सरकार के लिये देश के प्रमुख समाचार का संक्षेप भी तैयार करता है । परन्तु वह समाचारपत्रों को नहीं भेजा जाता है । इस संक्षेप में दल सम्बन्धी बातें रहती हैं--केवल कांग्रेस की ही नहीं वरन् अन्य दलों की भी । उसकी जरूरत सरकार की सूचना के लिये होती है । परन्तु जो बुलेटिन वितरित किये जाते हैं उनमें केवल सरकार के कार्यों से सम्बन्धित तथ्य होते हैं । यह सामग्री ३००–४०० दैनिक पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं को भेजी जाती है । वे इस सामग्री की तारीफ करते हैं और अनेक पत्रों द्वारा उसे प्रकाशित भी किया जाता है ।

इसके बाद मैं विज्ञापन सम्बन्धी नीति पर आता हूं । यह कहा गया है कि विज्ञापन देने में भेदभाव किया जाता है । मैं अनेक बार विज्ञापन नीति की व्याख्या कर चुका हूं और फिर से बता देना चाहता हूं कि विज्ञापन इस दृष्टि से दिये जाते हैं कि वे अधिकतम लोगों के पास पहुंच सकें । विज्ञापनों के लिये समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को चुनने में उनके प्रकाशन की संख्या, नियमितता, पाठकों के वर्ग, पत्रकारिता के अन्य सिद्धान्तों का पालन और भाषा तथा क्षेत्र सम्बन्धी अन्यान्य बातों का विचार किया जाता है । मैं चाहता हूं कि किसी पत्र को राजनैतिक विचारधारा के आधार पर विज्ञापनों से वंचित न रखा जाय । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने उन पत्रों की सूची दी जिनको विज्ञापन नहीं दिये गये हैं परन्तु उन्होंने अपने दल के उन पत्रों का उल्लेख नहीं किया जिन्हें विज्ञापन दिये जा रहे हैं । मैं विरोधी पक्ष के उन पत्रों के नाम बताता हूं जिन्हें विज्ञापन दिये जा रहे हैं :

न्यू एज, दिल्ली; स्वाधीनता, कलकत्ता; विशाल आन्ध्र, विजयवाडा; नवजीवन, त्रिचूर; जननायगम, कोट्टायम; जनयुग, लखनऊ; नया पत्र, लखनऊ; नया जमाना, जलन्धर; गणतंत्र, कटक; अभुजार खण्ड, रांची; लोक सेवक, कलकत्ता; कृषक, कटक; केरल जनता, त्रिवेन्द्रम; रामधुन, गौहाटी; विजिल, कलकत्ता; कौमुदी, त्रिवेन्द्रम; कौमुद वीकली, त्रिवेन्द्रम; सबकरलीन, कलकत्ता; मैनकाइन्ड, हैदराबाद; चौखम्बा, हैदराबाद; कल्कि, मद्रास; फ्लेम, दिल्ली; स्वराज्य, मद्रास ।

यह सूची बहुत लम्बी है । परन्तु यह संभव नहीं है कि सरकार का विरोध करने वाले प्रत्येक पत्र को विज्ञापन दिये जायें । माननीय सदस्यों को यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के पत्रों की संख्या इतनी अधिक है कि सरकार के लिये प्रत्येक को विज्ञापन देना संभव नहीं है । मैं पहले भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को यह बता चुका हूं । परन्तु यह मैं नहीं बता सकता कि किसी पत्र को विज्ञापन क्यों नहीं दिये जाते हैं । मान लीजिये कि पत्रों की संख्या १००० है और मेरे पास २०० पत्रों को विज्ञापन देने के लिये धन है तो मुझे २०० पत्र चुनने होंगे ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : जब 'न्यू एज' को विज्ञापन दिये जा रहे हैं तो 'जनता' को क्यों नहीं दिये जाते जो प्रजा समाजवादी दल का मुख्य पत्र है ?

†**डा० केसकर** : मैं किसी विशेष पत्र के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं । सामान्य नीति मैं बता चुका हूं । किसी खास पत्र की वकालत यहां नहीं की जानी चाहिये ।

इसके बाद मैं भारतीय भाषाओं के पत्रों पर आता हूं । मैं उनको विज्ञापन देने की आवश्यकता महसूस करता हूं और इसीलिये हम धीरे धीरे उनको अधिकाधिक विज्ञापन दे रहे हैं । मैं अनेक बार सभा में इससे सम्बन्धित तथ्य उपस्थित कर चुका हूं । माननीय श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, अंग्रेजी और हिन्दी के पत्रों को दिये गये विज्ञापनों के जो आंकड़े दिये उनको

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं उनसे यह कहूंगा कि वह अंग्रेजी के विज्ञापनों पर किये गये व्यय की तुलना केवल हिन्दी विज्ञापनों से न करें वरन् अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विज्ञापनों पर किये गये व्यय को भी शामिल करें।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : इस में सवाल यह है कि दूसरी लैंग्वेजिज और हिन्दी को मिला कर जितना रुपया खर्च होता है, उस से ज्यादा अंग्रेजी में होता है या नहीं।

†**डा० केसकर** : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मैं आंकड़े पढ़कर सुनाता हूं। १९५७–५८ का प्रतिशत ७६.५५ था। आप देखेंगे कि यह प्रतिशत हर साल बढ़ता जा रहा है। आज हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को जो विज्ञापन दिये जा रहे हैं उनका प्रतिशत स्थान और धन दोनों दृष्टियों से अधिक है। वर्तमान अनुपात ५४·४६ है और हमारी नीति भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिकाधिक विज्ञापन देने की है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार की आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि सरकार भी भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिक विज्ञापन देना चाहती है और उन पत्रों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम उन्हें अधिकाधिक विज्ञापन दे रहे हैं। देश में ३००० पत्र हैं और उन सबको अथवा अधिकांश को विज्ञापन देना संभव नहीं है।

श्री हेम बरूआ ने इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी तथा सरकार के बीच हुई बातचीत का निर्देश किया। मेरा निवेदन है कि समाचार पत्रों से सीधे बातचीत करना कोई नई बात नहीं है, सरकार हमेशा से ऐसा करती आई है। वास्तव में बात इस प्रकार है कि यह समिति—जो लगभग १३० सभापत्रों की प्रतिनिधि संस्था है—यह चाहती थी कि हम उनके साथ सामान्य सिद्धान्तों के बारे में सामूहिक समझौता कर लें। हमने सोचा कि ऐसा करना लाभकारी हो सकता है। परन्तु बात चीत खत्म होने का कारण सर्वथा भिन्न है। आकलन करने पर हमने देखा कि यदि सोसाइटी विज्ञापन की दरें बढ़ा देगी तो हमें वे दरें स्वयमेव स्वीकार करनी पड़ेंगी और इससे सरकार को अधिक व्यय करना होगा। ऐसा हम नहीं करना चाहते थे। मान लीजिये कि अगले वर्ष तक समाचार पत्रों का परिचालन दुगना हो जाता है और यदि विज्ञापन की दरें भी दुगनी कर दी जाती हैं तो हमें उन दरों को अवश्य स्वीकार करना होगा। इसलिये हमने उस को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा। बातचीत बन्द कर देने का यही कारण है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के साथ कोई भी चर्चा न करें। माननीय श्री बरूआ को यह भी समझना चाहिये कि इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी के बाहर भी बहुत से समाचार पत्र हैं और हम उनके तथा सोसाइटी के सदस्यों के साथ अलग अलग बातचीत करते रहे हैं। उनके साथ सामूहिक समझौता करने का प्रश्न हाल में ही उत्पन्न हुआ था। इसलिये माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये कि हम समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का अति-क्रमण कर रहे हैं।

इसके बाद मैं फिल्मों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं। मैं यह मानता हूं कि उत्पादन शुल्क का फिल्म उद्योग पर बहुत असर पड़ेगा। हम यह नहीं चाहते कि इस उद्योग को किसी प्रकार का नुक्सान पहुंचे। उद्योग के प्रतिनिधियों ने मुझसे इस सम्बन्ध में चर्चा की थी। वह वित्त मंत्री से भी मिले थे। उनकी सब शिकायतें हमें मालूम हो गई हैं और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री उनकी सब बातों का ध्यान रखेंगे और जब वह इसके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करेंगे तो केवल वित्तीय पहल का ही विचार नहीं करेंगे वरन् उद्योग के हित एवं समृद्धि का भी विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री क्या सहायता करेंगे ?

†**डा० केसकर** : कराधान के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

इसके बाद मैं केन्द्रीय सूचना सेवा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में प्राय: प्रत्येक सदस्य ने कुछ न कुछ कहा है । यह सेवा इसलिये चालू की गई थी कि हमारे विभिन्न एककों में सूचना तथा प्रचार सम्बन्धी कर्मचारी थे और उनमें से बहुत से अस्थायी थे जो ठेके पर रखे गये थे । इन अधिकारियों के हित में ही इस सेवा का निर्माण किया गया था । जब इस सेवा का निर्माण किया गया था तो यह स्पष्ट बता दिया गया था कि वरिष्ठता, वेतनक्रमों और अन्य बातों का निर्णय लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा ।

यह स्पष्ट है कि जब विभिन्न एककों के इतने अधिकारियों को एक में मिलाया जायेगा तो कोई न कोई अवश्य यह महसूस करेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है । इन मामलों में हमें गृहकार्य मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता है । जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि नियमों, वेतनक्रमों और वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अन्तिम होता है । इस समस्त कार्य में, जो सबके हित के लिये किया जाता है, कुछ लोग अवश्य ही यह महसूस करेंगे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है यद्यपि अधिकांश लोग संतुष्ठ हैं । वे लोग अभ्यावेदन कर सकते हैं जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज दिया जायेगा मुझे विश्वास है कि आयोग उन पर सहानुभति से तथा नियमों के अनुसार विचार करेगा और देखेगा कि नियानुसार वरिष्ठता की उपेक्षा तो नहीं की गई है ।

फिर मैं सेंसर के विषय पर आता हूं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके सम्बन्ध में बहस हो चुकी है जिसमें उसके गुणदोषों की चर्चा की गई थी । संक्षेप में, यह मामला ऐसा नहीं है जिसका सहज ही निर्णय किया जा सके जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों का विचार मालूम होता है । हमने सेंसर करने वालों के विचारार्थ कुछ सामान्य निदेश निर्धारित किये हैं । इसलिये हमें उनकी व्यर्थ में आलोचना नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने सब फिल्मों को पास कर दिया है या कोई गलत काम कर दिया है क्योंकि उनका कार्य अत्यन्त कठिन होता है । उनको प्रत्येक फिल्म के प्रत्येक दृश्य का उसके प्रसंग में विचार करना होता है कि वह आपत्तिजनक अथवा निर्धारित सिद्धान्तों के प्रतिकूल तो नहीं है । (**अन्तर्बाधायें**) यह काम आसान नहीं है । मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ । यदि माननीय सदस्य को भी उस जगह पर रख दिया जाय तो वह स्वयं भी कठिनाई में पड़ जायेंगे । उन्हें बड़ा कठिन कार्य करना पड़ता है । अत: इस आलोचना के बावजूद मैं सेंसर करने वालों के कार्य की प्रशंसा करूंगा । यह ठीक नहीं है कि बोर्ड ही प्रत्येक फिल्म की जांच कर सकता है । अनेक मण्डल बने हुए हैं जो फिल्मों की जांच करते है तथा उन्हें पास करते हैं । बाद में उनका पुनरीक्षण किया जा सकता है । फिर अपील की व्यवस्था भी है । मैं समझता हूं कि बोर्ड के छै सदस्य प्रत्येक फिल्म की जांच नहीं कर सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : संसद के कुछ सदस्य बोर्ड में क्यों नहीं ले लिए जाते ?

†**डा० केसकर** : यदि उनके पास समय है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ । उन्हें प्रतिदिन फिल्म दखने के लिए ३–४ घण्टे बैठना पड़ेगा । यदि वे तैयार हों तो मैं उनके संबंध में विचार करूंगा । ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह बड़ा कठिन काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व-सेंसर का भी निर्देश किया गया। यह चीज उपयोगी हो सकती है क्योंकि इसमें निर्माता कुछ धन बचा सकता है। परन्तु उसके संबंध में एक वैधानिक कठिनाई है। डा० सुशीला नायर ने उसे दूर करने का प्रयत्न किया है। लेकिन वह इतनी सहज नहीं है। पूर्व-सेंसर में पट-कथा (स्क्रिप्ट) की जांच की जायेगी और यहीं वैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है। सरकार केवल प्रकाशित सामग्री की जांच कर सकती है, हस्तलिखित सामग्री की नहीं। इस मामले में हमने ऊंची से ऊंची कानूनी सलाह ले ली है। हां, ऐच्छिक पूर्व-सेंसर की व्यवस्था हमने कर दी है। परन्तु उसमें भी एक कठिनाई है। यदि पूर्व सेंसर करने वाले पट-कथा को पास कर दें और सेंसर वाले उसके किसी भाग को स्वीकार न करें तब क्या होगा ? इन सब कठिनाइयों के कारण हम बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहे है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि स्थिति इस समय से भी अधिक जटिल हो जाय।

†**श्री महागांवकर** (कोल्हापुर) : क्या सेंसर बोर्ड में निर्माता संघ का भी कोई सदस्य लिया जाता है ?

†**डा० केसकर :** फिल्म फेडरेशन का प्रतिनिधि उसमें रखा गया है।

अंत में, मैं अश्लील विज्ञापनों के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि यह विषय गृह-कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हां, हमने विभिन्न राज्यों के गृह-विभागों का ध्यान इस मामले में कार्यवाही करने कीं आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सभा में जो विचार व्यक्त किए गए है उनका विभिन्न गृह विभागों पर असर पड़ेगा और वे इस संबंध में कुछ कदम उठाएंगे।

कुछ और बातें भी माननीय सदस्यों द्वारा कही गईं थीं परन्तु समयाभाव के कारण उनका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन उन पर मैं विचार अवश्य करूंगा और देखूंगा कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : एक आवश्यक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। वह यह है कि अंग्रेजी के कलाकारों, अंग्रेजी के काम करने वालों और अंग्रेजी के लघु-लिपिकों यानी शार्टहैंड स्टेनोग्राफर्ज को जो तन्ख्वाहें, भत्ते या रीम्युनरेशन दिए जाते है, वे भाषा में काम करने वालों के मुकाबलें में बहुत ज्यादा है और डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज किया जाता है। इस सम्बन्ध में मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं बताया है। क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं बताया है। वह इस को स्पष्ट करें।

डा० केसकर : इसलिए नहीं बताया है कि मेरे पास समय नहीं है। यह बात गलत है कि केवल भाषा के कारण पे-स्केल्ज अलग रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : ऐसा ही है।

सेठ गोविन्द दास : ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है।

डा० केसकर : इस बारे में मत-भेद हो सकता है। कुछ विशेष पदों के बारे में यह बात कही जा सकती है लेकिन साधारण तौर पर यह बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६०	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	१२,६८,०००
६१	प्रसारण	४,७१,१२,०००
६२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,४८,९२,०००
१२३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	१,६४,३१,०००

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांग संख्या ३६ से ४१ तथा ११८ से १२० तक पर चर्चा करेगी। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे १५ मिनट के भीतर उनकी संख्या सभा पटल पर दे दें।

वर्ष १९६०-६१ के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बारे में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय	६९,१९,०००
३७	वन	२,५६,६७,०००
३८	कृषि .	९,६६,१९,०००
३९	कृषि अनुसन्धान	४,७९,४१,०००
४०	पशु-पालन	२,५७,५७,०००
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	११,६७,७३,०००
११८	वनों पर पूंजी व्यय	५,१५,०००
११९	खाद्यान्नों का क्रय . .	१,७७,१३,५९,०००
१२०	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	४१,७४,९८,०००

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने इस अनुदान पर सबसे पहले मुझे समय दिया है। इन चालीस वर्षों के सार्वजनिक जीवन में तीन मेरे प्रधान क्षेत्र रहे हैं, एक देश की स्वतंत्रता, दूसरे देश की भाषा और तीसरे देश का खाद्य और देश की तन्दुरुस्ती। लोग कहते हैं कि मैंने हिन्दी और गो-रक्षा इन दोनों को एक साथ कैसे मिलाया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन दो चीजों का एक दूसरे से जितना सम्बन्ध है उतना शायद किसी चीज से नहीं है। हिन्दी से हमारे मस्तिष्क का सम्बन्ध है और गो-रक्षा से हमारे शरीर का सम्बन्ध है। शरीर के बिना मस्तिष्क निरर्थक है और मस्तिष्क के बिना शरीर निरर्थक है।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : चल सकता है।

सेठ गोविन्द दास : यह देश कृषि प्रधान देश है, इसे सब जानते हैं और सदा इस देश में एक बात उठा करती है कि उत्पादन बढ़ाया जाए। परन्तु उस दिन शिक्षा के अनुदानों पर बोलते हुए जो बात मैंने भाषा के सम्बन्ध में कही थी और कहा था कि भाषा के विषय पर ध्यान न देने का अर्थ यह होता है कि मूल का ध्यान न रख कर केवल शाखा और पत्र गिनते हैं उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि हम गो-रक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं तो उत्पादन बढ़ाने की बात करना मूल को न देख कर शाखा और पत्र गिनना है।

इस देश में हमारी ज़मीन की ऐसी स्थिति है और भिन्न भिन्न राज्यों में ज़मीन की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के बाद जैसी स्थिति हो जाएगी उसमें अच्छे बैलों के बिना हमारे देश में खेती नहीं हो सकती।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : ट्रेक्टरों से होगी।

सेठ गोविन्द दास : अधिक अन्न उत्पादन करने के लिए हमको बैल चाहियें। उसी प्रकार से यह देश निरामिष भोजी है। जितना यह देश निरामिष भोजी है दुनिया का कोई देश नहीं है। अपने शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए हमको घी और दूध की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे तत्ववेत्ताओं ने एक बात देखी थी कि यथार्थ में यह सृष्टि एक ही तत्व है और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी, इस वैज्ञानिक युग में भी इस खोज के आगे अभी तक कोई खोज नहीं की गई है। मैं वही हूं जो आप हैं, आप वही हैं जो मैं हूं और समस्त सृष्टि वही है जो आप और मैं हैं। इसीलिए वसुधैव कुटम्बकम् हमारे यहां का सिद्धान्त था और यदि समस्त वसुधा हमारा कुटुम्ब है फिर अहिंसा तो आप से आप आ जाती है। इसलिए कांग्रेसवादी रहते हुए भी, कांग्रेस सरकार का वहां समर्थक रहते हुए भी, जब मैं देखता हूं कि हमारी सरकार मछली के रोजगार को प्रोत्साहन देती है, अंडों के रोजगार को प्रोत्साहन देती है तो मैं आप से कहूं कि सिर से पैर तक मुझे आग लग जाती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी संस्कृति, हमारे तत्व-ज्ञान, हमारी सारी परम्परा के विरुद्ध जो कि अहिंसामय परम्परा रही है, जिसका आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम् रहा है, उस स्वतंत्र देश की सरकार यह मछली और ये अंडे और इन सब चीजों के रोजगार को किस प्रकार प्रोत्साहन दे रही है ...

श्री त्यागी (देहरादून) : छी, छी।

सेठ गोविन्द दास : हम अधिक उत्पादन करना चाहते हैं। मैंने अभी आपसे निवेदन किया बिना गोवध के बन्द हुए, बिना गाय की नस्ल सुधरे यह हो नहीं सकता है। हमारे संविधान में इस सम्बन्ध में स्पष्ट धारायें हैं और मेरे पास मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव जी बैठे हुए हैं। संविधान

सभा में उनके और मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव थे। हम संविधान में कुछ धारायें जुड़वाना चाहते थे। उनकी धारायें जुड़ गईं लेकिन मैंने जो सम्पूर्ण गोबध बन्दी की धारायें रखी थीं वे नहीं जुड़ीं। इतने पर भी जो हमारी धारायें हैं, उन धाराओं का जो अर्थ हमारे उच्चतम न्यायालय ने किया है उसमें भी स्पष्ट है कि इस देश में गोवबध नहीं हो सकता, कम से कम गाय, बछड़ा, बछड़ी, उनका बध नहीं हो सकता। बैलों को उन्होंने उसमें से अलग रखा है। लेकिन कम से कम हमारे संविधान की जिस धारा का उच्चतम न्यायालय फैसला कर चुका है उस फैसले के अनुसार तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सब राज्यों में कम से कम उस धारा के अनुसार कानून बन जायें। पर कानून बनाना तो दूर रहा गोबध बढ़ रहा है। अभी कल ही एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सतीश चन्द्र जी ने स्वीकार किया है कि सन् १९५६ में ९ करोड़ रुपये की खालों का निर्यात हुआ और १९५९ में २८ करोड़ ७० लाख रुपये की खालों का। मैं कहना चाहता हूं कि ये खालें अधिकतर गोवंश की खालें हैं, उनका चमड़ा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल (बलोदा बाजार) : मरी हुई गायों का या ज़िन्दा गायों का ?

सेठ गोविन्द दास : मरी हुई गायों का चमड़ा नहीं बल्कि जो कसाईखानों में मारी जाती हैं उन गायों का चमड़ा है क्योंकि जो चमड़ा विदेशों में जाता है वह अच्छे से अच्छा चमड़ा होता है और अच्छा से अच्छा चमड़ा उन जानवरों का होता है जो कसाईखानों में मारे जाते हैं।

फिर कहा जाता है कि अच्छे पशु नहीं मारे जाते। मैं पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि वह बम्बई के कसाईखाने को जाकर देखने की कृपा करें, कलकत्ते के कसाईखाने को जाकर देखने की कृपा करें, मद्रास के कसाई खाने को जाकर देखने की कृपा करे। मैं कहता हूं कि उन कसाईखानों में किस तरह से गोहत्या होती है, खून उबल जाता है। मेरे सदृश एक अहिंसावादी की भी आंखों में आंसू झड़ने लगते हैं, उन गायों को और उन बछड़ों को देख कर कि जो वहां पर मारे जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे गोवंश का बध हमारे यहां बम्बई में, हमारे यहां कलकत्ते में, हमारे यहां मद्रास में और दूसरे स्थानों पर हो रहा है। जो गायें, हरियाना से और पंजाब से दूसरे क्षेत्रों से बम्बई, कलकत्ते इत्यादि जाती हैं, बछड़ें तो उनके तुरन्त कसाई-खाने में चले जाते हैं और गायों को उनका दूध सूखते ही, उनकी अच्छी से अच्छी स्थिति होते हुए भी, कसाई-खानों में भेज दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह काम हमारे संविधान के अनुसार हो रहा है, सरकार इसको न रोक कर क्या संविधान का पालन कर रही है, क्या सरकार स्वयं इस प्रकार का रक्तपात जो जानवरों का यहां पर हो रहा है, उसको देखते हुए संविधान के विरुद्ध नहीं जा रही है ? यह चीज मैं पाटिल साहब से जानना चाहता हूं और दूसरे मंत्रियों से भी जानना चाहता हूं।

फिर कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् १९५६ में ६ करोड़ रुपये की खली का निर्यात हुआ, १९५९ में १८ करोड़ रुपये का हो गया। १९५६ में जो ६ करोड़ की खली बाहर जाती थी वह तीन वर्ष के बाद आज १८ करोड़ की जा रही है। ग्वार का निर्यात अभी भी जारी है। रेल की मुसाफिरी जब हम करते हैं तो देखते हैं कि रेल की लाइन के दोनों तरफ मीलों तक हरा भरा जो घास रहता है वह या तो गर्मियों में जल जाता है या बरसात में सड़ जाता है। पशुओं के लिए इन सारे खाद्य पदार्थ का प्रबन्ध किया जा सकता है लेकिन गोबध नहीं रोका जा सकता। इस प्रकार के खाद्य का निर्यात बन्द नहीं किया जा सकता, जो चारा हमारे यहां होता है उस चारे की रक्षा नहीं की जाती और कहा जाता है कि हम इस सम्बन्ध में कुछ कर रहे हैं। जहां तक नस्ल सुधारने का सम्बन्ध है, मैं पूछना चाहता हूं कि सांड बनाने का, अच्छे सांड तैयार करने का, क्या प्रबन्ध हो रहा है, जो कि इस सम्बन्ध में हमसे कहा गया कि हम करेंगे। क्या वह हवा में नहीं हैं ? प्रति वर्ष की जो योजना थी, उसके अनुसार कितने सांड इस देश में तैयार हुए यह मैं जानना चाहता हूं, और बिना अच्छे सांड तैयार हुए नस्ल सुधार कैसे हो सकता है, यह मेरी समझ के बाहर है।

इस प्रकार यह सारे कार्य हो रहे हैं। मैंने यह सुना है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस विभाग के लिए जो धन रखा गया था, उसमें भी कमी की जा रही है। तब फिर आप अधिक उत्पादन की बात छोड़ दीजिये। आप यदि अधिक उत्पादन चाहते हैं .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : कमी नहीं की जा रही है, ४५ करोड़ रुपये के बजाय ८० करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं, मगर यह ८० करोड़ रु० भी नाकाफी हैं।

सेठ गोविन्द दास : अभी भार्गव जी ने मुझसे कहा कि जो दिया जा रहा है वह बहुत कम है। गोसंवर्द्धन नाम की कौंसिल इस काम के लिये है, लेकिन उसकी कितनी इज्जत है, वह मैंने इस बार देख लिया। गोसंवर्द्धन कौंसिल की सालाना बैठक रक्खी गई थी, बम्बई में, २७ फरवरी को। हम लोग जाने के लिये तैयार थे। २७ तारीख से तीन चार दिन पहले खबर मिलती है कि वह २७ तारीख के बजाय २८ तारीख को होगी। ठीक। एक दिन बाद, यानी २४ घंटे बाद फिर खबर मिलती है कि साहब, वह तारीख तो २५ ही हो गई। अगर मंत्रियों को काम रहते हैं तो हम लोग भी इतने फालतू आदमी नहीं हैं कि हमारे कोई प्रोग्राम न रहें और हम कोई प्रोग्राम न बनायें। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जब गोसंवर्द्धन कौंसिल की इस प्रकार की इज्जत है तो उसको रखने से लाभ क्या है ? समाप्त कीजिये उस को।

अन्त में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव मैं यह रखना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायलय के निर्णय के अनुसार गोवध के सम्बन्ध में हर राज्य में कानून बनायें जायें, तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार कदम उठाये।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : बिहार में कानून बन गया है।

सेठ गोविन्द दास : (२) चारे का उपयोग किया जाय तथा यथासंभव कोचर भूमि छोड़ी जाय।

(३) खली तथा गुवार आदि वस्तुओं का निर्यात बन्द हो।

(४) अधिक से अधिक सांड तैयार किये जायें।

(५) गोवंश की खालों का निर्यात पूर्णतः बन्द किया जाय क्योंकि हमारा अधिकांश गोवध इन खालों के लिये होता है।

यह एक ऐसा विषय है, जिस पर नहीं मालूम मुझे कितना कहना रहता है।

कुछ माननीय सदस्य: सब कुछ कहिये।

सेठ गोविन्द दास : हर वर्ष मैं कुछ न कुछ कहता रहता हूं, लेकिन चूंकि समय मेरे पास कम था और दूसरे सज्जन भी बोलने वाले हैं, मैंने संक्षेप में आपके सामने कुछ बातें कहीं। जहां तक पाटिल साहब का सम्बन्ध है, मैं उनके मत को जानता हूं। जिस समय वे मिनिस्टर नहीं थे, उस समय अखिल भारतीय गो सम्मेलन बम्बई में हुआ था। उसका मैं अध्यक्ष था और पाटिल साहब ने उसका उद्घाटन किया था, और बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि इस देश में गोवध बन्द होना चाहिये। लेकिन मुश्किल यह है ..... कि जब हमारे सदस्य मिनिस्टर नहीं रहते तब तो उनकी एक स्थिति रहती है, और मिनिस्टर होते ही न जाने उनका दिमाग कैसे घूम जाता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। जहां तक पाटिल साहब के व्यक्तिगत मतों का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि उनका क्या मत है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो इसका एक इलाज गवर्नमेंट के पास है कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाय ।

श्री त्यागी : तब इनका दिमाग भी बदल जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : इसीलिये शायद मैं मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा हूं, जैसा त्यागी जी ने कहा, कि कहीं मेरा दिमाग़ भी खराब न हो जाय ।

जहां तक कृष्णप्पा जी का सम्बन्ध है, मैं जानता हूं कि उनको इस सम्बन्ध में बड़ी भारी सहानुभूति है । इसके पहले भी जो इस महकमे के मंत्री रहे हैं उनकी यही स्थिति रही है । श्री अजित प्रसाद जैन थे, वह तो जैन ही थे । मेरी समझ में नहीं आता कि जैन रहते हुए उनकी मिनिस्ट्री में यह सब रक्तपात कैसे होता रहा । जहां तक किदवई साहब का सम्बन्ध है, स्वर्गीय किदवई साहब का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज किदवई साहब होते और वे मिनिस्टर रहते हुए इस लोक सभा में इस बात का आश्वासन दे चुके थे कि सचमुच में इस देश में गोवध नहीं हो सकता और वह बन्द किया जायेगा, मेरा विश्वास है कि यदि आज वे होते तो मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी । मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि चाहे देर हो गई हो, फिर भी हमारे पाटिल साहब इस विषय को देखेंगे क्योंकि मैंने उनसे कहा कि या तो वे अधिक उत्पादन की बात छोड़ दें, पर यदि वे अधिक उत्पादन चाहते हैं तो अधिक उत्पादन हमारे गोवंश के ऊपर निर्भर है, अतः वह इस तरफ भी देखें और जो सुझाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किय हैं, उन सुझावों को कार्य रूप में परिणत करें ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के नाते माननीय खाद्य मंत्री से मिलने का अवसर मिला था उस समय उन्होंने बताया था कि देश में खाद्यान्न की समस्या का एक मात्र हल अधिक कृषि उत्पादन पर है । दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि अधिक उत्पादन उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि किसानों को उनके उत्पाद का ठीक और सही मूल्य नहीं मिलता । खाद्यान्नों के मूल्यों पर विचार करते समय किसानों को खाद्यान्नों का उचित मूल्य देने की समस्या के साथ साथ देश में जीवन निर्वाह व्यय के देशनांक पर भी विचार करना होगा । क्योंकि जब तक किसान को उसके उत्पाद के लिये उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक उसमें अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा नहीं आयेगी । अतः इस सम्बन्ध में देश के अधिक उपजाऊ राज्यों की स्थिति पर विचार करना होगा जो कि वहां विकसित हो गई है । वहां अधिक उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न को दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति दी जानी चाहिये । अन्यथा किसानों को हानि होगी क्योंकि वहां मांगकी अपेक्षा संभरण अधिक है अतः उन राज्यों में उनका मूल्य कम हो रहा है ।

मध्य प्रदेश में गत वर्ष सबसे अच्छी फसलें हुई लेकिन वहां की राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त खाद्यान्न को दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति नहीं दी गई । परिणामस्वरूप वहां के किसानों को हानि उठानी पड़ी हालांकि मूल्यों में भारी कमी होने पर वहां की सरकार ने खरीद शुरू की लेकिन सरकार की यह कार्यवाही बहुत देर बाद शुरू हुई तथा सरकार द्वारा खरीद करने का ढंग भी ठीक नहीं था । शुरू में किसानों द्वारा बाजार में बेचने के लिये लाये गये धान तथा चावल की कोई खरीद नहीं की गई हालांकि वही माल बाद को थोक व्यापारियों तथा अन्य छोटे छोटे व्यापारियों से खरीदा गया । अतः मेरा निवदन है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिये तैयार किया जाये कि वह बम्बई के साथ मिलकर एक खाद्य ज़ोन बनाये । उसमें बम्बई नगर को भी सम्मिलित कर लिया जाये ताकि वहां पर खाद्यान्न इकट्ठा करने और सट्टेबाज़ी को रोका जा सके । मेरे राज्य

†मूल अंग्रेजी में

के बहुत से सदस्य इस बात से सहमत हैं। ऐसा करने से न केवल दोनों राज्यों का ही लाभ होगा बल्कि राष्ट्र का भी लाभ होगा ।

सरकार द्वारा की गई खरीद में भी कुछ कठिनाइयां हैं। एक ही प्रकार के खाद्यान्नों को हर जगह एक ही श्रेणी में नहीं रखा गया। उदाहरण के लिये चावल की वह किस्म जिसे उड़ीसा में "सुपर-फाइन" श्रेणी में रखा गया वही किस्म मध्य प्रदेश में "मीडियम २" श्रेणी में रखी गई हालांकि किस्म दोनों की एक ही है। इससे राज्य में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार एक बार बाजार में आकर खरीद करने की नीति अपना लेती है तो उसे सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खरीद करनी चाहिये जो कि उस समय बाजार में बिकने के लिये आता है ।

मध्य प्रदेश में बहुत से किसान तथा व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में उत्पन्न होने वाला परबोइल्ड चावल उतना चावल जो वहां प्रयोग में नहीं आता उसके निर्यात करने की आज्ञा नहीं दी गई है। अतः उसके निर्यात करने की आज्ञा दी जानी चाहिये। यही बात कनकी चावल के साथ भी लागू है ।

अच्छा हो कि यदि प्रत्येक फसल के पहले ही एक नीति सम्बन्धी विवरण जारी कर दिया जाया करे। इससे लोगों को इस बात की जानकारी हो जायेगी कि सरकार की नीति क्या रहेगी।

अन्त में एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिये एक बोर्ड बनाया गया है। लेकिन पिछले पांच वर्षों से जब कि यह बना था तब से आज तक हमने इसकी प्रगति के बारे में कुछ नहीं सुना है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री यह देखें कि यह बोर्ड वैसे ही बेकार न रहे। और इस बात का प्रयत्न करे कि इन जंगली जानवरों की सुरक्षा की जाये ताकि हमारे देश की यह सम्पत्ति नष्ट न हो ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जो प्रतिवेदन दिया गया है उससे प्रकट होता है कि हर जगह मूल्यों के भाव गिर रहे हैं, जो कि गलत बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने खाद्यान्न के मामले में राज्य व्यापार करने के पक्ष में निर्णय किया है लेकिन आजकल यह हो रहा है कि यह राज्य व्यापार धीरे-धीरे खतम हो रहा है ।

उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को मिलाकर एक जोन बना दी गई है। लेकिन इस जोन से जो आशाएं थीं वे सब समाप्त हो गई हैं। माननीय खाद्य मंत्री क कहना था कि अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य कम होगा, और इससे उत्पादकों को लाभ होगा। हम देखते हैं कि अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्र में भाव ऊंचे गये लेकिन पश्चिमी बंगाल में उनका मूल्य कम नहीं हुआ। उड़ीसा से आने वाला खाद्यान्न कलकत्ता से ३०–४० मील की दूरी के दौरान में व्यापारियों द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। ये व्यापारी उत्पादकों से ९–१० रुपये प्रति मन की दर से खरीद लेते हैं जब कि कलकत्ता में इनका मूल्य २२ से २३ रुपये प्रति मन तक है। इस प्रकार चोरबाजारी करने वाले तथा मा इकट्ठा करने वाले अब भी बाजारों पर हावी हैं और मनमानी कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोक मेहता समिति ने मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना करने का सुझाव दिया था। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था। मालूम नहीं कि बाद को क्या हुआ और भी बहुत सी समितियां बनी उन्होंने भी अच्छे अच्छे सुझाव दिये लेकिन उनका भी बाद को क्या हुआ कुछ पता नहीं।

व्यावहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि आजकल माल ले जाने के लिये वैगनों की बड़ी भारी कमी दिखाई जाती है। लेकिन लोग मुनाफा कमाने के लिये इनका प्रबन्ध कर लेते है और लाभ कमा रहे हैं। आजकल कलकत्ता के पास इतना चावल आ रहा है लेकिन कलकत्ता तथा उसके आसपास चावल का मूल्य नहीं गिर रहा क्योंकि व्यापारी लोग चोर-बाजारी करके माल को अपने पास जमा कर रहे है। यह निश्चित है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बंगाल में चावल का मूल्य बहुत अधिक है।

यह ठीक है कि विदेशों से हमें जो कुछ मिले उसका हमें आयात करना चाहिये। आपातकाल के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न रखने के प्रश्न के साथ साथ मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड तथा खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन का प्रश्न भी आता है जिसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने भी की थी। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब कि हमें इनमें से कोई न कोई योजना क्रियान्वित करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमारा अपना देशगत प्रयत्न ही हमें खाद्यान्न की समस्या से बचा सकता है। इसलिये मैं कहूंगी कि अशोक मेहता समिति की सिफारिश को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करना चाहिये। और जब तक आप उनको क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक सफलता की कोई गुंजाइश नहीं है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३६	४६०	श्री स० मो० बनर्जी	उत्तर प्रदेश में तथा बिहार में गन्ने के मूल्य १.७५ रुपये प्रति मन करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	४६१	श्री स० मो० बनर्जी .	खाद्यान्नों के राज्य व्यापार की योजना लागू करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	४६२	श्री स० मो० बनर्जी .	देश में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	४६३	श्री स० मो० बनर्जी .	देश में चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

१	२	३	४	५
३६	६११	श्री अरविंद घोषाल .	बेकार किसानों को कुटीर तथा ग्रामोद्योगों में लगाने की योजना बनाने की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१२	श्री अरविंद घोषाल .	किसानों की बेकारी दूर करने के लिये कृषि विभाग श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को ग्राम्य और कुटीर विभाग में, समन्वय की आवश्यकता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१३	श्री मोहन स्वरूप	खाद्यान्नों के राज्य व्यापार कार्यक्रम को लागू करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१४	श्री मोहन स्वरूप .	भारत में खाद्य के सम्बन्ध में जोन पद्धति की असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१५	श्री मोहन स्वरूप	खाद्यान्नों का मुनाफाखोरी के लिये इकट्ठा करने को न रोक सकना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१६	श्री मोहन स्वरूप .	खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१७	श्री मोहन स्वरूप .	गन्ने के न्यूनतम मूल्य २ रुपया प्रति मन करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६१८	श्री मोहन स्वरूप .	चीनी के अधिक उत्पादन पर उत्पादन शुल्क कम होने के कारण चीनी मिलों को हुई अतिरिक्त आय में से गन्ना उत्पादकों का अंश निर्धारित करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	६३६	श्री खुशवक्त राय .	गन्ने का मूल्य १ रुपया प्रति मन निर्धारित करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

१	२	३	४	५
३६	६३७	श्री खुशवक्त राय .	चीनी के अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन शुल्क आधा हो जाने के कारण मिल मालिकों को हुए लाभ में से किसानों का अंश घोषित करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२४	श्री रामसेवक यादव	खाद्यान्नों के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२५	श्री रामसेवक यादव	खाद्य समस्या को हल करने की नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२६	श्री रामसेवक यादव .	चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२७	श्री रामसेवक यादव .	किसानों को गन्ने के उचित मूल्य दिलाने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२८	श्री रामसेवक यादव .	खाद्यान्नों, कच्चे माल, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	७२९	श्री रामसेवक यादव .	खाद्य नीति की असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३६	४६५	श्री स० मो० बनर्जी .	बिभिन्न राज्यों में चीनी के अलग अलग मूल्य	१०० रुपये
३६	४६६	श्री स० मो० बनर्जी .	पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का एक जोन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	४६७	श्री स० मो० बनर्जी .	चीनी का वितरण	१०० रुपये
३६	४६८	श्री स० मो० बनर्जी .	देश में पशु पालन	१०० रुपये
३६	४६९	श्री स० मो० बनर्जी .	विदेशों से खाद्यान्नों का आयात	१०० रुपये
३६	४७०	श्री स० मो० बनर्जी .	पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का संभरण	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३६	४७१	श्री स० मो० बनर्जी .	मिजो पहाड़ियों के खाद्यान्नों का संभरण	१०० रुपये
३६	४७२	श्री स० मो० बनर्जी .	पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में चावल के बढ़ते हुए मूल्य	१०० रुपये
३६	४८२	श्री प्र० गं० देव .	उड़ीसा में काफी संख्या में केन्द्रीय चावल गोदाम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	५७०	श्री खुशवक्त राय	खाद्य नीति बदलने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	५८१	श्री कोडियान .	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता	१०० रुपये
३६	५८२	श्री कोडियान .	केरल को पर्याप्त चावल देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	५८३	श्री कोडियान .	खाद्यान्नों का राज्य व्यापार	१०० रुपये
३६	६२१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये उनका भांडार करने की नीति की असफलता	१०० रुपये
३६	६२२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	उच्च विश्लेषण उर्वरकों के उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६२३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	कृषि उत्पादन से सम्बन्धित विभागों का समन्वय करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६२४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१० वर्ष से अधिक की सेवा वाले खाद्य विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता	१०० रुपये
३६	६२५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	धान तथा जूट के न्यूनतम मूल्य प्रति वर्ष निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६६०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	चावल के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये उड़ीसा-पश्चिम बंगाल का खाद्य जोन बनाने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३६	६६१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	खाद्यान्नों को मुनाफाखोरी के लिये इकट्ठा करने तथा कालाबाजारी रोकने में असफलता	१०० रुपये
३६	६६२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	राज्य व्यापार के बिना ऋण सम्बन्धी नीति की असफलता	१०० रुपये
३६	६६३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन तथा मूल्य स्थिरीकरण संगठन बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६६४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	खाद्यान्नों के आंकड़ों के संकलन का तरीका	१०० रुपये
३६	६६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	चावल के बढ़ते हुए मूल्य	१०० रुपये
३६	६६६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	संघ क्षेत्रों में भूमि सुधार अधिनियम के अधीन काश्तकारों की बेदखली रोकने में असफलता	१०० रुपये
३६	६६७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .	छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं की धीमी प्रगति	१०० रुपये
३६	६७२	श्री दें० वे० राव .	खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	१०० रुपये
३६	६७३	श्री दें० वे० राव .	कोथागुडियम के प्रस्तावित उर्वरक कारखाने को वित्तीय सहायता का न दिया जाना	१०० रुपये
३६	६७४	श्री दें० वे० राव .	चीनी के मूल्यों में वृद्धि	१०० रुपये
३६	६७७	श्री प्र० के० देव	पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के पूर्वी चावल जोन बनाने से उड़ीसा में खाद्यान्नों की कृत्रिम कमी	१०० रुपये
३६	६७८	श्री प्र० के० देव .	कमी वाले क्षेत्रों में फुटकर दूकानें खोलने के लिये उड़ीसा सरकार को सहायता देने की जरूरत	१०० रुपये
३६	६७९	श्री प्र० के० देव .	देश को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३६	६८०	श्री प्र० के० देव	कृषि योग्य बेकार भूमि के खेती करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६८१	श्री प्र० के० देव	देश में फसल बीमा योजना लागू करने में असफलता	१०० रुपये
३६	६८२	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में चूहों का उपद्रव समाप्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६८३	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा में चावल तथा खाद्यान्नों का भांडार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६८४	श्री प्र० के० देव	देश में खाद्यान्नों का अच्छी तरह भांडार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६८५	श्री प्र० के० देव	बाजार में चीनी की कमी	१०० रुपये
३६	६८६	श्री प्र० के० देव	दक्षिण भारत और विशेषतया उड़ीसा में और चीनी मिलों की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	६८७	श्री प्र० के० देव	गन्ने के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	७१३	श्री इग्नेस बेक	कृषि उत्पादन के लक्ष्यों का स्पष्ट न होना तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन को पूरा करने के तरीके	१०० रुपये
३६	७१४	श्री इग्नेस बेक	तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्यों में कमी	१०० रुपये
३६	७१५	श्री खुशवक्त राय	नियंत्रित मूल्यों पर चीनी की फुटकर बिक्री करने में असफलता	१०० रुपये
३६	७१६	श्री इग्नेस बेक	खेती के उत्तम तरीके लागू करने में असफलता	१०० रुपये
३६	७१७	श्री इग्नेस बेक	राज्यों के कृषि विभागों तथा केन्द्रीय मंत्रालय में समन्वय करने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३६	७१८	श्री इग्नेस बेंक	. नालागढ़ समिति के सुझाव के अनुसार कृषि विभाग का गठन करने में असफलता	१०० रुपये
३६	७३०	श्री प्र० के० देव	. वनास्पति में रंग मिलाने की वांछनीयता	१०० रुपये
३६	७३१	श्री प्र० के० देव	. खाद्यान्नों में अपमिश्रण करने वालों के लिये कठोर सजा की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	७३२	श्री प्र० के० देव	. समुद्री पौधों आदि से खाद्य बनाने की वांछनीयता	१०० रुपये
३६	७३३	श्री प्र० के० देव	. उड़ीसा के तट पर महानदी के मुहाने के निकट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग को आरम्भ करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	७३४	श्री प्र० के० देव	. उड़ीसा में चिल्का झील की मछलियों को डिब्बों में बन्द करने का कारखाना चालू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३६	७३५	श्री प्र० के० देव	. चिल्का झील की मछलियों के रक्षण के लिये वातानुकूलित गोदाम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	५९३	श्री कोडियान	. राज्यों में वन विकास के लिये केन्द्र द्वारा अपर्याप्त सहायता	१०० रुपये
३७	५९४	श्री कोडियान	. देश की वन सम्पत्ति के विकास के लिये समन्वित नीति की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	५९५	श्री कोडियान	. वन क्षेत्रों में औषधीय पौदे उगाने की योजना की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३७	५९६	श्री कोडियान	. चुने हुए स्थानों पर औषधीय पौधों को उगाने के लिये केरल को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	५९७	श्री कोडियान	. राज्य की वन सम्पत्ति का विकास करने के लिये केरल को कम केन्द्रीय सहायता	१०० रुपये
३७	५९८	श्री कोडियान	. भारत के जंगली पशुओं की कम मिलने वाली किस्मों का संरक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	७३६	श्री प्र० के० देव	. अंदमान में वन सम्बन्धी कार्य को विभागीय बनाने की तथा वहां पर प्लाई वुड तथा लुग्दी कारखाना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	७३७	श्री प्र० के० देव	. वनों का कम होना तथा उनके बारे में अवैज्ञानिक कार्यवहन	१०० रुपये
३७	७३८	श्री प्र० के० देव	उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में अदल बदल कर खेती करने को रोकने की तथा वहां पर पहाड़ी आदिम जातियों को बसाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३७	७५३	श्री प्र० के० देव	. गो हत्या रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५१४	श्री अरविंद घोषाल	. हरी खाद का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५१५	श्री अरविंद घोषाल	. वैज्ञानिक तथा आधुनिक कृषि औजारों को सस्ते मूल्य पर बेचने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५१६	श्री अरविंद घोषाल	. प्रतिरक्षा संस्थानों में निर्मित छोटे ट्रैक्टरों को किसानों को बेचने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५१७	श्री अरविन्द घोषाल	छोटे ट्रैक्टरों तथा वैज्ञानिक कृषि औजारों का किसानों में प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३८	५१८	श्री अरविंद घोषाल .	किसानों को आधुनिक कृषि औजारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५१९	श्री अरविंद घोषाल .	आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिये किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५२०	श्री अरविंद घोषाल .	छोटी जोतों को मिलाकर बड़े क्षेत्र में बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५२१	श्री अरविंद घोषाल .	फसलों के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५२८	श्री अरविंद घोषाल .	खेती के लिये सिंचाई पानी देने में असफलता	१०० रुपये
३८	५२८	श्री अरविंद घोषाल .	'अधिक अन्न उपजाओ' योजना में राज्यों की प्रगति पर निगरानी रखने में असफलता	१०० रुपये
३८	५३०	श्री अरविंद घोषाल .	'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के लिये राज्यों को दिये गये धन की वापसी	१०० रुपये
३८	५३१	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में दोहरी फसल करने में असफलता	१०० रुपये
३८	५३२	श्री अरविंद घोषाल .	चीनी, जापानी, तथा जर्मन पद्धति से धान की खेती के फायदों का मूल्यांकन करने में असफलता	१०० रुपये
३८	५३३	श्री अरविंद घोषाल .	खेतों के और छोटे टुकड़े बनाये जाने को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५३४	श्री अरविंद घोषाल .	बीज के अपर्याप्त फार्म	१०० रुपये
३८	५३५	श्री अरविन्द घोषाल	उर्वरक का उचित वितरण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५३६	श्री अरविंद घोषाल .	उर्वरक की बिक्री में काले बाजार को रोकने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३८	५७२	श्री अरविंद घोषाल .	बाज़ार में खाद्य फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों के क्रमवार लाने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५७३	श्री अरविंद घोषाल .	भूमिहीन किसानों में अधिक भूमि बांटने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५७४	श्री अरविन्द घोषाल	मिट्टी का कटाव रोकने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५८४	श्री कोडियान .	सूरतगढ़ फार्म के नमूने पर और राज्य फार्म बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	५८५	श्री कोडियान .	फलों तथा सब्जियों के संरक्षण और डिब्बों में बन्द करने की ओर कम ध्यान दिया जाना	१०० रुपये
३८	५८६	श्री कोडियान .	काजू साफ करने के उद्योग के लिये कच्चे काजू का पर्याप्त संभरण करने में असफलता	१०० रुपये
३८	५८७	श्री कोडियान .	किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक देने में असफलता	१०० रुपये
३८	६००	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में काजू की खेती करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६०१	श्री अरविंद घोषाल .	मछली के बढ़ते हुए मूल्य रोकने में असफलता	१०० रुपये
३८	६०२	श्री अरविंद घोषाल .	विभिन्न बांधों तथा झीलों में मछली की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६०३	श्री अरविंद घोषाल .	बड़े नगरों में मछली बाज़ार को कुछ व्यक्तियों के नियंत्रण से निकालने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६२६	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में लाख की खेती को सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३८	६२७	श्री अरविंद घोषाल .	पान की खेती में सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६२८	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में 'रामी' रेशे की खेती योजना को सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६२९	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में नारियल की खेती के वैज्ञानिक तरीके को काम में लाना	१०० रुपये
३८	६३०	श्री अरविंद घोषाल .	तिलहन की खेती बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६३१	श्री अरविंद घोषाल .	केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन का पुनर्गठन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६३२	श्री अरविंद घोषाल .	जूट के मूल्यों को गिरने से रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६३३	श्री अरविंद घोषाल .	भारतीय जूट के मूल्य स्थिर करने के लिये पाकिस्तान से जूट का आयात रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६३४	श्री अरविंद घोषाल .	चाय के पुनः रोपण की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	६३५	श्री अरविंद घोषाल .	उत्तम किस्म की चाय उगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३८	७१९	श्री इग्नेस बेक .	सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये उचित कार्यवाही न करना	१०० रुपये
३८	७२०	श्री इग्नेस बेक .	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्यों द्वारा कार्य का मूल्यांकन न करना	१०० रुपये
३८	७२१	श्री इग्नेस बेक .	सरकार के विभिन्न विभागों में कृषि उत्पादन कार्य का समन्वय करने के लिए काम का मूल्यांकन न करना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३८	७३२	श्री इग्नेस बेक .	प्रबन्ध नीति का वैज्ञानिक तरीका निकालने के लिये कार्यवाही में असफलता	१०० रुपये
३९	५८८	श्री कोडियान .	मछली उद्योग के विकास के बारे में केरल को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	५८९	श्री कोडियान .	मछली उद्योग का सहकारी आधार पर संगठन करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	५९०	श्री कोडियान .	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिये और धन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	५९१	श्री कोडियान .	केरल के तट के निकट झींगा मछली पकड़ने के लिये योजना बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	५९२	श्री कोडियान .	कोचीन में मत्स्य पालन प्रशिक्षण संस्था बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	६३८	श्री इग्नेस बेक .	कृषि गवेषणा के द्वारा प्रातज्ञान का किसानों में प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	६३९	श्री इग्नेस बेक .	विभिन्न क्षेत्रों में प्रसंकर मक्का की किस्में उगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	७०१	श्री अरविंद घोषाल .	किसानों में बेकारी का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	७०२	श्री अरविंद घोषाल	धान की खती के विदेशी तरीकों की जांच तथा उनकी उचित क्रियान्विति में असफलता	१०० रुपये
३९	७०३	श्री अरविंद घोषाल.	लम्बे रेश वाली कपास की खेती के लिए भारतीय मिट्टी की जांच करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	७०४	श्री अरविंद घोषाल.	कृषि गवेषणा संस्था के गवेषणा वैज्ञानिकों को उचित वेतन न देना	१०० रुपये
३९	७०५	श्री अरविंद घोषाल.	आलू गवेषणा संस्था के वैज्ञानिक ज्ञान को आलू उत्पादकों तक पहुंचाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	७०६	श्री अरविंद घोषाल	कृषि गवेषणा संस्था में अत्याधिक नौकरशाही जिस के फलस्वरूप डा० जोज़फ को आत्महत्या करनी पड़ी	१०० रुपये
३९	७०७	श्री अरविंद घोषाल.	पश्चिमी बंगाल सरकार के आंकड़ों पर विश्वास न करके पश्चिम बंगाल में धान की कमी के आंकड़े इकट्ठे करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	६०४	श्री अरविंद घोषाल.	चारे की कमी	१०० रुपये
४०	६०५	श्री अरविंद घोषाल.	पूर्वी क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधारने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	६०६	श्री अरविंद घोषाल.	गांवों में पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	६०७	श्री अरविंद घोषाल.	मुर्गीपालन का कुटीर उद्योग के रूप में विकास	१०० रुपये
४१	६०८	श्री अरविंद घोषाल.	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के अधिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	६६८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती.	आयात किए गये खाद्यान्नों के संभरण में हानि	१०० रुपये
४१	७०८	श्री अरविंद घोषाल.	चीनी के बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने में असफलता	१०० रुपये
४१	७०९	श्री अरविंद घोषाल.	पश्चिम बंगाल में चीनी के मूल्य नियंत्रित करते समय चीनी की पर्याप्त मात्रा न देने के कारण काले बाजार से चीनी इकट्ठा करने वालों को २० लाख रुपया का लाभ	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४१	७१०	श्री अरविंद घोषाल	दूध की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने की कार्यवाही	१०० रुपये
४१	७११	श्री अरविंद घोषाल.	दुग्धशाला का ग्राम्य उद्योग के रुप में विकास	१०० रुपये
४१	७१२	श्री अरविंद घोषाल	संकरण के द्वारा पश्चिम बंगाल में पशुओं की नस्ल सुधारने की योजना	१०० रुपये
४१	७५४	श्री प्र० गं० देव .	फलों को डिब्बों में बन्द करने के कारखाने बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	७५६	श्री प्र० के० देव .	देश के जंगली पशुओं का संरक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	७५७	श्री प्र० के० देव .	देश में और चिड़ियाघर बनाने की वांछनीयता	१०० रुपये
४१	७५८	श्री प्र० के० देव .	देश में और राष्ट्रीय पार्क बनाने की वांछनीयता	१०० रुपये
४१	७५९	श्री प्र० के० देव .	जंगली जानवरों के रक्षित स्थानों में बिना इज़ाजत घुसने वाले शिकारियों को कठोर दण्ड देने की आवश्यकता	१०० रुपये
११८	७३९	श्री प्र० के० देव .	पूर्वी तट पर "कैजूरीना" के पौधे लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११८	७४०	श्री प्र० के० देव .	खाली पड़ी हुई ग़ैर-सरकारी ज़मीन में वन लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११८	७४१	श्री प्र० के० देव .	रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिये हरे क्षेत्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११८	७६०	श्री प्र० के० देव .	पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर नींबू घास उगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११९	५०६	श्री अरविंद घोषाल.	चावल के मूल्य बढ़ने से रोकने में असफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
११६	५०७	श्री अरविंद घोषाल.	पश्चिम बंगाल की खाद्य समस्य हल करने में असफलता	१०० रुपये
११६	५०८	श्री अरविंद घोषाल.	पश्चिम बंगाल को चावल का पर्याप्त कोटा देने में असफलता	१०० रुपये
११६	५०९	श्री अरविंद घोषाल.	पश्चिम बंगाल में आपतकाल के लिये भांडार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११६	६४०	श्री इग्नेस बेक .	दो उत्तम फसलों के बाद भी राज्य व्यापार द्वारा पर्याप्त खाद्यान्न जमा न कर सकना	१०० रुपये
११६	६४१	श्री इग्नेस बेक .	खाद्यान्नों के मूल्यों में असमानता दूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
११६	६४२	श्री इग्नेस बेक .	पश्चिम बंगाल तथा बिहार में चावल के अधिकतम नियंत्रित मूल्य बनाये रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
११६	६७०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	राज्य व्यापार के बारे में नीति	१०० रुपये
११६	६७६	श्री दें० व० राव .	खाद्यान्नों का राज्य व्यापार करने में असफलता	१०० रुपये
११६	६९९	श्री प्र० गं० देव .	उड़ीसा राज्य में चावल के मूल्य में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
११६	७००	श्री प्र० गं० देव .	उड़ीसा में निकट के राज्यों में प्रचलित मूल्यों के अनुसार मूल्य निश्चित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२०	५१०	श्री अरविंद घोषाल	दुर्गापुर के प्रस्तावित उर्वरक कारखाना बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२०	६०९	श्री अरविंद घोषाल.	उत्तर बंगाल में तम्बाकू का भांडार करने के लिये भांडागार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१२०	६१०	श्री अरविंद घोषाल.	छोटे नगरों में शाति-भांडागार बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२०	६४३	श्री इग्नेस बेक	विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के प्रभाव के बारे में किसानों का मार्ग-दर्शन करने में असफलता	१०० रुपये
१२०	६४४	श्री इग्नेस बेक	उर्वरक का उचित वितरण करने में असफलता	१०० रुपये
१२०	६४५	श्री इग्नेस बेक	केन्द्रीय उर्वरक संग्रह के अधीन उर्वरकों का अधिक मूल्य लेना	१०० रुपये

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** (महेन्द्र गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से, जो सभा में १६ मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मेरा एक संशोधन है :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, अर्थात :—

"इस रूप भेद के अधीन कि संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

मैंने समिति से निवेदन किया है कि वह इस पर पुनर्विचार करे । अत: यदि समिति की कार्यवाही के इस भाग को अलग नहीं रखा जायेगा तो मेरा विधेयक खत्म हो जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपकी इच्छा है कि इस मद को छोड़ कर समिति का प्रतिवेदन मतदान के लिये रखा जा सकता है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसे मैं छोड़ दूंगा । आपने समिति को लिख दिया है और वह समिति के विचाराधीन है । हो सकता है कि वह इस पर पुनर्विचार करें । अतः इस विधेयक से सम्बन्धित पिछले मद को मैं छोड़ देता हूं । इसके अतिरिक्त मैं प्रतिवेदन को मतदान के लिये रख रहा हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनसठवें प्रतिवेदन से जो १६ मार्च, १९६० को उपस्थापित किया गया था, सहमत है इस रूप भेद के अधीन कि श्री च० का० भट्टाचार्य का संविधान (संशोधन) विधेयक पुनर्विचार के लिये समिति को सौंप दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुस्तक तथा समाचारपत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि पुस्तक तथा समाचार-पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक परिषद (संशोधन) विधेयक

†**श्री ले० अचौ सिंह** (अन्तरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रादेशिक परिषद् अधिनियम १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री पु० र० पटेल द्वारा ४ मार्च, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी :—

"कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पु० र० पलेल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं उस दिन निवेदन कर रहा था कि सन् १९२३ में एक अधिनियम पारित हुआ और उसके अधीन राजा महेन्द्र प्रताप की सम्पत्ति सम्राट द्वारा ले ली गई और बाद को कुछ शर्तों के आधार पर इसी अधिनियम के अधीन वह सम्पत्ति उनके लड़के को दे दी गई। उसमें पहले शर्त यह थी कि वह अपने पिता की बिल्कुल भी सहायता नहीं करेगा दूसरे सरकार के प्रति निष्ठावान रहेगा।

अब प्रश्न यह है कि क्या यह काला कानून हमारी परिनियम-पुस्त में रहे अथवा इसका निरसन कर दिया जाये। दूसरा प्रश्न यह है कि वह जागीर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को दे दी जाये। साथ ही इस बात पर भी विचार करना है कि उनकी यह सम्पत्ति क्यों ली गई थी— केवल उनकी देशभक्ति के लिये ही। अतः मेरा निवेदन है कि अगर हम उनकी सम्पत्ति को उन्हें लौटा दें तो ब्रिटिशों द्वारा की गई बुरी कार्यवाहियों को हम ठीक कर देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं सरकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूंगा। जहां तक इस विधेयक के मूल उद्देश्य का सम्बन्ध है कि ऐसे कानून को जिसे हम आपत्तिजनक समझते हैं और जिसे इस देश की कोई भी राष्ट्रीय सरकार स्वीकार नहीं कर सकती, हमारी परिनियम पुस्तक में नहीं रहने दिया जाना चाहिये, हम तभी सहमत हैं। इसलिये मोटे तौर पर हम केवल इस विधेयक के उद्देश्य से ही सहमत नहीं हैं बल्कि इससे होने वाले परिणामों से भी सहमत हैं। इसको क्रियान्वित करने के लिये हम जो सोच रहे हैं यही ठीक तरीका है। हमने यह विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था। उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्यों से सामान्य सहमति प्रकट की। अतः इसके महत्व के बारे में तो कोई तर्क की जरुरत नहीं रह जाती। लेकिन संवैधानिक

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया के आधार पर कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। भूमि सम्बन्धी सभी बातें राज्य-सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं न कि केन्द्रीय सरकार के। इसका उल्लेख संविधान में लगी हुई सूची में किया गया है। अगर खाली भूमि की ही बात होती तो सामान्यतः मैं यह कह देता कि यह कार्य राज्य सरकार का है अतः उसे करना चाहिये। लेकिन यह विधेयक चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति के बारे में है। इससे फिर एक भ्रांति उत्पन्न होती है क्योंकि चल सम्पत्ति का निपटारा एक तरह से होता है तो अचल सम्पत्ति का निपटारा दूसरी तरह से।

दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि चूंकि यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार की परिनियम पुस्तक के है अतः इसका निरसन केवल केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा ही किया जा सकता है न कि राज्य प्राधिकार द्वारा।

मेरे तथा मेरे साथी ने भरसक प्रयत्न किया कि इसके बारे में हमें कोई स्पष्ट एवं संक्षिप्त परामर्श मिल सके लेकिन फिर भी इस बारे में एक भ्रांति बनी रही है कि इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाये जिसको कि बाद में संवैधानिक अथवा विधिक आधारों पर कोई चुनौती न दी जा सके, क्योंकि हमारा विचार यह है कि हमें इस सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कि कोई चुनौती दी जा सके।

एक दो छोटी मोटी बातें और भी हैं, अर्थात् सम्भवतः कोई छोटा सा संशोधन भी अधिक लाभदायक हो सकता है लेकिन मूल बात तो वह है जिसका मैं ने अभी उल्लेख किया है। मैं चाहूंगा कि अन्य सदस्य भी इस बारे में अपने विचार प्रकट करें कि इस बारे में हम किस प्रकार आगे बढ़ें, क्यों कि हम सब इस विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि जो कुछ भी किया जाये, वह ठीक हो, संविधान के अनुकूल हो, और जिसे बाद में किसी भी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगर इस पर अधिक समय की आवश्यकता है तो हम इसे कुछ समय तक के लिये स्थगित कर सकते हैं। इस दौरान में उन बातों पर विचार किया जा सकता है और कोई उपाय ढूंढ़ा जा सकता है।

†**श्री पु० र० पटेल** : यह ठीक है। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रस्तावक महोदय अथवा कोई और सदस्य नियमित रूप से प्रस्ताव रख सकते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर अग्रेतर विचार आगामी सत्र के पहले दिन तक के लिये स्थगित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर अग्रेतर विचार आगामी सत्र के पहले दिन तक के लिये स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अतः विधेयक पर अग्रेतर विचार स्थगित किया जाता है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आगामी सत्र का पहला दिन सरकारी कार्यक्रम का दिन होगा। यह आवश्यक नहीं कि वह दिन गैर-सरकारी कार्य का ही हो। अतः हम उस दिन इस कार्यक्रम को लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में,

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, चर्चा करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अनाथालयों, निराश्रित स्त्रियों या बच्चों के आश्रमों और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के निरीक्षण और नियंत्रण का तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था तदन्तर यह लोक सभा में आया। तत्पश्चात् इस पर विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति नियुक्त की गई। संयुक्त समिति द्वारा इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार हो जाने के पश्चात् पुनः इस पर राज्य सभा में विचार किया गया अब वहां से पारित रूप में लोक सभा में आया है।

जहां तक विधेयक में अन्तर्हित सिद्धांत का सम्बन्ध है इससे सभी सहमत हैं कि यह विधेयक सामाजिक रूप से बहुत उपयोगी है तथा इस विधेयक का हमारे समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जिस रूप में यह विधेयक संयुक्त समिति से आया है उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं तथापि हमें यह मानकर संतोष कर लेना चाहिये कि यह अनाथालय तथा धर्मार्थ गृहों पर नियंत्रण रखने की ओर पहला कदम है।

विधेयक का पारित होना ही काफी नहीं है अपितु इसे क्रियान्वित करने के लिये हमें धनराशि की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार भारत की संचित राशि से इसके लिये व्यवस्था करेगी क्योंकि जब तक उचित धन राशि की व्यवस्था नहीं हो सकेगी तब तक इस विधेयक का वांछनीय प्रभाव नहीं होने पायेगा।

जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है वह व्यापक और स्पष्ट है। उसके अधीन वे सभी संस्थायें आ जाती हैं जो बालकों और स्त्रियों के पालन, संरक्षण इत्यादि का कार्य करती हैं। हमने व्यवस्थापक समिति के कार्यों की परिभाषा भी स्पष्ट रूप से लिखी है तथा इस बात की व्यवस्था की है कि सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त गृहों को मान्यता प्राप्त गृह कहा जायेगा। इस प्रकार उनका अन्य संस्थाओं से विभेद किया जायेगा।

नियंत्रण बोर्ड का गठन इस प्रकार किया गया है कि वह लोकतंत्र तथा जनकल्याण के उद्देश्य को कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। इसमें तीन सदस्य राज्य विधान सभाओं के, पांच सदस्य राज्य में स्थित अनाथालयों या धर्मार्थ गृहों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तथा ६ सदस्य राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्देशित तथा कुछ ऐसे नामनिर्देशित व्यक्ति भी होंगे जो धर्मार्थ गृह इत्यादि का संचालन कर रहे हैं।

जहां तक बोर्ड के कार्यों का सम्बन्ध है उन्हें इस अधिनियम के अधीन सारे अनाथालयों या धर्मार्थ गृहों के निरीक्षण का अधिकार है तथा बोर्ड का कोई भी सदस्य लिखित आदेश लेकर किसी भी समय उन अनाथालयों या गृहों में जा सकता है और देख सकता है कि उस अधिनियम या नियमों का पालन उचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं। बोर्ड की निधि, चन्दे, दान तथा राज्य सरकार के अनुदानों से एकत्र की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक में धर्मार्थ गृहों को मान्यता दिये जाने की भी व्यवस्था की गई है। बहुत से व्यक्ति इन गृहों का संचालन व्यवासायिक आधार पर करते थे अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक धर्मार्थ गृह को उसकी स्थापना के समय विहित फार्म भर कर प्रमाणपत्र लेना होगा। प्रमाणपत्र में उसका नाम तथा स्थिति इत्यादि का विवरण रहेगा।

हमने व्यवस्थापक को विशेष शक्तियां दी हैं और उसे सारे संचालन व व्यवस्था का उत्तर-दायी ठहराया है। मेरे विचार से इस प्रकार की व्यवस्था से लोक कल्याण को प्रोत्साहन मिलेगा। हमने यह भी व्यवस्था की है कि स्त्रियों के गृहों का निरीक्षक पद स्त्री के ही हाथों में रहेगा और इन गृहों को मनमाने रूप से नाम या स्थान बदलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिये उन्हें बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। जो व्यक्ति अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं करेगा उसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जायेगा तथापि व्यवस्था ठीक हो जाने पर उसे पुनः प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। बोर्ड के ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील करने की व्यवस्था की गई है खंड १८ के अधीन पीड़ित व्यक्ति विहित प्रक्रिया के अधीन राज्य सरकार से अपील कर सकता है। खंड २१ के अधीन व्यवस्थापकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है तथा विधेयक के खंड २९ के अधीन राज्य सरकारों को इस विधेयक के अधीन नियम बनाने की शक्ति विहित की गई है।

सारांश यह है कि विधेयक में अनाथालयों इत्यादि से संबंधित उन सभी समस्याओं पर गौर किया है जो हमें समाचार पत्रों, मुकदमों तथा अपने अनुभवों से ज्ञात हुई हैं। निःसन्देह इस विधेयक को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर होगा तथापि मेरा विचार है कि राज्य सरकारें इस विधेयक का स्वागत करेंगी।

यह विधेयक इस प्रकार के धर्मार्थ-गृहों के नियंत्रण की दिशा में पहिला कदम है। मेरा विचार है वह दिन दूर नहीं है जबकि इस प्रकार की संस्थाओं और गृहों का संचालन राज्य द्वारा किया जायेगा। जब हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे सभी निराश्रित और दुखी व्यक्तियों को आश्रय दें।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने संयुक्त समिति में बड़े उत्साह से कार्य किया। विशषतः श्री हजरनवीस ने इस विधेयक पर बहुत बारीकी से विचार किया और यथावश्यक संशोधन किये। वस्तुतः गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को ऐसा सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है तथापि यदि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर इस प्रकार गौर करेगी और उन्हें उचित महत्व देगी तो निःसन्देह हम देश के सामाजिक वातावरण को बदलने में समर्थ हो सकेंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के सभी विधेयकों पर इतना ही ध्यान दिया जाना चाहिये जितना कि इस विधेयक पर दिया गया।

मैं विधेयक के प्रस्तावक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सतत प्रयत्नों के कारण ही विधेयक को यह स्थान प्राप्त हुआ। यद्यपि वे राज्य सभा में चुनाव हार गये हैं तथापि वे देश के विधान निर्माण के इतिहास म सदैव अमर रहेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री खुशवक्त राय (खेरी) : जैसा कि पूर्व वक्ता ने अभी कहा, जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में था, तो मैंने उसमें एक संशोधन उपस्थित किया था। आप देखेंगे कि ज्वाइंट कमेटी की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खुशवक्त राय]

रिपोर्ट के अपेंडिक्स ४ में यह छपा हुआ है। जब प्रवर समिति इस पर विचार कर रही थी तो मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस विधेयक में जब तक कोई ऐसा प्रावीजन नहीं होगा कि सरकार की ओर से रुपया मिलेगा, तब तक विधेयक के मातहत जो भी शक्तियां दी जा रही हैं वह बेकार हो जायेंगी। यह अमेंडमेंट पृष्ठ ४ पर दिया गया है उस पर सरकार विचार कर रही थी और जहां तक मुझे मालूम है विधि मंत्रालय से उस पर सिफारिश भी की गई थी। मैं विधि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस पर सरकार का क्या फैसला हुआ और क्या मुझको इजाजत होगी कि मैं उस संशोधन को यहां पेश कर सकूं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : राष्ट्रपति ने उस संशोधन पर अपनी अनुमति नहीं दी है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : केवल अनाथालयों और धर्माथ गृहों के लिये ही नहीं अपितु कई अन्य लोक कल्याण संस्थाओं के लिये सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है जिससे कि उन संस्थाओं का दुरुपयोग न किया जाय।

मैंने संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में अपना विमति टिप्पण दिया है। उसमें मैंने कहा है कि इन संस्थाओं के नियंत्रण के लिये पृथक् बोर्ड की आवश्यकता नहीं है जबकि केन्द्र में समाज कल्याण बोर्ड है तथा राज्य भी समाज कल्याण समितियों की स्थापना कर रहे हैं। वस्तुतः हम देश में अनावश्यक बोर्ड और समितियों का निर्माण कर रहे हैं इससे एक ओर तो व्यर्थ का व्यय हो रहा है तथा दूसरी ओर एक ही काम को कई संस्थायें कर रही हैं।

मैं विधेयक में अन्तर्हित सिद्धांत से सहमत हूं तथापि मेरा सुझाव है कि सभी गृहों की व्यवस्थापिका स्त्री ही होनी चाहिये तथा समिति में अधिकांश सदस्य स्त्रियां ही होनी चाहिये। क्योंकि अब स्त्रियां स्वयं समाज कार्य में भाग लेने के लिये आग बढ़ने लगी हैं मैं आशा करती हूं कि यह विधेयक आदर्श सिद्ध होगा तथा राज्य सरकारें इस संबंध में पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगी।

†**श्री हजरनवीस** : खंड १६(१) के परन्तुक में यह उपबन्ध किया गया है कि स्त्रियों के धर्मार्थ गृहों में यह शर्त रखी जायगी कि वहां की व्यवस्थापिका सामान्यतः स्त्री ही होनी चाहिये।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर): मैं इस विधेयक से पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक इस कार्य के लिये पृथक् बोर्ड कायम करने का संबंध है, इसके लिये समाज कल्याण बोर्ड और भारत सेवक समाज की राय ली गई थी दोनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि इस कार्य के लिये पृथक् बोर्ड बनाया जा सकता है।

इस विधेयक में मुख्यतः तीन बाते हैं। पहिला इसके द्वारा अनाथालयों के नियंत्रण और निरीक्षण का अधिकार दिया गया है जिससे कि वहां के आश्रितों का अनैतिक कार्यों के लिये उपयोग न किया जा सके।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

दूसरे इस कार्य के निमित्त एक बोर्ड का निर्माण। यह उपबन्ध किया गया है कि बोर्ड में सभी हितों विशेषतः स्त्रियों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरे यह व्यवस्था भी कि गई है कि जिस गृह के पास प्रमाणपत्र नहीं होगा उसे दंड दिया जायेगा ।

श्री कैलाश बिहारी लाला बधाई के पात्र हैं जिनके सतत प्रयत्नों से यह विधेयक यहां तक पहुंचा है । मैं आशा करता हूं कि लोक सभा इसे बिना किसी संशोधन के पारित कर देगी ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं । एक गैर सरकारी विधेयक के लिये इस स्थिति तक पहुंचना बहुत बड़ी सफलता है । यह कहा गया है कि विधेयक पर विस्तार से विचार हो चुका है और अब इसके सुधार की गुंजायश नहीं है मैं इससे सहमत नहीं हूं मेरे विचार से खंड १६(३) और खंड ७ में कुछ संशोधन की आवश्यकता है । मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान दें । उक्त खंडों में केवल प्रशासन इत्यादि के निरीक्षण का उपबन्ध किया गया है । यह पर्याप्त नहीं है इसके अतिरिक्त यह देखना भी आवश्यक है कि क्या स्त्रियों व बालकों का नैतिक कल्याण भी हो रहा है या नहीं ।

अब मैं खंड २(घ) को लेता हूं । इसकी शब्दावली में हमें इस प्रकार परिवर्तन करना चाहिये कि इसके अन्तर्गत वे गृह भी आ जायें जहां स्त्री और बालक दोनों हों ।

खंड ३ के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि उसकी शब्दावली में इस प्रकार संशोधन किया जाय कि केवल सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबन्धित संस्थाओं या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को इस अधिनियम से छूट मिले । वर्तमान शब्दावलि त्रुटिपूर्ण है और उसमें सुधार की आवश्यकता है ।

खंड ९ में यह व्यवस्था की गई है कि कोई सदस्य या अधिकारी ऐसे धर्मार्थ गृह का तभी निरीक्षण कर सकता है जब कि उसके साथ उस इलाके की दो महिलायें हों । मेरे विचार से यह प्रतिबन्ध केवल पुरुषों के प्रति लाग होना चाहिये और महिलाओं को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होना चाहिये ।

खंड १७(ख) में भी संशोधन को आवश्यकता है शब्दावलि में कहा गया है कि किसी गृह का संचालन वहां के सदस्यों के नैतिक तथा शारीरिक हितों के अत्यधिक विपरीत होन पर कार्यवाही की जायगी । मेरे विचार से हमें 'अत्यधिक' शब्द हटा देना चाहिये क्योंकि इससे सन्देह पैदा होने की गुंजाइश है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : विधेयक के प्रमुख उपबन्धों के बारे में अपन सुझाव देने से पहले मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह बड़ा ही महान् विधेयक है जिसे इस सभा के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ जो उपबन्ध मंजूर किये जा चुके हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार जिस ढंग से इसका समर्थन कर रही है वह सन्तोषप्रद नहीं है । पता नहीं राज्य सरकारें किस प्रकार इसका स्वागत करेंगी और कैसे इसे क्रियान्वित करेंगी । इसलिये मुझे कुछ निराशा सी होती है । एक सामाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद और राजकीय नीति के निदेशक तत्वों को स्वीकार करने के बावजूद यदि इस देश में कोई ऐसा लड़का अथवा लड़की रह जाय जिसे अनाथ कहा जा सके तो मैं इसे कल्याणकारी राज्य के नाम पर एक धब्बा मानता हूं । जिस लड़के अथवा लड़की के माता पिता न हों या जो उसका पालन-पोषण न कर सकें उनकी रक्षा और भरण-पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होती है । इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

इस प्रकार के अनाथ बालकों की देखरेख का कार्य दातव्य संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों पर छोड़ देना भी राज्य के नाम पर कलंक हैं। इस लिये राजकीय नीति के निदेशक तत्वों के अधीन जितनी भी जिम्मेदारी ली जा सकती है उतनी लेने के प्रयास किये जा रहे हैं, इसलिये हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है ।

इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल सीमित है । इसका उद्देश्य दातव्य संस्थाओं की स्थापना करना नहीं वरन् ऐसी संस्थाओं का विनियमन और देखरेख करना और सामाजिक मुक्ति का कार्य करना है । इसलिये इस विधेयक पर इसके सीमित अर्थात् देखरेख और नियंत्रण के प्रयोजन को ही ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिये ।

मुझे पता नहीं कि इस विधेयक के अधीन जिस बोर्ड की स्थापना की जायगी उसकी अपनी निधि होगी भी या नहीं । विधेयक के खंड १० में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बोर्ड को निधि किस प्रकार प्राप्त होगी । उसमें यह बात बड़ी विचित्र प्रतीत होती है कि केन्द्रीय सरकार का, जो इसका समर्थन करेगी, कोई दखल ही नहीं है । यह हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार भी उसमें अंशदान दे सके लेकिन उसके लिये सरकार को धन देने के संबंध में मंजूरी ले लेनी चाहिये थी ।

विधेयक के उपबन्धों से यह प्रगट होता है कि जो प्रशासन इस विधान को क्रियान्वित करेगा वह न पर्याप्त है न समुचित । इसके उपबन्धों को अच्छे ढंग से लागू करने की व्यवस्था के लिये कार्यवाही की जाना चाहिये । विधेयक के उपबन्धों के अनुसार इसको क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी विभिन्न राज्य सरकारों पर होगी । प्रत्येक राज्य में दातव्य संस्थाओं की मदद की जाती है और राज्य का यह कर्त्तव्य होता है कि इन संस्थाओं को सन्तोषप्रद ढंग से चलाया जाय । मुझे पता नहीं कि किसी राज्य सरकार ने अपनी ओर से पहल कर इस संबंध में कोई कानून बनाया है या नहीं, लेकिन संसद् द्वारा राज्यों के मार्गदर्शन के लिये यह कानून पास हो जाने पर काफी मदद मिलेगी और मुझे आशा है कि राज्य सरकारें धन लेकर आगे बढ़ेंगी ताकि देखरेख और प्रशासन के संबंध में उपयुक्त अफसरों की नियुक्ति के लिये उत्तरदायी बोर्ड अच्छे ढंग से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सके । बोर्ड तो अच्छी चीज है लेकिन जिस बोर्ड के पास धन न हो या जिसके कृत्य निश्चित न किये गये हों ऐसे बोर्ड से कोई लाभ न होगा ।

कुछेक उपबन्धों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं । खंड ६ में बोर्ड की सदस्यता की अवधि पांच वर्ष रखी गयी है । मेरे ख्याल से तीन वर्ष काफी होंगे । यदि इतने समय में सदस्य अच्छा कार्य करें तो उसे फिर चुना जा सकता है ।

श्री खुशवक्त राय : श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं इसका पूरे तौर से समर्थन करता हूं । और साथ ही साथ इस विधेयक के जो प्रस्तावक श्री कैलाश बिहारी लाल जी हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सरकार को जो कि अपने को सोशलिस्ट स्टेट की सरकार कहती है, यह सुझाव दे दिया, और उस सरकार ने इस सुझाव को मान लिया कि आज जो हमारे अनाथ बच्चे और औरतें हैं उनके लिये इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता है । श्री कैलाश बिहारी लाल जी बड़ी मेहनत से इससे पहले तीन बार इस बिल को लाये थे और वह तीनों बार नामंजूर हुआ और जब वह चौथी बार इसको लाये तो यह मंजूर किया गया । लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इसका उनको इनाम यह मिला कि कांग्रेस पार्टी ने उनको दुबारा टिकट नहीं दिया ।

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक, जैसा कि यह राज्य सभा से आया है, वैसा ही पास हो जाना चाहिये। मैंने ज्वाइंट कमेटी में यह कहा भी था कि यह विधेयक ऐसा है कि जिसके हाथ पैर नहीं हैं, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि इस विधेयक में यहां कोई संशोधन न किये जायें और यह जैसा पास होकर आया है वैसा ही यहां से पास कर दिया जाये। इसके लिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसके लिये मैंने आपसे बोलने की आज्ञा चाही, और वह यह कि हमारी सरकार का रुख क्या है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। जब यह बिल राज्य सभा में था तो सभी सदस्य इस बिल के पक्ष में बोले थे और यहां भी इसके पक्ष में बोल रहे हैं। इससे मालूम होता है कि इस मामले में सारे सदन के माननीय सदस्य चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के, एकमत हैं। पर आपको देखना है कि हमारी सरकार का इस पर क्या रुख है। आप विधेयक की धारा १० को पढ़ें जो कि पहले धारा ९ थी। उसमें यह दिया गया है :—

> "बोर्ड की निधि व्यक्तियों द्वारा दिये गये अंशदानों, चंदों, दानों, प्रतिक्थानों, और राज्य सरकारों या किसी स्थानीय अथवा अन्य लोक निकाय द्वारा दिये गये अनुदानों से मिलकर बनेगी।"

इसके लिये कोई धन सरकार की ओर से नहीं दिया जायगा। जैसी अनाथों की संस्था है वैसा ही यह विधेयक भी अनाथ सा है। कहीं से सरकार इसको कोई फंड नहीं दे रही और जो काम वह चलाने वाला है वह बहुत बड़ा है।

एक माननीय सदस्य : गवर्नमेंट देगी।

श्री खुशवक्त राय : वही तो मैं भी कहना चाहता हूं। इसकी बात को देखते हुए तो मैंने एक संशोधन दिया था ज्वाइंट कमेटी में, पर उसके लिये माननीय राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा की आवश्यकता थी। तभी वह पेश हो सकता था। उसके बारे में लिखा पढ़ी की गयी। जहां तक मुझे मालूम है विधि मंत्रालय ने उसके लिये सिफारिश भी की कि इसमें कुछ रुपया दे दिया जाय। मगर उसके बाद वह शायद फोइनेंस गया या कहां गया मुझे मालूम नहीं, पर उसकी इजाजत नहीं मिली और मैं वह संशोधन पेश नहीं कर सकता। मेरा संशोधन सिर्फ यह था कि केन्द्राय सरकार इस पार्लियामेंट की इजाजत से, पार्लियामेंट के एप्रोवल से, इसमें रुपया दे। उसमें और कुछ नहीं था। वह सीधा साधा संशोधन था और मैं चाहता था कि सरकार के रुख में तबदीली आनी चाहिये कि आज जो समाज कल्याण के काम हैं उनके लिये सरकार के पास पैसा होना चाहिये। कल के दिन वर्ल्ड एग्रीकल्चुरल फेयर के बारे में चर्चा हुई और कहा गया कि उसके लिये इन्तिजाम करने को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने पांच लाख रुपया वैसे ही दे दिया और उसके बाद क्या दिया वह तो मालूम नहीं क्योंकि उसका हिसाब अभी नहीं आया है। परन्तु यह इतना भला काम है, यतीमों की सहायता के लिये, पर इसके लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार अपने को वैलफेयर स्टेट की सरकार कहलाना चाहती है तो उसके लिये इस काम के लिये मदद देना लाजिमी है। जैसा यह विधेयक है उसको वैसा पास कर देना चाहिये। पर मेरी आपके जरिये विधि मंत्री से प्रार्थना है, और मैं इसके लिये वित्त मंत्री से भी प्रार्थना करता पर वह इस समय हैं नहीं, कि जल्दी ही एक अमेंडिंग बिल लाना चाहिये जिसके जरिये से यह हो जाये कि जो बोर्ड बनेगा उसके खर्चे के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट को रुपया देना चाहिये।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : श्रीमान् जी, बिल का ख्याल तो बहुत अच्छा है लेकिन इस बिल का नाम देखकर दिल दहल जाता है। कारण यह है कि जिस वक्त हमने यह विचारा था कि यह

[श्रीमती उमा नेहरू]

मुल्क आजाद हुआ और इसमें हमारी सोशलिस्ट गवर्नमेंट होगी, तो उस वक्त हमें यह पूरा ख्याल था कि जितने भी कालेज और स्कूल हमारे यहां होंगे अगर उनके कम्यूनल नाम होंगे तो हम उनको हटा देंगे और जितनी भी ऐसी चीजें होंगी जैसे विधवा आश्रम, आरफनेज या यतीमखाने, जिनको हम बरदाश्त नहीं कर सकते । यह जो हमारे देश में यतीम खाने और विधवा आश्रम हैं इन सबों, में मैं बहुत काफी घूमी हूं । जो भी मर्द भाई यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मैं इनमें घूमी हूं और बहुत काम भी किया है और मुझे इन आश्रमों की हालत देखकर रोना भी आया है । मैं कहना चाहती हूं कि इन आश्रमों, विधवा आश्रमों और बच्चों के यतीमखानों के साथ समाज ने अन्याय का बरताव किया है । यतीम बच्चों को भिखमंगा बनाया है । यह चीज देखने के बाद हमारे ऊपर यह असर हुआ कि नहीं यह तरीका गलत है और इनका तरीका ठीक होना चाहिये । इसी-लिये ज्यादातर स्त्रियों को उसमें रखने की बात सोची गयी, जो बोर्ड बने उसमें सारी स्त्रियां होवें और पुरुष एक न हो । स्त्री पुरुष में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन यही विचार है कि पुरुष ने इन आश्रमों में बिल्कुल गलत तरीके से बर्ताव किया है, इस लिये स्त्रियां चाहती हैं कि पुरुष इन होम्ज से दूर रहें ।

यह बिल तो बहुत अच्छा है, ख्याल भी अच्छा है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इसके मुताल्लिक सारा काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यह बिल हमारे पास आया है । धन का प्रश्न भी बड़ा वेग है । हमें यह मालूम नहीं है कि धन कहां से आयगा, कहां से हम भीख मागेंगे, या फिर गवर्नमेंट ही इसका इन्तजाम करेगी । जैसा हमारा नेशन बिल्डिंग हो रहा है, इस तरह अनेक आश्रम और अनेक बोर्ड वगैरह बनाना बिल्कुल गलत तरीका है । हमारे यहां सोशल वैलफेयर बोर्ड मौजूद हैं । उसके जरिये से कुछ काम होता है । फिर पंचायतें कायम हो रही हैं और उनके जरिये भी यह काम होगा । कार्पोरेशन्ज के जरिये भी काम होगा । इतने सारे बोर्ड और दूसरी सस्थायें हम बना रहे हैं । ऐसी सूरत में इस काम के लिये एक और बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है । मैं समझती हूं कि जो बोर्ड और सस्थायें सरकार ने बनाई हुई हैं, उन्हीं के जरिये से हमको काम करना चाहिये । मेरी राय यह भी है कि और बातों में भी हमारी सस्थाओं में एक दूसरे के साथ को-आपरेशन और को-आर्डिनेशन नहीं है । जरूरत इस बात की है कि ये सस्थायें एक दूसरे के साथ को-आर्डिनेशन से काम करें । जब तक हम सिमटेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं । फैलना आसान होता है, लेकिन सिमटना मुश्किल होता है । हम को सिमट कर चलना है और ठीक तरह से देश का संगठन करना है । इसलिये मैं इस बोर्ड के बनाये जाने के खिलाफ हूं ।

कुछ भाइयों ने यह जिक्र किया कि इस बोर्ड में स्त्रियों का नाम क्यों आये । श्री भट्टाचार्य ने भी खड़े होकर इस बारे में कहा । मैं उन भाइयों से यह कहना चाहती हूं कि हमारी जिन्दगी का अनुभव यही है कि हम कामयाबी से स्त्रियों के होम नहीं चला सके । मैं ऐसी जगहों में पुरुषों के होने के बिल्कुल खिलाफ हूं । मैं लड़कियों के स्कूलों और कालेजों की मैनेजिंग कमेटीज (प्रबन्ध समितियां) में पुरुषों के रखे जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि इसके मुताल्लिक मुझे बहुत सारा एक्सपीरियेंस (अनुभव) है । इसलिये मैं यह चाहती हूं । जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, वह इन्होंने बहुत अच्छे ख्याल से बनाया है और मैं समझती हूं कि वह भी इस बात से सहमत होंगे कि अनेक बोर्ड बनाना गलत है ।

मैं इससे सहमत नहीं कि कोई धनी व्यक्ति इन आश्रमों वगैरह के लिये धन दें । अभी तक यहां के कैपिटलिस्ट लोग, तिजारती लोग इन आश्रमों और विधवाश्रमों के लिये रुपया देते रहे हैं लेकिन मैं आपको ताऊंकि वह रुपया देने का नतीजा यह है कि वे लोग इन होम्ज को मिसमैनज करते

हैं और वे होम्ज़ पर हावी हो जाते हैं। इस वक्त जो सोशल वैलफेयर बोर्ड, पंचायतें और कार्पोरेशन हैं, ये सस्थायें ही इन होम्ज़ का काम चलायें। हमें ज्यादा फैलाव नहीं फैलाना चाहिये। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर सोचती हूं कि यह स्टेट का सामान है, यह वहीं होना चाहिये था। यह यहां पर आया, यह अच्छी बात है। गालिबन हमारे जिक्र करने से स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर विचार करेंगी। इस बोर्ड के मैं खिलाफ हूं। मैं समझती हूं कि जो हमारे एगजिस्टिंग बोर्ड और दूसरी सस्थायें हैं, वे ही इन होम्ज़ को चलाने के लिये काफी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : चेयरमैन, साहब, आरफ़नेजिज़ (अनाथालयों) के बारे में जो बिल यहां पर रखा गया है, मैं तो उस को बेकार ही समझती हूं। अभी श्रीमती उमा नेहरू बोलीं। वह बहुत अच्छी तरह से बोलीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में सोशल बैलफेयर (समाज कल्याण) बोर्ड बहुत काम कर रहा है। वह चार पांच साल पहले शुरू किया गया था और वह महिलाओं और चिल्ड्रन बच्चों के लिये अच्छा काम कर रहा है। कानून के द्वारा एक आजाद बोर्ड—सोशल वैलफैयर बोर्ड बना दिया गया। अब अगर इस बोर्ड के द्वारा बहनों और बच्चों का काम होगा, तो फिर वहां कौन काम करेगा? यह कहा गया है कि उस के लिए यहां से पैसा देना है। वह पैसा बोर्ड को देने के लिए या इंस्टीच्यूशन को चलाने के लिए देना है? सिर्फ़ बोर्ड को चलाने के लिए, दफ्तर रखने के लिए हजारों रुपया किराया भरने के लिए, ट्रेवलिंग एलाउंसिज के लिए देना है, या स्टेट्स में काम करने वाली इंस्टीच्यूशन्ज को देना है, यह बात इस में नहीं है। मैं अपने भाइयों—मेम्बरों को यह समझाना चाहती हूं कि वे क्यों बेकार ऐसे कानून यहां ला रहे हैं। मैं श्री शर्मा से यह कहना चाहती हूं कि वह इस को सोने की खान न समझें। मैं उनको समझाती हूं कि इस बारे में बहनें पहले ही काम कर रही हैं। वे सिर्फ बहनों और बच्चों का ही काम नहीं कर रही हैं, बल्कि अगर कोई बूढ़ा हो कर, लूला हो कर पड़ जाता है, तो उस को एजिड होम में रखा जाता है। आप हैदराबाद चलिए। मैं आपको बताती हूं कि हमारे यहां बूढ़े लोगों के लिए भी आश्रम बनते हैं और उन को महिलायें चलाती हैं। जब लोग मरने को होते हैं, तो बहनों को आ कर उन की सेवा करनी पड़ती है। आप चलिए और माइन्ज़ और फ़ैक्ट्रीज़ में चल कर काम कीजिये। ऐसा कानून बना कर दोनों बोड्र्ज़ को लड़ने की बात की जा रही है। स्टेट्स में भी बोर्ड हैं और वे काम कर रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ाई जानी चाहिए और उनकी अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। उन बोर्डों को पैसा मिलता है, और अगर कोई दूसरा बोर्ड हुकूमत करने के लिए आ जाय, तो वे कमि नहीं चलायेंगे। जहां से पैसा जाता है, उन के हाथ में हुकूमत रहनी चाहिए। जैसे मां बच्चों को पालती है, उनकी सेवा करती है और अगर वह कभी उन को डांटती है, तो पिता कहता है कि ऐसा क्यों किया। बच्चे का कंट्रोल, उस को डांटना डपटना, उस को खिलाना पिलाना मां के हाथ में ही होना चाहिये। दूसरे को उसमें दखल नहीं देना चाहिये। यह बिलकुल बेकार बात है। चिल्ड्रन्ज़ बोर्ड बनाते हैं। बोर्ड में कहीं चार पांच लोग रहते हैं। बच्चे को मां से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। हम काबिल हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बहनें एम्बैसेडर बन रहीं हैं, मिनिस्टर बन रहीं हैं, एजूकेशन के क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि हैल्थ और एजूकेशन का पूरा काम हमारे पास आना चाहिये। हम उसके लिय कोशिश कर रहे हैं। मगर चिल्ड्रन का काम हम पुरुषों को देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे हिन्दुस्तान की बहनें को ऐसा न समझें कि वे यह काम नहीं कर सकेंगी। कहते हैं कि हम बच्चों का इंस्पैक्शन करेंगे। पुरुषों को इस बारे में क्या मालूम है? उनके दिमाग में यह बात कैसे आ सकती है? बच्चा रोता रहता है, मां काम करती

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

है, लेकिन पुरुष उस को देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। बच्चों का दिमाग पुरुषों की समझ में नहीं आता है।

इसके अलावा हमारे आंध्र प्रदेश में एक कानून बन गया है। वहां सब से पहले पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। पंचायत को ऐसी ताकत देना बड़ी गलती है। हर एक आरगनाइजेशन में दखल देने और उस को सुपरवाइज़ करने के लिए समिति बनायी। आप को नहीं मालूम, जहां इंस्टीच्यूशन होती है, पहले वह अपने को रजिस्टर्ड कर लेती है। हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद ही वह आरगनाइजेशन सरकार से पैसा मांगने जाता है। सैंट्रल वैलफेयर बोर्ड का कानून ऐसा है कि जहां पर इंस्टीच्यूशन को ताकत है, रहने के लिए घर है, कुछ पैसे हैं, कुछ मोतबिर लोग उस का काम चला रहे हैं, ये सब देखने के बाद पैसे मन्जूर होते हैं। हवा में बैठकर कोई पैसा नहीं लाता है। सोशल स्टेट्स रजिस्टर्ड बाडी होना, कुछ मूल धन होना ज़रूरी है। ऐसी इंस्टीच्यूशनज़ को ही गवर्नमेंट पैसा देती है। अभी श्रीमती उमा नेहरू ने साहूकारों के पैसा देने की बात कही। एक्सपेंडीचर टैक्स लग जाने से वे भी कुछ नहीं देंगे। पैसा लाना आसान नहीं है। हमें ऐसे शानदार इंस्टीच्यूशन्स बनाने चाहिए, जहां लोग सेवा भाव से काम करते हों। सिटीज़ में कारपोरेशन होती हैं। कोई ईंस्टीट्च्यूशन चलती है, यतीमखाना चलता है तो कार्पोरेशन उन में आती है और देखती है। इस बारे में एग्रीमेंट और कन्डीशन्ज़ होती हैं—बेहद कन्डीशन्ज़ होती हैं, चौबीस पच्चीस कन्डीशन्ज़ होती हैं। वे तमाम कन्डीशन्ज़ कुबूल कर के ही सौ, दो सौ, पांच सौ रुपए मिलते हैं। अगर पांच सौ मिल गया, तो इतना एस्टाब्लिशमेंट है, हर महीने इस का रिपोर्ट देना पड़ता है। अभी आपका कानून बना हुआ है। उधर स्टेट्स में होम डिपार्टमेंट हैं। वहां पर जो कानून है उसके अनुसार काम चलता है। वह कानून पुराने ज़माने से चला आ रहा है। वहां के होम डिपार्टमेंट के पास कानून है। जितने भी चिल्डरन होम हैं या दूसरे होम हैं वे कानून के मुताबिक चलते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस कानून के द्वारा बोर्ड को रखने की ज़रूरत नहीं है। यह बोर्ड अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा। बोर्ड अभी शुरू नहीं हुआ है पैसे की मांग हो रही है। बोर्ड की ज़रूरत नहीं है।

मैं मानती हूं कि शर्मा जी की नीयत अच्छी है। मैं उनको धन्यवाद भी देती हूं। लेकिन शर्मा जी को भी चार साल के बाद होम में जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहां पर हम उनकी मां बन कर सेवा करेंगी। जो इंतिजाम अभी है वह एडमिनिस्ट्रेशन के प्वाउंट आफ व्यू से अच्छा है। इस वास्ते अलग बोर्ड कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों का और बहनों का यह मामला है इसलिए इसको बहनों पर ही छोड़ दिया जाए। होम मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हुए नहीं हैं, वे चले गए हैं। शर्मा जी बैठे हुए हैं। विधि उपमंत्री भी बैठे हुए हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि इसको प्रेस्टिज में न लायें। इसको स्टेट्स पर छोड़ दें।

आप कौन हैं जो डांटने वाले हैं। आप पैसा देने वाले नहीं हैं और जब आप पैसा देने वाले नहीं हैं तो जब आप कोई डायरेक्शन देंगे तो वे कहेंगे कि आप कौन हैं, आप वापिस चले जाओ। इसका पास कर देने का नतीजा यह होगा कि वे दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे जोकि नहीं होना चाहिये। यह बहनों बच्चों इत्यादि का मामला है और उन्हीं पर आपको इसे छोड़ देना चाहिये। मैं यह बात सेवा की भावना से कह रही हूं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इसको वापिस लीजिये और राज्य सभा को भेज दीजिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं इस विधेयक का बहुत स्वागत करती हूं क्योंकि हाल ही में दिल्ली के एक अनाथालय का बड़ा ही रोमांचकारी विवरण पढ़ने का मौका मिला था। इस अनाथालय की एक बालिका को वहां के मैनेजर की सेवा करने को बाध्य किया जाता था।

इसके अलावा समाज कल्याण बोर्ड ने लगभग दो वर्ष पहले एक पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि अनाथालयों और महिलानिकेतनों की देखरेख किस प्रकार से की जाती है। डा० मैत्रेयी बोस द्वारा तैयार की गयी इस पुस्तक में बताया गया है कि जिन जिन ऐसी संस्थाओं में वह गयीं वहां बहुत सी बातें चल रही थीं और उनकी जिम्मेदारी विशेष रूप से इन संस्थाओं के सुपरिंटेंडेंटों पर थी। इसीलिये उन्होंने सिफारिश की है कि भविष्य में ऐसी जिन संस्थाओं को लाइसेंस दिये जायें उनकी सुपरिंटेंडेंट महिला होनी चाहिये। मान्यता देने की यह बुनियादी शर्त होनी चाहिये।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से और भी ज्यादा सहायता मिलनी चाहिये। अन्यथा यह संस्थायें न केवल बुराइयों का केन्द्र बन जाती हैं वरन् इनका उपयोग बहुत से अवांछनीय तरीकों से रुपया पैदा करने के केन्द्रों के रूप में होने लगता है। इसलिये इन्हें बुराइयों से बचाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण व पथ प्रदर्शन देने के दोनों प्रश्नों को साथ-साथ हल किया जाना चाहिये।

जहां तक बोर्ड की निधि का प्रश्न है, मेरे ख्याल से हमें उस पर जोर नहीं देना चाहिये। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि राजकोष से पर्याप्त धन उपलब्ध किया जाना चाहिये। मैंने देखा है कि कभी कभी लोग दान अच्छे विचारों से देते हैं और कभी कभी दान के पीछे दाता को जो उद्देश्य होता है वह उतना ऊंचा नहीं होता—इसलिये हम आवश्यक समझते थे कि इस आशय का कोई विधेयक अवश्य आना चाहिये।

एक बात पर हमें विचार करना होगा कि वह क्या चीज है जिसकी यह बोर्ड देख रेख करेगा। प्रत्येक विभाग की सभी कार्यवाहियों की एक बुनियादी कमजोरी यह होती है कि एक ही काम कई कई निकायों द्वारा किया जाता है। इस विधेयक द्वारा भी एक बोर्ड की स्थापना की जायेगी —दूसरी ओर प्रत्येक राज्य में राज्य समाज कल्याण बोर्ड हैं।

यह भी सही है कि बहुत कम समाज कल्याण कार्यकर्त्रियां इस काम के लिये उतना समय दे पाती हैं जितना दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं कहूंगी कि राज्यों की विधान सभाओं द्वारा इस बोर्ड के लिये जिन दो सदस्यों का चुनाव किया जाय उनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिये। क्योंकि इस बोर्ड को महिलाओं और बच्चों के अनाथालयों आदि संस्थाओं की दशा में सुधार करना है और उनके निरीक्षण का भी अधिकार प्राप्त होगा इसलिये यह वांछनीय होगा कि इस बोर्ड में स्त्रियों की संख्या ही अधिक हो। मैं यह आवश्यक समझती हूं कि इन गृहों में—जिनमें बढ़ती उम्र की लड़कियां जवान स्त्रियां और विधवायें रहती हों वहां हमें ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी औरतों पर ही डालनी चाहिये।

इन संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में रहने खाने, सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य के स्तर पर जोर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यह जानना भी आवश्यक होगा कि वहां जो शिक्षा दी जायगी उसका स्तर क्या होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मैंने देखा है कि सरकारी अपाहिज गृहों और उन संस्थाओं तक में जिनकी स्थापना पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल की शरणार्थी स्त्रियों के लिये की गयी है इन स्त्रियों को रहते रहते चार पांच वर्ष हो गये हैं फिर भी उनकी शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह बड़ी ही भयावह स्थिति है। मेरा ख्याल है कि मान्यता देने के संबंध में इसको मुख्य शर्त माना जाना चाहिये—बच्चों के लिये तो शिक्षा का कुछ स्तर अवश्य ही होना चाहिये। व्यावसायिक शिक्षा के सबंध में भी अवश्य कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

अन्तिम महत्वपूर्ण बात यह है कि इन औरतों को ये गृह छोड़ने की अनुमति कब दी जाये। इन्हें प्रशिक्षण देने के पश्चात् हमें इन स्त्रियों के लिये ऐसे घरों और नौकरियों की व्यवस्था कर देनी चाहिये जो टिकाऊ हों। इसकी समस्या बड़ी कठिन है। किसी लड़की को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के पश्चात् उसके लिये नौकरी नहीं ढूंढ पाते और नौकरी यदि मिल भी जाये तो हमें इसका विश्वास नहीं हो पाता कि वह घर ऐसा सुरक्षित होगा जिसमें स्वयं अपनी पुत्रियों को काम करने दे सकें।

यही समस्यायें हैं और इन शब्दों के साथ मुझे यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यह बड़ा ही सामयिक विधेयक है और हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

श्री च० का० भट्टाचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : श्रीमान् सभापति जी, इस विधेयक के प्रति मैं अपना हार्दिक समर्थन जाहिर करता हूं। इस संबंध में मेरा ख्याल यह है कि विधेयक में जिस धारा में बोर्ड तथा प्रबन्ध समिति का उल्लेख है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। सभापति जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि बोर्ड और प्रबन्ध समिति को चलाने वाले लोगों पर ही किसी भी अनाथ आश्रम को सुचारु रूप से चलाना निर्भर करता है। जो बहुत सी गड़बड़ियां बोर्ड और प्रबन्ध समितियों के लोग करते हैं, उनके बारे में उदाहरणों की कमी नहीं है और ये गड़बड़ियां अनाथालयों की ठीक प्रकार से देखरेख न होने की वजह से ही होती हैं। कलकत्ता के एक स्त्रियों के अनाथालय के बारे में मैं जानता हूं। यह कई बरसों की बात है। इस आश्रम के अधिकारियों को हटाने के लिये अखबारों में भी काफी आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई।

इसी तरह के बहुत से उदाहरण दिल्ली तथा और बड़े बड़े शहरों में भी मिलते रहते हैं। इसलिये मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि बोर्ड में और प्रबन्ध समिति में योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां होनी चाहियें।

अन्त में मैं इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय सदस्य श्री कैलाश बिहारी लाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय पर काफी ध्यान दिया है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, सब से पहले मैं श्री भट्टाचार्य जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया है और इस विधेयक पर अपने विचार हिन्दी में व्यक्त किये हैं। मैं श्री कैलाश बिहारी लाल जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अनाथालयों के बारे में चिन्तन किया और उस चिन्तन के फलस्वरूप एक विधेयक हम लोगों के सामने पेश किया। मैं समझता हूं कि इस के बारे में सरकार द्वारा विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि इस तरह के बिल को पेश करना सरकार का कर्त्तव्य था। वह देखती कि अनाथालयों में जो लोग रहते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होती है तथा जो पैसे का मिसयूज़ होता है उसको रोका जाये लेकिन उसने पिछले बारह सालों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सरकार अपने को मंगलकारी सरकार कहती है और इसे ही चाहिये था कि वह इस संबंध में कोई विधेयक पेश करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब जो बिल आया है इसको उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

इस विधेयक का यहां सवर्त्र स्वागत हुआ है । यदि किसी माननीय सदस्य ने इसका विरोध भी किया है तो किसी धारा का ही किया है लेकिन जहां तक इस विधेयक के मूल सिद्धांतों का, इस विधेयक का तात्पर्य है उसका किसी ने विरोध नहीं किया है । चूंकि अब संशोधन रखने का मौका नहीं है क्योंकि अगर संशोधन दिया जाता है और उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो यह विधेयक खटाई में पड़ जाता है, इस वास्ते कोई संशोधन मैंने पेश नहीं किया है । इस वास्ते दो एक धाराओं के बारे में ही मैं अपने विचार इस सदन में प्रकट करूंगा ।

इसकी धारा ५ और उपधारा २ में कहा गया है कि जो बोर्ड बनेगा उसमें किस तरह के लोग होगें । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने इसके बारे में अपनी बात कही है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपना मत प्रकट किया है । परन्तु मैं समझता हूं कि एक बहुत ही जरूरी चीज छट गई है और वह यह है कि जिन अनाथों के बारे में यह विधेयक बनने जा रहा है, जिन के बारे में बड़ी चिन्ता प्रकट की गई है, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस बोर्ड में नहीं होगा । यह बहुत बड़ी कमी रह गई है । मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के बारे में ये नियम बनने जा रहे हैं, व्यवस्था होने जा रही है---और मैं शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें---उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । इसके लिये आप चाहे चुनाव की व्यवस्था रखें या कोई और व्यवस्था रखें, लेकिन उनका प्रतिनिधि इसमें अवश्य होना चाहिये । माननीय सदस्य कह सकते हैं कि अनाथालयों में नाबालिग लोग होते हैं, छोटे बच्चे होंगे लेकिन यदि इस विधेयक को ठीक तरह से पढ़ा जाये तो पता चलेगा कि उनमें औरतें भी होंगी, विधवा स्त्रियां भी होंगी, नौजवान भी हो सकती हैं, बालिग भी हो सकती हैं और वे अच्छी तरह से अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती हैं और अच्छी राय दे सकती हैं । इस वास्ते जिन लोगों के बारे में यह विधेयक बनने जा रहा है, उनको भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

धारा ६ में जांच की बात कही गई है । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस हल्के में या जिस जगह वह अनाथालय स्थित हो उसके अन्दर आने वाले विधान सभा और लोक सभा के सदस्य को भी यह अधिकार हो कि वह उसके अन्दर जा कर जांच पड़ताल कर सके ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि वह इस में न जाये कि सरकार की कुछ जिम्मेदारी बढ़ जायेगी। उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिये । श्री स० म० बनर्जी ने मुझे कहा है कि मैं कह दूं कि वह भी इसका समर्थन करते हैं ।

इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार कर लिया जायेगा ।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मुझे इस बात का खेद है कि मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है । वैसे तो मैं प्रगतिशील विचार-धारा का व्यक्ति हूं । परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, उसे समुचित रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस विधेयक में १९५६ के अधिनियम १०५ के निरसन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, परन्तु यदि इस की वर्तमान अधिनियम से तुलना की जाये तो इसमें सिवाय एक बोर्ड बनाने के और कोई भी नयी बात नहीं है । ऐसे विधेयक के खण्ड ५ में बोर्ड बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को देने की मांग की गयी है, परन्तु हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि राज्यों में क्या हाल है । यदि इस बोर्ड की स्थापना का काम राज्य सरकारों और राज्यों की विधान सभाओं पर छोड़ दिया गया तो इस कार्य में कई वर्ष लग जायेंगे और इस दौरान में सम्पूर्ण

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मू० चं० जैन]

स्थिति अनिश्चित रहेगी । इसलिये यदि सम्पूर्ण अधिनियम का निरसन करने के बजाय केवल कुछ एक बातों के सम्बन्ध में संशोधन कर लिया जाता, तो वह ज्यादा अच्छा रहता ।

मैं समझता हूं कि सरकार इस विधेयक का समर्थन इसलिये कर रही है कि इससे वह अपने उत्तरदायित्व से बच जायेगी । परन्तु सरकार को यह भी ज्ञात है कि गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही इस प्रकार की संस्थाओं की कैसी दुर्दशा होती है । इससे पहले राज्य सरकारों द्वारा भूदान बोर्ड भी बनाये गये थे, क्या वे ठीक प्रकार से चलाये जा रहे हैं । यदि नहीं तो वे सरकारें इस नये बोर्ड को कैसे अच्छी प्रकार से चलायेंगी । अतः मेरा तो यही मत है कि इस विधेयक से कुछ भी लाभ नहीं होगा । और जब तक कोई बोर्ड की स्थापना नहीं होती, उस बीच की अवस्था में क्या होगा, उसके बारे में विचार करना और भी जरूरी है ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक तथा अन्य सदस्यों के साथ इस विधेयक के निर्माता माननीय सदस्य के प्रति आदर और श्रद्धा समर्पित करता हूं जिन्होंने इतना उपयुक्त तथा हितकर विधेयक प्रस्तुत किया है । वास्तव में, यह बड़े श्रेय की बात है कि वह इस सम्बन्ध में गत कई वर्षों से 'मिशनरी जोश' से प्रयत्न करते रहे हैं और हमें भी सहयोग देते रहे हैं । जैसा कि मैंने पहले बताया जब हमने इस विधेयक को स्वीकार कर लेने का निर्णय कर लिया, तो हमने इस विधेयक का प्रारूप बनाने के लिये सर्वोत्तम व्यक्तियों की सेवा उन्हें समर्पित की है ताकि सर्वोत्तम प्रारूप तैयार किया जा सके ।

जैसा कि श्री दी० चं० शर्मा ने बताया है, मैं यह बात फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रारूप तैयार होने के समय से लेकर प्रवर समिति तक हमने इसकी प्रत्येक बात का अच्छी प्रकार से परीक्षण कर लिया है और इसलिये मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यद्यपि हम इस विधेयक को इतने अल्प समय में ही पारित कर रहे हैं, तथापि इसके सभी उपबन्धों पर इस विधेयक के मूल प्रस्तावक तथा इस सभा में इसे प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है । और प्रवर समिति भी यही महसूस करती है कि उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा है और इस बात का परीक्षण करने का पूरा-पूरा यत्न किया है कि इसका प्रारूप सर्वोत्तम रूप में हो ।

मैं श्री मू० चं० जैन द्वारा अभिव्यक्त की गयी आशंकाओं को भी दूर करने का यत्न करूंगा । उन्होंने यह आशंका अभिव्यक्त की है कि १९५६ के अधिनियम के निरसित होने और इस अधिनियम के पारित होने के बीच बहुत समय तक अनिश्चित सी स्थिति रहेगी । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होगा । इस अधिनियम का निरसन केवल उस समय किया जायेगा, जबकि राज्य सरकारें नये अधिनियम को लागू करने का निर्णय कर लेंगी । जब तक नया अधिनियम लागू नहीं हो जायेगा तब तक पुराना अधिनियम जारी रहेगा । इस अधिनियम के लागू होते ही सभी राज्य सरकारें इस अधिनियम के अधीन इन संस्थाओं के निर्माण की राजकीय जिम्मेवारी ले लेंगी । इसलिये यह सोचना निराधार है कि नये अधिनियम के लागू होने और पहले अधिनियम के निरसित होने के बीच कुछ खाली समय रहेगा ।

कुछ एक माननीय सदस्यों विशेषतया महिला सदस्यों ने यह आशंका अभिव्यक्त की है कि इस अधिनियम से कहीं पहले से ही काम कर रहे समाज कल्याण बोर्डों के काम पर बुरा असर न पड़े । मुझे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अथवा समाज कल्याण बोर्ड की विभिन्न शाखाओं के संविधान

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से परिचय नहीं है, परन्तु मेरा अनुमान है कि इन बोर्डों का कोई भी संविहित आधार नहीं है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम के अधीन संविहित रूप से कार्य चलाने में उन बोर्डों के कार्य में कोई बाधा पड़ेगी । हमारा वास्तविक उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और उसी की दृष्टि से हम समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों में भी सहयोग देना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है हमने एक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की है और उसका कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है । परन्तु मैं आपको स्मरण दिला देना चाहता हूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई अधिनियम न था । अब इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा अन्य बोर्डों को संविधिक शक्ति प्राप्त हो जायगी ।

सम्भव है कि इस अधिनियम के अधीन जो कार्य होगा उसकी तुलना में इस समय समाज कल्याण बोर्डों के कार्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो, पर वर्तमान अधिनियम के अधीन बोर्ड केवल इन संस्थाओं की देखभाल करेगा । वैसे यदि इस नये अधिनियम के अधीन भी पुराने बोर्डों को संविधिक स्थान दे दिया जाय तो उसमें कोई बुराई नहीं है ।

जहां तक बोर्डों के गठन का सम्बन्ध है मेरा यह निवदन है कि यदि एक बार यह निर्णय कर लिया जाये, कि समाज कल्याण बोर्डों का कार्य इसी अधिनियम के अधीन ही चलाया जायेगा, तो फिर उन बोर्डों का गठन भी इसी अधियियम के अनुसार किया जायेगा । उस बोर्ड को संविहित शक्ति प्राप्त होगी । बोर्ड को वे भी काम सौंपे जा सकेंगे, जो कि वह इस समय कर रहा है । अतः मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अधिनियम से समाज कल्याण के कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी । अपितु उस कार्य में और अधिक सहायता मिलेगी ।

श्री आचर ने इसके प्रारूप के सम्बन्ध में बहुत कुछ एक त्रुटियों की ओर संकेत किया है । सर्व प्रथम बात उन्होंने यह कही है कि खण्ड १५ में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के सम्बन्ध में तो न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है, परन्तु इसमें नैतिक स्तर निर्धारित नहीं किया गया है । परन्तु मैं समझता हू कि नैतिकता और कानून एक दूसरे के बहुत समान हैं क्योंकि अनैतिक बात वास्तव में अवैध बात मानी जाती है और उसके लिये दण्ड दिया जाता ह । और कोई भी सरकार अनैतिक बातों के लिये दण्ड देने में संकोच नहीं करेगी । माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये कि हमने नैतिकता के पक्ष को छोड़ दिया है । खण्ड १७ (१) (ख) में इस सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर दी गयी है । प्रत्येक संस्था की स्थापना के समय यह नहीं कहा जाता कि उसे नैतिकता का पालन करना चाहिये । नैतिकता का पालन करना तो एक ऐसी पूर्व निश्चित बात है कि इसके लिये बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती । यह तो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था का परम कर्तव्य है । और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बोर्ड को यह भी शक्ति दी गयी है कि वह उन संस्थाओं के प्रमाण पत्रों को रद्द कर सकता है जिनका काम निरन्तर अव्यवस्थित रूप से चल रहा हो और वह वहां के व्यक्तियों के नैतिक जीवन के लिये अहितकर हो । अतः इस से स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्था को नैतिक स्तर का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिसके बिना उनके प्रमाण पत्र रद्द कर दिे जायेंगे ।

कुछ एक सदस्यों का यह कहना है कि इस विधेयक के पास हो जाने पर इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये । इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जिस विषय के सम्बन्ध में कानून बना रहे हैं, वह समवर्ती सूची में आता है । समवर्ती

[श्री हजरनवीस]

सूची में आने वाले विषय सामान्यतया राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित किये जाते हैं । इसी लिये केन्द्रीय सरकार सामान्यतया राज्यों के लिये कानून बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की इच्छुक नहीं है । जब तक बहुत अधिक आवश्यकता न हो, केन्द्र कभी भी ऐसा नहीं करेगा । वास्तव में यह विषय राज्य सरकारों के अधिक निकट है, क्योंकि विधि तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है । इसलिये इस विधान की कार्यान्विति के सम्बन्ध में हमें राज्य सरकारों पर ही निर्भर करना पड़ेगा ।

अतः इस सम्बन्ध में हमने दो काम किये हैं । पहला तो यह है कि हमने एक ऐसा नमूना या ढांचा बना दिया है जिसे राज्य सरकारें जब उपयुक्त समझें में लागू कर सकती हैं । अतः इसे लागू करने और उसकी कार्यान्विति की सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर होगी और केन्द्रीय सरकार उसकी प्रगति का बड़ी रुचि से अवलोकन करेगी और कुछ वित्तीय सहायता भी देगी । इसीलिये इसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे वे कुछ राशि भी प्राप्त कर सकती हैं । यदि सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार को ही देनी पड़े तो उस स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि धन तो केन्द्रीय सरकार लगाये और कार्यान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी और उस समय यदि धन के उपयोग की गड़बड़ी के बारे में कोई शिकायत आयी तो उस समस्या को सुलझाना कठिन हो जायेगा ।

वैसे तो मैं श्री खुशवक्त राय के कथन से सहमत हूं कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से धन राशि प्रदान की जाये, परन्तु प्रश्न यह है कि "क्या इस विधेयक के अधीन केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण धन राशि प्रदान करने की संविहित जिम्मेदारी स्वयं ले ले ।" केन्द्रीय सरकार धन राशि दे सकती है और देगी भी और अभी तक सरकार समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों के लिये सहायता देती भी रही है । मुझे विश्वास है कि यदि राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया तो केन्द्रीय सरकार उसके लिये अवश्य आर्थिक सहायता देगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अनाथालयों, निराश्रित स्त्रियों या बच्चों के आश्रमों और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के निरीक्षण और नियन्त्रण का तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३१, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३१ अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक इस अधिनियम की धारा ७३ का संशोधन करने के लिये है । इस विधेयक की आवश्यकता दूसरे आम चुनाव के कारण पड़ी । आप देखेंगे कि इसी धारा के परिणामस्वरूप हिमाचल के तीन चुनाव क्षेत्रों, पंजाब के एक दो-सदस्यीय चुनाव क्षेत्र तथा कांगड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र में चुनाव जुलाई के अन्त तक भी पूरे नहीं हो पाये थे । इसके परिणामस्वरूप पंजाब विधान सभा के ८ सदस्य तथा लोक-सभा के ६ सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सके ।

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना द्वारा निश्चित किया था कि चुनाव ३१ मार्च, १९५७ तक पूरे हो जायें । पर इन चुनाव क्षेत्रों के चुनाव धारा १५३ के अधीन स्थगित कर दिये गये क्योंकि वहां बर्फ पड़ रही थी और लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल था । बाद में इन चुनाव क्षेत्र के चुनाव जून व जुलाई में हुए । राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव उनके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हो जाते हैं । अतः ६ मई उनके चुनाव की तिथि रखी गई क्योंकि उनका कार्यकाल १३ मई को समाप्त हो रहा था । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७३ के अधीन लोक-सभा को पूर्ण घोषित कर दिया गया । पंजाब विधान सभा को भी पूर्ण घोषित कर दिया गया ।

पर यह गलत था । इस प्रकार तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में इन चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को कभी भी भाग लेने का अवसर नहीं मिला करेगा क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में चुनाव जून व जुलाई तक समाप्त हो जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें । अब सभा सोमवार को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०

२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१५५—८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९३०	माधोपुर के आगे रेलवे लाइन	३१५५–५६
९३१	रूपनारायण नदी पर पुल	३१५६—५८
९३२	उड़ीसा में भीमकुंड परियोजना	३१५८—६१
९३५	विजयवाड़ा-गुडूर लाइन	३१६१–६२
९३७	हुमायूं के मकबरे के निकट यमुना पर पुल	३१६२—६४
९४०	रूरकेला-बरसुआ लाइन	३१६४—६६
९४१	उर्वरक	३१६७–६८
९४३	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिशें	३१६९–७०
९४४	पश्चिमी जर्मनी में भारतीय किसानों का प्रशिक्षण	३१७०
९४५	कांडला पत्तन	३१७०—७२
९४६	मनीआर्डर फार्मों की कमी	३१७२–७३
९४७	ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कार्पोरेशन की "उधार उड़ान योजना"	३१७३–७४
९४८	चीनी की प्राप्ति	३१७४–७५
९५०	अगरतला के लिये पीने के जल की व्यवस्था	३१७५
९५२	कनाडा से गेहूं	३१७५–७६
९५४	इल्युशीन-१८ विमान	३१७७
९५५	रेल दुर्घटना का टलना	३१७७–७८
९५७	रेलगाड़ी के डिब्बे में शव का मिलना	३१७८–७९
९५८	दिल्ली में भूमि विकास सम्बन्धी परिक्रमी निधि	३१७९–८०
९३३	वैकल्पिक आसाम रेलवे सम्पर्क	३१८०—८२

विषय पृष्ठ

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या ९ इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन . . . ३१८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१८२–३२०७

तारांकित

प्रश्न संख्या

९३४ हिमाचल प्रदेश में तिलहन की कमी . . . ३१८२–८३

९३६ रेलवे संरक्षण बल के सदस्यों द्वारा चोरी . . ३१८३

९३८ त्रिपुरा में पुल ३१८३

९३९ कोयम्बटूर में रेडियो . . . ३१८४

९४२ नजफगढ़ झील ३१८४

९४९ अहमदाबाद और कलकत्ता के बीच तेज़ चलने वाली गाड़ी . ३१८४

९५१ जगाधरी रेलवे वर्कशाप ३१८४–८५

९५३ अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन . . . ३१८५

९५६ दिल्ली में चने की फसल ३१८५–८६

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१२१६ रेलवे इंजिन, डिब्बे, आदि . . ३१८६–८७

१२१७ रेलों में भ्रष्टाचार . . . ३१८७

१२१८ दक्षिण रेलवे का भ्रष्टाचार-विरोधी संगठन . . ३१८७–८८

१२१९ रेलगाड़ियों की रफ्तार . ३१८८

१२२० कठुआ सहायक नहर ३१८८

१२२१ दिल्ली में मत्स्य पालन का विकास . . ३१८८–८९

१२२२ त्रिपुरा में कृषि सम्बन्धी ऋण . . . ३१८९

१२२३ रेलों पर खोमचे वाले और खान-पान व्यवस्था करने वाले . ३१८९–९०

१२२४ स्टेशनों पर खोमचे और खान-पान व्यवस्था के ठेके . ३१९०–९१

१२२५ सिंचाई की योजनायें ३१९१–९२

१२२६ उत्तर प्रदेश में राम गंगा परियोजना . . ३१९२

१२२७ डाक तथा तार घर ३१९२–९३

१२२८ रेलवे पर मोचियों को लाइसेंस देना . . ३१९३

१२२९ अण्डमान गवर्नमेंट टिम्बर डिपो द्वारा इमारती लकड़ी की नीलामी . ३१९३

१२३० हिमाचल प्रदेश में भावर घास . ३१९४

१२३१ बिजली से चलने वाले रेल के इंजन . ३१९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२३२	बम्बई को फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण . .	३१९४
१२३३	तृतीय श्रेणी के यात्रियों को सुविधायें . . .	३१९५
१२३४	अर्ध कुम्भ मेले के लिये विमान सेवा . .	३१९६
१२३५	हिमाचल प्रदेश में जड़ी-बूटियां .	३१९६
१२३६	आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थायें . . .	३१९६–९७
१२३७	चीनी का उत्पादन	३१९७
१२३८	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और विकास संस्था .	३१९७
१२३९	खाद्यान्नों का उत्पादन	३१९७–९८
१२४०	दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों का कैंसिल किया जाना . .	३१९८
१२४१	स्टेशनों पर बिजली लगाना .	३१९८
१२४२	रेलवे को धोखा देना . .	३१९९
१२४३	दक्षिण-पूर्व रेलवे	३१९९
१२४४	स्थानीय करों की बकाया . .	३२००
१२४५	कटक के समीप ऊपरी पुल	३२००
१२४६	रेलवे द्वारा इस्पात की खरीद	३२००–०१
१२४७	रेलवे के लिये लोहेकी खरीद	३२०१
१२४८	दामोदर घाटी निगम की नहर पर होकर गाड़ियों का आना जाना .	३२०१–०२
१२४९	पेराम्बूर का सवारी डिब्बा कारखाना . . .	३२०२
१२५०	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में आर्थिक कीट शास्त्रज्ञों के वेतन-क्रम . . .	३२०२–०३
१२५१	रेलवे का अनुवाद अनुभाग .	३२०३
१२५२	डाक बचत बैंक खाते में से गबन . .	३२०३–०४
१२५३	माल डिब्बों का परीक्षण	३२०४
१२५४	रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारियों द्वारा चोरी .	३२०४
१२५५	रेलवे सैलून . . .	३२०५
१२५६	बसें, ट्रक और मोटर कारें . . .	३२०५
१२५७	चीनी	३२०५–०६
१२५८	पैराम्बूर कारखाने के इंसपेक्टर और प्रौग्रेसमैन . .	३२०६
१२५९	दिल्ली में मच्छर . . .	३२०६
१२६०	मंगलौर के समीप नेथरावती पुल . . .	३२०७

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२०७–०८

(एक) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उपधारा (५) के अन्तर्गत भारतीय तार नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १२ मार्च, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ६२७ की एक प्रति ।

(दो) वर्ष १९५९ के लिये गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(तीन) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक ५ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २६९ ।

(२) दिनांक ५ मार्च १९६० की जी० एस० आर० २७० ।

(चार) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक २७ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० २२६ ।

(२) गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २ मार्च, १९६० की जी० एस० आर० २८७ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३२०८–०९

श्री दीवान चन्द शर्मा ने १० मार्च, १९६० को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के किशनगंज स्टेशन पर हुई रेलगाड़ियों की टक्कर की ओर रेलवे मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे उपमंत्री श्री शाहनवाज़ खां ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ३२०९–१४

(एक) परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राज बहादुर) ने विशाखापटनम् पत्तन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ पूर ७ मार्च, १९६० को श्री सतीश चन्द्र सामन्त और

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—क्रमशः

एच० एच० महाराजा प्रताप केशरी देव द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

(दो) प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) ने वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(तीन) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने कोचीन में एक जहाज के कारखाने के निर्माण के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(चार) परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) ने १ अप्रैल, १९६० से टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत विवरण भी सभा पटल पर रखा।

अनुदानों की मांगें. . . . . ३२१५—५२

(१) सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत. ३२५२

उनसठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३२५३–५४

(१) श्री च० का० भट्टाचार्य का पुस्तक और समाचार-पत्र प्रदान (सार्वजिनक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक, १९६० (**धारा २ का संशोधन**)।

(२) श्री च० का० भट्टाचार्य का नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, १९६० (**धारा २ का संशोधन**)।

(३) श्री ले० अचौ सिंह का प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक १९६० (**धारा ३, २२ और ३२ का संशोधन**)।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अग्रेतर विचार स्थगित . . ३२५४–५५

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के प्रस्ताव पर श्री पु० र० पटेल का भाषण समाप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव किया कि विधेयक पर अग्रेतर विचार अगले सत्र के प्रथम दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--पारित ३२५६--७१

श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--विचाराधीन ३२७१

श्री हेमराज ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७३ का संशोधन) पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २१ मार्च, १९६०/१ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि--

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा परिवहन और संचार मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा ।